पंचम माला, खंड 29, अंक 1 सोमवार, 23 जुलाई, 1973/1 श्रावण, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXIX No. 1 Monday, July 23, 1973/Sravana 1, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
F. migated
On 24-8-92
Parliament Library

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1—सोमवार, 23 जुलाई, 1973/1 श्रावण, 1895 (शक)

No. 1—Monday 23 July, 1973/Shravana 1, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची-सभा के पदाधिकारी	Alphabetical list of Members-Officers of the House .	XVII XXIV
भारत सरकार के मन्त्री, राज्यमन्त्री आदि	Government of India Ministers, Minister of State etc.	XXV-XXVII
निधन सम्बधी उल्लेख	OBITUARY	I-II
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डाक्टरों द्वारा शिशु के जन्म से पूर्व उसका लिंग बताया जाना	Prediction of Sex before Brith by Doctors at AIIMS, New Delhi	11-12
2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नये विश्वविद्यालय खोलने की योजना	U.G.C. Plans for Starting New Universities . . .	12-13
3 खरीफ फसल के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Agricultural Prices Commission Re. Kharif Crop. .	13
4 भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोंडा जिले में नवाबगंज से आगरा भेजी गई चीनी की बोरियों का गुम हो जाना	Disappearance of Sugar Bags Transported by Food Corporation of India from Nawabganj in Gonda to Agra .	13-14
5 प्रत्येक राज्य में गेहूं की वसूली के लक्ष्य का पूरा होना	Achievement of Target in Procurement of wheat in each state	14-15
6 मोटे अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेने के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध	Request from State Governments for take over of Trade in Coarse Grains . .	15
7 केन्द्रीय स्वास्थ् योजना के डाक्टरों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान पदवी की मांग	CHS Doctors demand for Equality of Status with IAS Personnel	15-16

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the house by him.

1—16 L.S.S./73

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8	राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये पाठ्यपुस्तकें तैयार किया जाना	Preparation of Text Books by NERC for University Students	16-17
9	गेहूं के व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के परिणामस्वरूप व्यक्तियों को रोजगार	Persons provided with Employment as a Result of Take over of Trade in Wheat . .	17
10	कृषि पोलिटैकनिकों की स्थापना	Setting up of Polytechnics on Farming . . .	17-18
11	अफ्रीका के पूर्वी तट से थोडी दूर यात्री एवं मालवाहक जहाज 'सऊदी' का डूब जाना	Sinking of a Passenger-*cum*-cargo Ship 'Saudi' off the East Coast of Africa . . .	18
12	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षित लोगों के लिये रोजगार की योजना के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया	Response from States to Educateb Employment Scheme Sponsored by Central Government	18-19
13	पांचवीं योजना में श्रमजीवी व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of House for working people in the Fifth Plan	19
14	विश्वविद्यालय कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में सेन समिति का प्रतिवेदन	Sen Committee Report on Salary Scales of University College Teachers. . .	19
15	वर्ष 1973 में अनाज का आयात	Import of Foodgrains during 1973 . . .	20
16	गेहूं की दोहरी मार्कीट तथा मूल्य प्रणाली से फायदा उठाना	Exploitation of Double Market and price System in Wheat .	20
17	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरूणाचल प्रदेश के सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of work charged Staff of Arunachal Pradesh Circles of CPWD. . . .	20-21
18	राजस्थान में अकाल की स्थिति और उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Famine condition in Rajasthan and Central relief therefor .	21
19	गन्ने के मूल्य में वृद्धि	Revision of Sugarcane Price .	21-22
20	खरीफ की फसल से चावल के थोक व्यापार का सरकारीकरण	Take over of wholesale Trade in Rice from Kharif Season	22

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
1	अमरीका से खरीदा गया गेहूं	Wheat purchased from U.S.A.	22
2	सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाएं	Cultural centres Building Projects	23
3	दिल्ली और आस पास के राज्यों में जमाखोरी के विरुद्ध छापे	Anti-Hoarding raids in Delhi and Adjoining States .	23-24

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4	गेहूं को वसूल करने में और इसकी वसूली के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने में भारतीय खाद्य निगम की असफलता	Failure of Food Corporation of India to procure Wheat and Introduction of Incentive Scheme for procurement .	24
5	केन्द्रीय निदेश के बावजूद भी गेहूं के वसूली मूल्य में वृद्धि	Increase in procurement price of wheat despite central Directive	25
6	आयातित गेहूं के लिए राज सहायता	Subsidy for Imported Wheat .	25-26
7	1972 और 1973 के दौरान गहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मिलेट, दालें तथा खाद्य तेल का मूल्य	Prices of wheat, Rice, Maize, Bajra Millet, Pulses and Edible Oils during June, 1972 and 1973.	26-27
8	नेहरू युवक केन्द्र	Nehru Yuvak Kendras .	27-28
9	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard . .	29
10	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित उपकुलपतियों का सम्मेलन	Conference of vice Chancellors organised by ICAR .	29-30
11	दिल्ली के स्कूलों के लिये सिलेक्शन ग्रेड के अध्यापकों की सूची	List of Selection Grade Teachers for Delhi Schools . .	30-31
12	दिल्ली से बागपत (उत्तर प्रदेश) के लिये बस सेवा	Bus Service from Delhi to Baghpat (U. P.) . . .	31
13	मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के निकट डी० आई० जैड० क्षेत्र में सफाई व्यवस्था	Sanitation in DIZ area near Mandir Marg, New Delhi .	31
14	तमिलनाडू में चावल की कमी	Shortage of Rice in Tamil Nadu	32
15	वर्ष 1972-73 के दौरान खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains During 1972-73 . . .	32
16	बर्लिन युवा समारोहों के लिये प्रतिनिधि मंडल	Delegation for Berlin Youth Festival . . .	32
17	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रगति	Progress in setting up an Agricultural University at Faizabad (U.P.) . . .	32-33
18	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्टेडियम का निर्माण	Construction of Stadium in Faizabad District of U. P. .	33
19	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के लिये सहकारी दुग्ध डेरी योजना अथवा शुष्क दुग्ध चूर्ण योजना	Cooperative Milk Dairy Scheme or Dry Milk Powder Scheme for Faizabad (U.P.) . .	33
20	राष्ट्रीय राजपथ नं० 28 के कार्य में प्रगति	Progress in work on National Highway No. 28 . .	34
21	बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा	Compulsory Education for Children	34
22	गैर सरकारी एककों द्वारा वनस्पति के उत्पादन में जानबूझ कर कमी करना	Deliberate Reduction in Production of Vanaspati by Privately Run Units . . .	34-35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
23	राष्ट्रीय बीज निगम का आयात प्रतिस्थापनोन्मुख बीज उत्पादन कार्यक्रम	Import substitution oriented Seeds Production Programme of National Seeds Corporation	35
24	पर्यटकों की रुचि के पुरातत्व केन्द्रों के विकास के लिये बृहद योजना	Master plan for development of Archaeological Centres for Tourist Interest . . .	35-36
25	राज्यों में यंत्रीकृत भट्टों की स्थापना के लिये आवास तथा नगरीय विकास निगम से सहायता	Housing and Urban Development Corporation Aid to Set up Mechanised Brick Plants in States . . .	36
26	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नौवहन क्षमता का विस्तार	Expansion of Shipping during Fifth Plan . . .	37
27	वनस्पति घी तथा अन्य खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिये योजना	Scheme to meet the shortage of Vanaspati Ghee and other Edible Oils . . .	37
28	दिल्ली में नये कालेजों का खोला जाना	Opening of New Colleges in Delhi	38
29	शाहदरा (दिल्ली) से मेडिकल कालेज का स्थानान्तरण	Shifting of Medical College from Shahdara (Delhi) .	38
30	1973-74 में गेहूं के आयात का लक्ष्य और इसका प्रति क्विटल मूल्य	Target for Import of Wheat during 1973-74 and its price per Quintal . . .	38-39
31	बड़े पैमाने पर दूध बेचने की मशीनों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange involved in the Import of Bulk Milk Vending Machines . . .	39-41
32	सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to its Employees. . . .	41
33	राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रस्ताव	Proposal to Write History of Rajasthan . . .	41
34	विभिन्न राज्यों में साक्षरता	Literacy in Various States .	42-43
35	राजस्थान की मरुभूमि को हरी भरी भूमि में परिवर्तित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता का अनुरोध	Help sought from UNO for Turning Desert of Rajasthan into Greenery . . .	43
36	इलाहाबाद के फूलपुर ब्लाक के सौराहा गांव में लालच देकर नसबन्दी करने के बारे में शिकायत	Complaint Regarding Sterilization in Sauraha Village in Phoolpur Block Allahabad by Allurement . . .	44
37	देश में एक अस्पताल के अन्तर्गत आने वाला वर्ग किलोमीटरों में औसत क्षेत्र	Average Area in Square Kilometres Served by Hospitals	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
38	दिल्ली के अस्पतालों में इन्टरनीज हाउस सर्जन और रजिस्ट्रारों की कार्य पद्धति के अध्ययन के लिए समिति	Committee to study the Working of Internees, House Surgeons and Registrars in Delhi Hospitals . . .	44-45
39	देश में सरकारी बंजर भूमि की उपलब्धता . . .	Availability of Government Waste Land in the country .	45
40	राज्यों में फालतू भूमि का भूमिहीनों में वितरण	Surplus Land Distributed to Landless in States . .	45-46
41	वर्ष 1972-73 के लिये खाद्य उत्पादन का लक्ष्य	Target of Food Production for 1972-73 . . .	47
42	प्रोटीन फूड एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा राज्यों में आहार सम्बन्धी स्वभाव का सर्वेक्षण	Survey of Food Habits in States by Protein Food Association of India . . .	47
43	वर्ष 1971 और 1972-73 में चीनी का उत्पादन	Sugar Production during 1971 and 1972-73 . . .	47-48
44	खाद्य सामग्री प्लास्टिक की थैलियों में बन्द करने सम्बन्धी जापानी वैज्ञानिकों के निष्कर्ष	Findings of Japanese Scientists Re. Packing of Food Material in Plastic Bags. . . .	48
45	सरकार द्वारा निर्माण सम्बन्धी सामग्री बनाने वाले उद्योग की स्थापना	Setting up of Building Materials Industry by Government.	48-49
46	आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	Subsidised Industrial Housing Scheme . . .	49
48	केरल की एक लाख मकानों की आवास योजनाओं के अनुरूप निर्धन ग्रामीणों के लिय मकानों क निर्माण	Construction of Houses for the Rural Poor on the Pattern of Kerala one lakh Housing Scheme	49-50
49	पांचवीं योजना में अनौपचारिक शिक्षा देना	Introduction of Informal Education in Fifth Plan . .	50
50	पांचवीं योजना में संस्कृति के क्षेत्र में व्यय किया जाने वाला प्रस्तावित धन	Amount proposed to be spent in sphere of Culturel during Fifth Plan.	50
51	दिल्ली/नई दिल्ली में रिहाइश के लिए भूमि प्राप्त करने के पात्र संसद् सदस्य	Members of Parliament Eligible for getting land for residential purposes in Delhi/New Delhi.	51-52
52	मोटा अनाज लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिये गुजरात, महाराष्ट्र और मैसूर का अनुरोध	Request by Gujarat, Maharashtra and Mysore for lifting ban on Inter State movement of Coarse Grains .	52
53	आरे मिल्क कालोनी, बम्बई में ढोरों के खाने के लिये गेहू की सप्लाई	Supply of Wheat as Feed for Cattle in Aarey Milk Colony, Bombay . . .	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
54	महाराष्ट्र में देवगद बन्दरगाह को मध्यवर्ती बड़ी बन्दरगाह के रूप में विकसित करना	Deogad Port in Maharashtra as Intermediate Majoar Port	53
55	गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति	Achievement of the Objectives of Take over of Wholesale Trade in Wheat . .	53-54
56	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्य-भारित कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान	Disbursement of Wages to the work charged Staff of Arunachal Pradesh Circles of CPWD. . . .	54
57	दिल्ली से बाहर स्थानों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff Quarters for CPWD Staff at Stations outside Delhi .	54
58	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल का कार्य-प्रभारित सिब्बंदी	Work charged Establishment of Arunachal Pradesh Circle of CPWD . . .	54-55
59	विभिन्न राज्यों में लागू की गई गेहूं की लेवी	Levy on wheat imposed in different States . . .	55
60	चीनी संबंधी नीति	Sugar Policy .	55-56
61	आगामी खरीफ की फसल में धान का संभावित उत्पादन और वसूली	Likely production and procurement of Paddy during ensuing Kharif Season . . .	56
62	सांविधिक राशन व्यवस्था बनाए रखने के लिये पश्चिम बंगाल को मार्च से जून 1973 तक दिया गया चावल तथा अन्य अनाज	Rice and other Foodgrains supplied to West Bengal from March to June, 1973 to maintain Statutory Rationing .	56
63	आई० टी० एफ० द्वारा सिंगापूर में नाविकों के वेतनों के बारे में स्वीकृत संकल्प को लागू करना	Implementation of Resolution adopted by ITF at Singapore re. Wages for Seaman .	57
64	कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Indian Museum, Calcutta.	57
65	दिल्ली में एक गैर सरकारी फर्म द्वारा बिना लाइसेंस उर्वरकों की	Sale of Fertilizer by a Private Firm in Delhi without Licence	58
66	वनस्पति घी और खाद्य तेलों के अधिक मूल्य	Ceiling price for Vegetable Ghee and Edible Oils .	58
67	किसानों द्वारा जमा गेहूं के स्टाक को बाहर निकालने के लिये कार्यवाही	Steps to bring out hoarded stock of wheat of farmers . .	59
68	'शैक्षणिक सर्वेक्षण'	'Educational Survey' .	59
69	संसद् की दोनों सभाओं में गणपूर्ति संख्या कम करना	Lowering of strength of Quorum in both houses of Parliament	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
70	रक्तदान एकत्र करने के लिये इण्डियन रेडक्रास सोसायटी और सामाजिक संस्थाओं को वित्तीयसहायता देने सम्बन्धी योजना	Schemes for Financial Assistance to the Indian Red Cross Society and Social Agencies for collecting Blood Donation	60
71	मई, जुलाई 1973 के दौरान विदेश भेजे गए सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegations sent abroad during May July, 1973 .	60-61
72	दिल्ली में खाद्य पदार्थों के नमूनों का परीक्षण	Testing of Food Samples in Delhi	61-62
73	दिल्ली विश्वविद्यालय का दूसरा कैम्पस	Second Campus of Delhi University . . .	62
74	केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा की औषधियां सप्लाई करने के लिये मानदंड	Criteria for Supply of Medicine to CGHS . . .	62
75	कनाडा द्वारा खाद्यान्न, खाद्य तेल और उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Foodgrains, Edible Oil and Fertilizer from Canada	63
76	राष्ट्रीय स्तर पर बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम	BCG Vaccination Programme on National level . .	63-64
77	बाजार में घटिया और पुरानी औषधियों का परिचलन	Circulation of inferior quality and out dated drugs in Market	64-65
78	चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवदन	Report of Sugar Industry Enquiry Commission . .	65
79	सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व	Representations of the Ministry of Agriculture on Board of Directors of Public and Joint Sector Undertakings .	66
80	नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा शुरु करना	Introduction of Free Primary Education as laid down in directive principles. . . .	66
81	निर्मित वस्तुओं तथा कृषि उत्पादों के मुल्यो में समता का सिद्धांत	Principle of party between prices o manufactured articles and agricultural products . .	67
82	केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने वाली दिल्ली की सांस्कृतिक संस्थाएं	Cultural organisations in Delhi receiving grants from Central Government . . .	67-68
83	वसूली अभियान को प्रोत्साहन देने के लिये बोनस योजना	Bonus scheme for giving incentive to procurement drive .	68
84	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली स्थित अन्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints against the working of AIIMS and other Government and Government subsidized hospitals in Delhi .	69

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
85	खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने और नियत मजूरी पाने वाले वर्ग और कमजोर वर्ग को नियत मूल्य पर सप्लाई करने के लिए किए गए उपाय	Steps taken to meet shortage of foodgrains and its supply at fixed price to fixed wage earners and weaker sections .	70
86	1973-74 के लिये गन्ने का मूल्य तथा बुवाई अथवा पौधे लगाए जाने से पूर्व कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य नियत किए जाने के कारण	Price of sugarcane for 1973-74 and reasons for fixing support prices of agricultural commodities before sowing or Planting	70
87	आन्ध्र प्रदेश को अलाट किए जाने वाले अनाज की मात्रा	Quantity of foodgrains being allotted to Andhra Pradesh .	70-71
88	नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट	Street light in DIZ area, New Delhi	71
89	अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के गलत परिणाम (1973)	Inaccuracy in All India Higher Secondary Examination result (1973) . . .	71-72
90	गेहूं की वसूली के बारे में बिहार के किसानों में असंतोष	Discontentment among farmers of Bihar on procurement of Wheat . . .	72
91	आदिवासी विद्यापीठ का विकास	Development of Adivasi Vidyapith . . .	72
92	यूथ अगेंस्ट फेमिन अभियान	Youth against famine campaign	73-75
93	राज्यों में नसबंदी आपरेशन असफल रहने के मामले	Cases of failure of vasectomy operations in States . .	76
94	केन्द्रीय विद्यालय	Kendriya Vidyalayas .	76-78
95	गांवों में भूमिहीन गरीबों को मकानों के लिए स्थान	House site for landless poor in villages . . .	78-80
96	गांवों में पेय जल की अत्यधिक कमी	Acute shortage of potable water in villages . . .	80-81
97	केरल में राशन की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating Rationing Conditions in Kerala . .	81
98	दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये योजना	Scheme for Slum Clearance in Delhi	81-82
99	दिल्ली में पेय जल की सप्लाई	Supply of drinking water in Delhi .	82
100	सब्जी मंडी से दिल्ली तथा नई दिल्ली तक के मार्ग के स्थलों को रमणीय बनाना	Beautification of spot on the way from Sabzi Mandi to Delhi and New Delhi .	83
101	दिल्ली के लिये बृहत योजना (मास्टर प्लान) का पुनरीक्षण	Revision of Master Plan for Delhi	83-84
102	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के प्रस्तावित संशोधन	Proposed Amendments to Delhi Rent Control Act, 1958 .	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
103	हल्दिया में जहाज निर्माण यार्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन की जांच	Examination of Report Re: Ship Building Yard at Haldia	84
104	बड़े जहाजों को खड़ा करने के लिये हल्दिया की शिपयार्ड क्षमता में वृद्धि	Increase in Shipyard Capacity at Haldia Port to Accommodate large size vessels .	85
105	देश में मलेरिया रोग का फिर से फैलना	Rise in Malaria in the country	85-86
106	देश में दुग्ध का उत्पादन	Production of Milk in the country	86-87
107	केरल को तमिलनाडु द्वारा फालतु चावल की सप्लाई	Supply of surplus rice by Tamil Nadu to Kerala . .	87
108	जून, 1973 में नई दिल्ली में हुआ मुख्य मंत्रियों और राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers and State Food Ministers held at New Delhi during June, 1973 . . .	87-88
109	त्रिपुरा में भूखे रहने के कारण हुई मौतें	Starvation Deaths in Tripura	88
110	बड़े बड़े नगरों में वायु दूषण	Air Pollution in Big Cities .	88-89
111	नये बड़े पत्तन	New Major Ports . . .	89
112	गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on take over of Wholesale Trade in Wheat . . .	89-90
113	विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा हिंसा के कारण हुई हानि	Loss due to violence by University Students . . .	90
114	"एब्यूज आफ एस्प्रिन कैन काज डैथ" (एस्प्रिन के दुरुपयोग से मृत्यु हो सकती है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item "Abuse of Aspirin Can Cause Death" . . .	90
115	कोचीन गोदी कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन के कारण निर्यात में हानि	Loss to Exports due to Stir by Cochin Dockers . . .	90-91
116	लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की शिकायतों की जांच	Enquiry into grievances of Students of Lucknow University	91
117	राज्यों में गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के बारे में प्रगति	Progress of take over of wholesale trade in wheat in States	91
118	मध्य प्रदेश में गेहूं की वसूली के लिये छोटे किसानों को तंग किया जाना	Harassment of Small Farmers in Procurement of Wheat in M.P.	91
119	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छोटे किसानों की ऋणग्रस्तता का सर्वेक्षण	Survey by Punjab Agricultural University of Indebtedness of Small Farmers . . .	91-92

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
120	सरकार को गेहूं बेचने के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने के बारे में टास्क फोर्स के विचार	Views of Task Force on incentive to Farmers for Sale of Wheat to Government . . .	92-93
121	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Drought Prone Areas Programme . .	93
122	सरकारी आवास के आवंटन के लिये वर्तमान नीति का पुनरीक्षण	Revision of Existing Policy for Allotment of Government Accommodation . . .	94
123	मई और जून, 1973 के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains during May and June, 1973 . . .	94-95
124	कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मजदूर बस्तियां	Labour Colonies under the Industrial Housing Scheme in Kanpur . . .	95
125	गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to increase price of wheat . . .	95
126	गुजरात में वनस्पति निर्माताओं को सुधरे हुए खाने योग्य तेल की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई	Supply of Adequate quantity of Improved Edible Oil to Vanaspati Manufacturers in Gujrat.	95-96
128	विश्व बाजार में गेहूं की कमी का भारत में प्रभाव	Effect of shortage of wheat in World Market on India .	96
129	खाद्य तेल निगम का गठन	Formation of Edible Oil Corporation . .	96
130	वनस्पति के उत्पादन में सरसों के तेल के उपयोग पर लगाए गए वर्तमान प्रतिबन्धों की जांच	Examining of present restrictions on the use of mustard oil in vanaspati production .	97
131	स्वायत्तशासी गेहूं बोर्डों का गठन	Setting up Autonomous wheat Boards . . .	97
132	भारत में पत्तन और गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Port and Dock Workers in India . . .	97
133	भूखा रहने के कारण हुई मौतें	Starvation Deaths .	98
134	समुद्र तटीय राज्यों में लघु पत्तनों के विकास के लिये योजनाओं को स्वीकृति	Approval of schemes for development of Minor ports in Maritime States . . .	98-99
135	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा नेशनल रीजनल डेटा खण्ड डाकुमेंटेशन सेंटरों की स्थापना	Establishment of National Regional Data and Documentation Centres by ICSSR .	99
136	विश्व में गेहूं की सप्लाइ की स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप शेष गेहूं प्राप्त हेतु किए गए उपाय	World Supply position of Wheat and Steps taken to procure the balance requirment of wheat . . .	99
137	पेय जल कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय जल आपत कोष और विदेशों से सहायता	UNICEF and Foreign Aid for Drinking Water Programme . . .	99-100

अता० प्र० संख्या० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
138	केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा जल परिष्करण संयंत्रों के बारे में अध्ययन	Study conducted by the Central Public Health Engineering Research Institute regarding Water Treatement Plants .	100-101
139	मद्रास पत्तन के समुद्री श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Marine Workers of Madras Port . .	101
140	वनस्पति के मूल्य में वृद्धि और उसकी अनुपलब्धता	Rise in price of vanaspati and its non-availability . .	101
141	कालेजों में व्यवसायिक प्रशिक्षण आरम्भ करना	Introduction of Vocational Trainning in Colleges . . .	101-102
142	भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्तिथ गोदाम अधिकारियों द्वारा राज्य को अनाज का कोटा देने से इन्कार करना	Refusal by FCI Godown Authorities of West Bengal to Supply State quota of Foodgrains	102-103
143	उत्तरप्रदेश में शुद्ध जल की सप्लाई	Supply of pure water in U.P.	103
144	कनाडा, अमरीका तथा अर्जेनटाइना से 45 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए बातचीत	Negotiations for purchase of 4·5 million tonnes of wheat from Canada, USA and Argentina	103
145	भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में प्रगति	Progress in Land Ceiling .	103-104
146	शिवपुरम मन्दिर से चोरी की गई नटराज की मूर्ति	Nataraja idol stolen from Sivapuram Temple . . .	104
147	उचित मूल्य की दुकानों पर घटिया किस्म का राशन दिया जाना	Inferior quality of rations supplied at Fair Price Shops .	104-105
148	राज्यों में दी जा रही प्रति व्यक्ति राशन की मात्रा	Per capita Ration Given in States . .	105
149	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कार्यों की जांच	Enquiry into the Affairs of ICMR	105
150	चावल की खेती पर लागत .	Cost of cultivation of Rice .	105-106
151	मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत और उनके देखभाल पर व्यय	Expenditure on repairs and maintenance of Ministers' Bungalows . . .	106
152	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये निरोधों की संख्या	Manufacture of Nirodh by Hindustan Latex Ltd. . .	106
153	देश में किए गए नसबंदी के आपरेशन	Vasectomy Operations in the country . . .	106-107
154	वर्ष 1974 के लिए शिक्षा योजना का बनाया जाना	Formulation of Education Plan for 1974 . . .	107-108
155	खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के बारे में देशव्यापी प्रदर्शन	Country wide Demonstrations regarding non-avalability of Foodgrains . . .	108

अता० प्र० संख्या० U.S.Q. No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
156	सरकार को गेहूं बेचने के लिए किसानों को प्रोत्साहन	Incentive to Farmers for sale of wheat to Government .	108
157	लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंसा .	Violence in Lucknow University	109
158	सरकार द्वारा इंडिया पोटाश लिमिटेड से पत्तन पर पोटाश के उतारने चढाने का काम अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Port Handling of Potash from India Potash Ltd.	109
159	मूंगफली और मूंगफली के तेल की कमी और इनके मूल्यों पर ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल का प्रभाव	Impact of summer groundnut Crop on Shortage and price of Groundnut and groundnut oil	109-110
160	कृषि विकास को कृषि उद्योगों के साथ जोड़ने के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महा-निदेशक के विचार	Views of Director General IARI regarding linking of Agricultural development with Agro-industries	110
161	खाद्यान्न वितरण से लाभ हानि के सर्वेक्षण के बारे में एशियाई उत्पादकता संगठन की मांग	Demand of Asian Productivity Organisation Re: Survey on Economy of Foodgrains Distribution . . .	110-111
162	भारत को गेहूं सप्लाई करने में ब्रिटेन की असमर्थता	U. K.'s Inability to supply Wheat to India . . .	111
163	ज्वार के समान वसूली मूल्य निर्धारित न करने के बारें में महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध	Request from Maharashtra Government not to fix uniform procurement price of Jowar .	111
164	गेहूं की उत्पादन लागत में कमी	Reduction in Cost of Production of Wheat . . .	111-112
165	भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अनाज की वसूली में सहायता करने के लिए की गई नियुक्तियां	Appointment by FCI or other Government Agnecies to help procurement of Foodgrains .	112
166	मैसूर में बच्चों में साक्षरता सम्बन्धी केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Literacy among Children in Mysore .	112-113
167	नये ग्रामीण अस्पतालों के लिए योजनायें	Scheme for New Rural Hospitals . . .	113
169	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार की सहायता से नियुक्त प्राथमिक अध्यापक	Primary Teachers Employed in West Bengal with Central Assistance . . .	113
170	नवद्वीप (पश्चिमी बंगाल) में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of Sanskrit University at Nawadwip (W.B.).	113
171	दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत लाना	Transfer of Delhi University Medical College to Jawaharlal Nehru University .	114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
172	दालों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण	Large Scale Adulteration of Pulses . . .	114
173	भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् के लिये धनराशि नियत करना	Allocation of Funds to Indian Council of Historical Research	114
174	चीनी के उत्पादन में वृद्धि के कारण चीनी का मूल्य कम करने का प्रस्ताव	Proposal to reduce price of sugar due to increase in Production	115
175	भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by employees of Bharat Scouts and Guides, Delhi . . .	115
177	गजेन्द्रगडकर जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Gajendragadkar Inquiry Committee . .	115-116
178	ग्रामीण क्षत्रों में अर्हताप्राप्त डाक्टरों से रहित औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र	Dispensaries and Health Centres in Rural Areas without qualified Doctors . . .	116-118
179	देश में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Building material in the country . .	118
180	वर्ष 1973–74 में खाद्यान्नों के आयात के लिए विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid for Import of Foodgrains during 1973-74 .	119
181	'बिटवीन दि लाइन्स टेक ओवर एण्ड्स इन ए फियास्को' शीर्षक वाला समाचार.	New item 'Between the lines take over end in a Fiasco'	119
182	सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों तथा चिकित्सा अध्यापकों द्वारा सीधी कार्यवाही	Direct action by Doctors and Medical Teachers of Government Hospitals .	119-120
183	इंजीनियरिंग तथा टेक्नीकल डिग्री और डिप्लोमा धारी	Engineers and Technical degree and Diploma holders .	120
184	महाराष्ट्र के कमीवाले क्षेत्रों में राहत कार्य पर नियुक्त किये गये व्यक्ति तथा उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Persons employed in scarcity Relief work in Maharashtra and Central Aid therefor .	120-121
185	महाराष्ट्र और गोआ के बीच तटीय नौवहन सेवा	Coastal Shipping Service between Maharashtra and Goa .	121
186	गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to States for Take-over of wholesale Trade in Wheat . . .	121-122
187	गुजरात में सूखा राहत कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Drought Relief Work in Gujarat . .	123
188	गुजरात तथा अन्य राज्यों में मूंगफली के तेल का मूल्य	Price of Groundnut oil in Gujarat and other States .	123
189	गुजरात में वनस्पति उत्पादकों को सरसों के तेल की मात्रा में वृद्धि करने की अनुमति तथा उन्हें तोरिया (रेपसीड) का दिया जाना	Permission to Vanaspati Manufacturers in Gujarat to increase quantum of Mustard Oil and release of Rape seed to them	124

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
190	नई दिल्ली में सफदरजंग के निकट पुल का निर्माण	Construction of Bridge near Safdarjang, New Delhi .	124
191	केरल स्थित एरेलम स्टेट फार्म के कार्यकरण पर असंतोष	Dissatisfaction on the working of Aralam State Farm Kerala	125
192	एरेलम स्टट फार्म में कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उसमें उगाई गई फसलें तथा उनकी बिक्री की प्रक्रिया	Area and Crop Grown on Aralam State Farm and procedure for their Sale . .	125-126
193	महाराष्ट्र में नाइट्रोजन उर्वरक की कमी और अधिक मूल्य	Shortage and High Prices of Nitrogenous Fertilisers in Maharashtra . . .	126
194	नींद की गोलियों के रुप बेची जाने वाली 'मेन्ड्रेक्स' का प्रभाव	Effect of 'Mandrax' sold as a Sleeping Pill . . .	126-127
195	बिहार राज्य के छोटा नागपुर डिवीजन तथा सन्थाल परगना के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण	Survey by Central Team to Provide Drinking Water in Rural Areas of Chotanagpur Division and Santhal Paraganas of Bihar State . . .	127
196	संथाली भाषा सम्मेलन	Santhali Language Conference	127
197	चाय में मिलावट	Adulteration of Tea . .	128
198	बिहार राज्य के छोटा नागपूर डिवीजन और संथाल परगना जिले में गलगण्ड रोग के बारे में केन्द्रीय दल द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by the Central Team on Goitre Disease in Chotanagpur Division and Santhal Parganas District of Bihar State . . .	128
199	कोचीन शिपयार्ड में भारी जहाज बनाने के लिये करार	Agreement for Building Bulk Carriers at Cochin Shipyard	128-129
200	'बल्क कैरियर्स' के लिये यूगोस्लाविय को क्रयादेश	Order with Yugoslavia for Bulk Carriers	129
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment .	130, 135-137
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	130-134
	पश्चिम रेलवे पर गाडियों की टक्कर के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Collision of Trains on Western Railway .	
	श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	134-135
	अविश्वास प्रस्ताव के बारे मे	Re. Motion of No-Confidence	135
	अनुदानों की मांगें (मनीपुर), 1973 74	Demands for Grants (Manipur), 1973-74.	137-140
	श्री बीरेन दत्त .	Shri Biren Dutta . .	138
	श्री सरजू पांडे .	Shri Sarjoo Pandy . .	138

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh . .	139-140
श्री जी० पी० यादव	Shri G.P. Yadav . .	140
स्थगन प्रस्ताव --अस्वीकृत हुआ	Motion for Adjournment— Negatived .	
आवश्यक वस्तुओं के मुल्य में असाधारण वृद्धि	Abnormal rise in prices of essential Commodities . .	140-161
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	140-143
श्री आर० के० सिन्हा	Shri R. K. Sinha . .	143
श्री ज्योतीर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	144-145
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan .	146
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	146-147
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata . .	147
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	148-149
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav .	149-150
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . .	150-151
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	151-152
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	152-153
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	153-154
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	154-155
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim . .	155-156
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yashwantrao Chavan .	156-160
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	160-161
सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Contempt of House	162-163
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation .	163
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	163

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अफजलपुरकर, श्री धर्मराव (गुलबर्गा)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारड़गा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नाशिक)
काह्नडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)

2—16 L. S. S./73

केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन् श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन् श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री बी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चकलेश्वर सिंह, श्री (मथूरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवी)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापूर)

चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)

दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री वक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाज़ीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन् (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एस० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चतलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गौंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन्, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाड़ा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री० के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)

मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मु, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राज देव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अररिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टणम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)

राव, श्री डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडि-वनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुद्दूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कैराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बेहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोबीचे टिट्पलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपूर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन्, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री ० के ० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डॉ० सरदीश राय

श्री इरा सेझियान

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री . . .	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री . . .	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री . . .	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री . .	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री . .	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
नौवहन और परिवहन मंत्री . .	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री . . .	श्री भोला पस्वान शास्त्री
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री . . .	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री .	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

राज्य मंत्री

संचार मंत्री . . .	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा
वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री आई० के० गुजराल
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री . . .	श्री आर० के० खाडिलकर
पूर्ति मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री .	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री .	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री .	प्रो० एस० नुरूल हसन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री .	श्री एम० बी० राना
सिंचाई और विद्युत मंत्री	डा० के० एल० राव
श्रम और पुनर्वास मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री .	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री. .	श्री सुखदेव प्रसाद
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री . . .	श्री बी० शंकरानन्द
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री दलबीरसिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री . . .	श्री केदार नाथ सिंह
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री जी० वेंकटस्वामी
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 23 जुलाई, 1973/1 श्रावण, 1895 (शक)
Monday, July 23, 1973/Sravaṇa 1, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, हम दो महीने के अन्तरात के बाद आज एकत्र हुए हैं। मुझे बड़े दुख के साथ अपने पांच आदरणीय मित्रों और साथियों के निधन का समाचार सभा को देना है।

हमारे निवर्तमान सदस्यों, श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् और श्री के० बालदण्डायुतम,जिनका 31 मार्च, 1973 को दिल्ली में हुई विमान दुर्घटना में देहावसान हुआ उससे हमें गहरा धक्का पहुंचा है क्योंकि उनका निधन बड़ी दुखद स्थितियों में हुआ है। श्री मोहनकुमारमंगलम् के दुःखद निधन से सम्पूर्ण राष्ट्र को दुःख पहुंचा है। इनका सम्बन्ध राष्ट्रभक्त एवं नामी परिवार से था। इनके पिता डा० सुब्बरायन जो केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, बहुत नामी व्यक्ति थे। श्री कुमार-मंगलम् अपने आदर्शों तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने के कारण लोकप्रिय हो गये थे। वह एक वकील, पत्रकार, श्रमिक संघ नेता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लिया और जेल गए। वह कई श्रमिक संघों से सम्बद्ध थे और उन्होंने कई श्रम विवादों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की। छात्रावस्था में वह राजनीति के क्षेत्र में कूद पड़े। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दिनों के दौरान वह महात्मा गांधी के जीवन से प्रभावित हुए। केम्ब्रिज में पढ़ते हुए वह लेबर पार्टी में शामिल हो गए और छात्र संघों में सक्रिय रुप से भाग लिया। 1943–1948 के दौरान वह बम्बई साप्ताहिक 'पीपुल्स वार' के सम्पादकीय वर्ग में रहे। उन्होंने एक वकील के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और 1963 में उन्हें मद्रास का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था परन्तु अगले वर्ष ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तत्पश्चात एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बोर्डों के सदस्य और इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष के रुप में उन्होंने अपनी सेवाएं अर्पित की, वर्ष 1971 में पांडिचेरी से लोकसभा के लिए चुने जाने के पश्चात् वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री बने और बाद में इस्पात तथा खान मंत्री नियुक्त हुए।

सभा में अपने अल्प कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने आपको एक सशक्त, स्पष्ट तथा युक्तियुक्त वाद-विवादक सिद्ध कर दिया था, वह बहुत ही सरल स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति थे। नियति के निर्मम हाथों ने दुखद स्थिति में उनके उज्ज्वल भविष्य को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया।

श्री के० बालदंडायुतम, जिनकी 31 मई को हुई उसी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तमिलनाडु के कोयम्बतूर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के निवर्तमान सदस्य थे। समाजवाद के प्रति निष्ठावान के रूप में प्रसिद्ध उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति में प्रवेश किया था। तिरुनेलवल्ली षड्यन्त्र केस में वे दोषी पाए गए थे तथा उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। बाद में उनका मृत्यु दंड आजीवन कारावास में बदल दिया गया, वर्ष 1962 में जेल से रिहा होने के उपरान्त वे पुन: राजनीति में कूद पड़े, वे वर्ष 1971 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और अपने दो वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपने आपको एक सक्रिय संसदविद, सिद्ध कर दिया था, वह सभा की कार्यवाहियों में अत्याधिक रुचि लिया करते थे और श्रमिक वर्ग के हित के लिए पूरा प्रयास करते थे, वे वर्ष 1971-72 के दौरान सरकारी उपक्रमों की समिति के सदस्य थे और विधयकों की प्रवर समिति के भी सदस्य थे।

तीसरे निवर्तमान सदस्य विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री डी० आर० चव्हाण की मृत्यु 57 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 1973 को दिल्ली का दौरा पड़ जाने के कारण हुई। वह महाराष्ट्र के कराड़ निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, इससे पूर्व वह वर्ष 1957-70 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे थे। श्री चव्हाण वर्ष 1954-56 के दौरान बम्बई विधान परिषद के भी सदस्य रहे थे। वर्ष 1962 में उन्होंने उपमंत्री के रुप में केन्द्रीय मंत्री परिषद में प्रवेश किया था और वर्ष 1969 में राज्य मंत्री बने, श्री चव्हाण ने सम्मान तथा योग्यता के साथ विभिन्न पदों को संभाला, उपमंत्री के रुप में वह रक्षा, खाद्य तथा कृषि, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालयों से सम्बद्ध रहे और राज्य मंत्री के रुप में पेट्रोलियम तथा रसायन, खान तथा धातु, पूर्ति और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों से सम्बद्ध रहे थे, पुनर्वास मंत्री के रुप में उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों से निर्वासित व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ किया। श्री चव्हाण मृदु भाषी और बड़े ही मिलनसार व्यक्ति तथा एक सतर्क और सक्षम मंत्री थे, वह एक सुप्रसिद्ध देशभक्त योग्य प्रशासक, अच्छे संसदविद् और विद्वान तथा ज्ञान और संस्कृति से परिपूर्ण व्यक्ति थे, श्री चव्हाण अनेक सहकारी आन्दोलनों से संबंधित थे और उन्होंने किसानों के हितों में गहरी रुचि दिखाई थी वह अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थ। मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि उनके सम्पर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी सरलता, नि:स्वार्थता कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा से प्रभावित हुआ।

अन्तसभावकि के दौरान हमारे दो पुराने सहयोगी डा० डी० एस० राजू और श्री आबिद अली का निधन हुआ।

डा० डी० एस० राजू वर्ष 1957-70 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा वह आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह वर्ष 1962-64 के दौरान स्वास्थ्य के और वर्ष 1964-67 के दौरान रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय उप मंत्री रहे थे, चिकित्सक होने के साथ साथ श्री राजू अनेक शैक्षणिक सामाजिक और स्वास्थ्य संस्थाओं से संबंध थे तथा उनमें से कुछ की स्थापना उन्होंने स्वयं की थी। उन्होंने हरिजनों के कल्याण में गहरी रूचि दिखाई थी और अपने राज्य के लिए बहुत कार्य किया था, अपने मिलनसार स्वाभाव से उन्होंने सबका मन मोह लिया था। कर्नल राजू के नाम से लोकप्रिय उनको वर्ष 1934-45 के दौरान भारतीय चिकित्सा सेवा में स्थायी कमीशन अधिकारी का पद दिया गया था और बाद में वे आजाद हिंद फौज के सदस्य भी बन गये थे उनका 69 वर्ष की आयु में 7 जून, 1973 को विशाखापत्तन में निधन हुआ।

श्री आबिद अली वर्ष 1952–62 के दौरान श्रम मंत्रालय में उप मंत्री रहे थे। वह वर्ष 1952 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए और वर्ष 1970 तक उस सभा के सदस्य बने रहे। उससे पूर्व श्री अली वर्ष 1947–52 के दौरान बम्बई विधान परिषद के सदस्य थे। कानपुर के एक कपड़ा मिल में मजदूर से अपना जीवन आरम्भ करके वह केन्द्रीय सरकार में उप-मंत्री बने। वह कार्मिक संघ के एक वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सक्रिय रुप से भाग लिया था तथा एक बार पुलिस की गोलियों से भी घायल हुए थे। वर्ष 1925 में उन्हें अपनी ब्रिटन विरोधी कार्यवाहियों के कारण सिंगापुर और मलाया से निर्वासित किया गया था। वहां एक कट्टर राष्ट्रवादि थे और उन्होंने देश के विभाजन का जोरदार विरोध किया था, श्री अली निर्धन व्यक्तियों के हिमायती थे, वह इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और उसकी स्थापना से अब तक उसके उपाध्यक्ष रहे थे। वह कार्मिक संघ के अन्य अनेक संगठनों के संस्थापक तथा पदधारी थे। उन्होंने वर्ष 1946 में पहली बार तथा बाद में अनेक बार भारतीय श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल के नेता के रुप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य संगठनो में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया था, वह आई० एल० ओ० और आई० सी० ए० टी० यू० के शासी निकाय के सदस्य थ। वह वर्ष 1963 से इंडियन नेशनल ट्रेड युनियन कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, 27 जून 1973 को 74 वर्ष की आयु में बम्बई में उनका निधन हुआ था। उनकी मृत्यु से देश ने एक महान श्रमिक नेता खो दिया जिसने अपने जीवन भर निर्धनों और पद दलितों के हितों की रक्षा की।

मैं सभा को गुरूजी के नाम से लोकप्रिय श्री माधव सदाशिव गोलवलकर के दुखद निधन की सूचना भी देना चाहता हूं। उनका निधन 5 जून, 1973 को 67 वर्ष की आयु में नागपूर में हुआ था। श्री गोलवलकर एक ऐसे नेता थे जिनमें बड़ी संगठनात्मक योग्यता थी और उन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व, विद्वत्ता तथा अपने मिशन के प्रति गहरी निष्ठा से सार्वजनिक जीवन में बुद्धि-जीवियों के बीच अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। यदयपि उनकी विचारधारा तथा राजनिति से अनेक व्यक्ति सहमत नहीं हो सकते हैं परन्तु फिर भी उन्होंने अपने ही तरीके से देश की अथक सेवा करने का प्रयास किया। उनका निधन देश के सार्वजनिक जीवन के लिए क्षति है।

हम अपने इन सभी मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को समवेदना पहुंचने में यह सभा मेरा साथ देगी।

प्रधान मंत्री तथा सभा नेत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा की बैठक के दु:खपूर्ण वातावरण में हो रही है, मृत्यू ने पुन: प्रहार किया है और गत दो महीनों में अमने ऐसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों को खो दिया है जो स्वस्थ तथा बीमार, युवा तथा वृद्ध और विभिन्न स्वभावों और विश्वासों वाले व्यक्ति थे, हम सरकार में श्री कुमारमंगलम और श्री० डी० आर० चव्हाण के निधन से हुए आघात से अभी तक संभल नहीं पाए हैं।

श्री मोहन, कुमारमंगलम अदभुत प्रतिभाशाली और मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति थे, वह अपने विश्वासों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान थे और इसके बावजूद वह अन्य व्यक्तियों के सुझाओं और विश्वासों का आदर करते थे और उनके दृष्टिकोण को सुनते थे, श्री कुमारमंगलम ने अथक और नि:स्वार्थ रुप में अपनी सारी शक्ति और वाग्पटुता समस्त देसवासियो तथा विशेषकर पददलित जनता के कल्याण के लिए लगा दी थी, अंग्रजों को विरोध, कार्मिक संघ के श्रमिकों के हितों और मौलिक उद्देश्यों की रक्षा करना, उदार सुधारवाद की व्याख्या करने वाले वकील की रुप में उनकी योग्यता सर्वविदित है, उनमें किसी प्रकार का आडम्बर नहीं था, उनकी अनेक व्यक्तियों से मित्रता थी तथा ईसको उन्होंने बनाए रखा, चाहे उनमें से अनेक व्यक्ति उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे।

श्री कुमारमंगलम दो वर्ष से कुछ अधिक समय से इस संसद और सरकार में थे परन्तु उन्होंने अपने आपको एक महान संसदविद और गतिशील मंत्री सिद्ध कर दिया था, वह एक रचनात्मक क्रांतिकारी के सुंदर उदाहरण थे, उन्होंने कई नए कार्यक्रमों को आरम्भ किया और वह अपने भविष्य के शुरुआत में थे तथा अभी उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त करना था।

श्री चव्हाण हमारे साथ काफी समय तक रहे, वह एक राष्ट्रिय कार्यकर्त्ता थे और एक अनुभवी विधायक, कट्टर निष्ठावान तथा पूर्ण ईमानदारी वाले और जागरुक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन किसानों के हितों के रक्षक के रूप में आरम्भ किया था और अपने जीवन के आरम्भिक काल में उन्होंने सरकारी आन्दोलन चलाने में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। श्री चव्हाण ने सतारा जिले की जनता के मन में एक विशेष स्थान बनाया और महाराष्ट्र के तथा वस्तुतः हमारे संगठन और देश के लोकप्रिय व्यक्ति थे।

श्री डी० आर० चव्हाण 16 वर्षों से निरंतर संसद् के सदस्य रहे थे, मंत्री के रूप में उन्होंने ठोस सफलताएं प्राप्त की थी तथा एक प्रशासक के रूप में उन्होंने व्यापक अनुभव अर्जित किया और उनके मंत्रालयों की सेवा में अपना विशिष्ट योगदान दिया श्री चव्हाण ने जो भी कार्य किया, उसमें उन्होंने व्यक्तिगत तथा विशेष रूचि दिखाई।

श्री आबिद अली एक अनुभवी नेता थे और जैसा कि आपने कहा था, उन्होंने अपना जीवन श्रमिक से आरम्भ किया और स्वतंत्र भारत में श्रमिक नितियां बनाने में उनका हाथ था।

वह बम्बई में खिलाफत के दिनों में राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हुए थे और अनेक बार जेल गये थे। वह बहुत मेहनती व्यक्ति थे। बिहार में भूकम्प के समय उन्होंने बहुत काम किया था।

डा० डी० एस० राजू एक विद्वान फिजीशियन थे। उन्होंने अनेक सामाजिक संघटनों में काम किया। वह इस स्वतंत्रता सैनानी थे, दो बार लोक सभा के सदस्य चुने गये और उन्होंने स्वास्थ उप मंत्री और बाद में रक्षा उप मंत्री के रूप में कार्य किया और संसद सदस्यों का मान प्राप्त किया।

विमान दुर्घटना जिसमें श्री कुमार मंगलम् मारे गये, मजदूर संघ आन्दोलन के लिए विशेषकर दुखदायी है। श्री बालदण्डायुतम दक्षिण के प्रसिद्ध मजदूर नेता थे। वह भी इस दुर्घटना में मारे गये। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक विद्यार्थी नेता के रूप में प्रवेश किया और उसके पश्चात्, उनका जीवन बलीदान दुःख और सेवा में ही व्यतित हुआ। उनको एकबार मृत्यु दण्ड दिया गया था और बाद में उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। वह निर्धन तथा पिछड़े लोगों की सेवा के लिए प्रसिध्द थे।

एक अन्य विभूति श्री गोलवलकर की भी इन्ही दिनों मृत्यु हुई है। वह इस सभा के सदस्य नहीं थे वह एक विद्वान थे और दृढ विचारों वाले थे। यह सच है कि हम में से अनेक व्यक्ति अभी उनके मूल विचार धारा से सहमत नहीं है परन्तु उन्होंने अपने अनुयायियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। हमें देश के इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु पर गहरा दुःख है और हम उनके परिवारों तथा सहयोगियों के प्रति सहानुभूति तथा संवेदना व्यक्त करते हैं।

श्री समर मुखर्जी (हौडा) : 31 मई को हुई विमान दुर्घटना के बारे में जिसमें श्री कुमारमंगलम तथा बालदण्डायुतम सहित 48 व्यक्तियों को मृत्यु हुई यहां व्यक्ती किये गये विचारों से मैं स्वयं को सम्मिलित करता हूँ। मुझे श्री डी० आर० चौहान, श्री डी० एस० राजू और श्री अबीद अली की मृत्यु का गहरा दुख है। मेरा निवेदन है कि संतप्त परिवारों को हमारी और से संवेदना ससंदेश भेज दिया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपूर) : श्री कुमारमंगलम् की मृत्यु से मुझे व्यक्तिगत हानि हुई है क्योंकि वह मेरे गहरे मित्र थे। उन्होंने अपने जीवन में एक मिशन अपनाया हुआ था और वह

चाहे जिस पद पर रहे अपने मिशन की प्राप्ति के लिए कार्य करते रहे वह गरीब मजदूरों की ओर से कचहरी में मुकदमें लड़ते थे। उन्होंने कभी फीस भी नहीं ली थी, उन्होंने जो भी कार्य किया उसमें उन के प्रगतिशील होने के स्पष्ट चिन्ह मिलते थे।

इस्पात मंत्री के नाते उन्होंने प्रबन्धकों तथा मजदूरों के संबंधों में नये पदभार बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने जो भी योगदान किया वह स्थायी भी सिद्ध होगा। उन्होंने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण योगदान दिया।

श्री बालदण्डायुतम् बालन के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी मृत्यु से हमें बहुत भारी हानि हुई है। उन्होंने लगभग 12 वर्ष जेल में व्यतीत किये। उन्होंने अपना समस्त जीवन समाजवाद को लाने तथा मजदूरों के हित में ही व्यतीत किया है।

श्री० डी० आर० चौहान को हम सभी लोग भलीभांति जानते हैं। उन्होंने यहां अनेक मंत्रालयों में कार्य किया। उन्होंने सदा पूरी गम्भीरता से तथा लगन से अपना कार्य किया। उनका व्यवहार सदा मित्रतापूर्ण रहता था।

डा० राजू एक अच्छे मित्र तथा विनम्र और सरल चित्त व्यक्ति थे। वह आजाद हिंद फौज में भी रहे।

श्री आबीद अली ने मजदूर वर्ग से प्रगति कर और उन्होंने अपना समस्त जीवन श्रम आन्दोलनों में ही व्यतीत किया। वह महान देशभक्त थे। मैं चाहता हूं संतप्त परिवारों को हमारे संवेदना संदेश भेज दिये जायें।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्री कुमार मंगलम् की मृत्यु से हमने एक प्रगतिशील प्रशासक, विद्वान तथा प्रसिद्ध वकील को खो दिया है। 1955 से मेरा उनके साथ निकट का संबंध रहा। उन्होंने मद्रास में जीवन बीमा मजदूर संघ आन्दोलन में भाग लिया था। वह मजदूरों की सहायता के लिये सदा समय निकालते थे। उन से उन्होंने कभी कोई शुल्क नही लिया था। दो वर्ष के मंत्रीपद में उन्होंने अपने स्वप्नों को कार्यरुप देने का प्रयास किया था। श्री बालदन्डायुतम विद्यार्थी आन्दोलन में मेरे साथ थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन विद्यार्थी आन्दोलन तथा मजदूरों आन्दोलनों में ही गुजारा।

श्री डी० आर० चव्हाण प्रत्येक विभाग के लिये योग्य सिद्ध हुए। वह 1962 से अपने सहयोगियों एवं संसद सदस्यों के प्यारे बने रहे।

डा० राजू ने अपने व्यवसाय से धन कमाने के स्थान पर अपनी सेवाएं बहुत से जनहितैषी संगठन शुरु करके गरीब ग्रामीणों को सौंपी।

मैं आपके द्वारा तथा सभा के नेता द्वारा श्री एम० एस० गोलवलकर के संबंध में व्यथा भावनाओं से भी अपने आपको संबद्ध करता हूं।

मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना तथा दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

Shri Jaggannath Rao Joshi (Shajepur) : Death is the normal cause of life but when it occurs in sudden accidents the grief is increased.

Sudden departure of colleagues like Shri Mohan Kumarmangalam and Shri Baladhandayu tham in an accident is a great loss.

In spite of differences of opinions Shri Kumaramanglam had feelings of attachment. He was a loveable personality. It does not matter what views person held but what matters is how he sticks to his views.

Shri Baladhandayutham was cheerful youth and his passing away is very sad.

Shri D. R. Chavan was very much intimate and Dr. Raju was very simple peace loving and his whole life was full of revolutionary activities.

Shri Guruji was devoted Yogi and lover of Indian culture. He constantly devoted his life to the character building of the nation.

The departure of these great men is a great loss to the nation.

I associate myself and my party with the views expressed here and pray to God for peace of their souls. I request that these sentiments may be conveyed to the families of the departed souls.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : It is strange that every session has to begin with message of condolences.

So far as the demise of Shri Mohan Kumaramangalam and Shri Baladhendyutham is concerned, it was sudden. Shri Mohan Kumaramanglam was a man of extraordinary qualities. We have seen him participating in student agitations. He used to express his views clearly and fearlessly.

Very few of us know the qualities especially parliamentary qualities of Shri Baledhandayutham.

We have worked intimately with Shri D. R. Chavan in various sittings. From the very beginning he was interested in the welfare of farmers and labourers and he stood by them throughout his life.

The country has not fully realized the qualities of Shri Abid Ali. Perhaps very few of us know that he started his carrier as a Shoe maker and he rose to such a high position. He used to keep only two sets of clothes. He used to come to this house on a cycle and used to type himself. He wrote a book "Mazdoor Se Minister". His way of life was as simple as that of Dr. Rajender Prasad who went to Sedakat-Ashram after leaving President House.

Dr. D. S. Raju was the popular leader of Andhra Pradesh so much so that in the first instance. He participated in I.N.A. of Netaji.

Shri Golwalkar was a novel personality in many ways. Of cousre it is true that we had differences with him. He was a great thinker, pious, a Karamyogi and self realized person.

On behalf of my party I homage to the departed souls. I also convey my condolences to the families of the departed souls.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं स्वतंत्र पार्टी की ओर से दिवंगत साथियों एवं अन्य नेताओं के प्रति श्रद्धांजली व्यक्त करता हूं ।

श्री मोहन कुमार कुमारमंगलम् का गतिशील व्यक्तित्व था। वादविवाद के स्तर को वह सदा ऊँचा रखते थे। वह प्रत्येक आलोचना को रचनात्मक दृष्टि से देखते थे ।

श्री बालदण्डायुतम् साम्यवादी दल से संबद्ध नये सदस्य थे और उन्होंने संसदीय कार्यों को निष्ठापूर्वक निभाया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे युवा व्यक्ति को काल हमारि हाथों से इतना शीघ्र छीन लेगा ।

श्री डी० आर० चव्हाण 1957 से लोक सभा में भारी बहुमत से आते रहे हैं । उन्होंन अपने प्रति न्दी को लगभग 2 लाख वोटों से हराया। इससे सिद्ध होत है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोकप्रिय थे । उन्होंने सहकारी आन्दोलन में काफी रुचि ली। वह एक प्रशासक और अत्यन्त लोकप्रिय थे।

डा० डी० एस० राजू महान समाजवादी कार्यकर्ता थे। वह आजाद हिन्द फौज में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। वह आन्ध्र प्रदेश में कई संस्थाओं के संस्थापक थे।

श्री आबिद अली श्रम संगठन के कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन समर्पण का जीवन था जो नई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।

श्री गोलवलकर सच्चे हृदय से राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन निष्ठा एवं बलिदान का जीवन है। उनके निधन से स्वाभाविक रूप से एक शून्य उत्पन्न हो गया है।

मैं स्वतंत्र पार्टी की ओर से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेज दिये जायें।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री मोहन कुमारमंगलम् एक बहुत ही योग्य विरोधी थे। सम्पूर्ण विश्व इस बात से अवगत है कि जो कुछ श्री कुमारमंगलम् ने कहा जो कुछ विचार किया तथा क्रियान्वित किया हमने उसका विरोध किया। परन्तु हम यह बात भी जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा और किया उसमें उनका सच्चा विश्वास था। श्री मोहन कुमार मंगलम् की सच्चाई तथा स्पष्टता से प्रभावित होकर ही मैंने अपनी श्रद्धांजली अर्पित करने के लिये इस वादविवाद में भाग लिया है। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वास्तव में एक कुशाग्रबुद्धि बौद्धिक रूप से ईमानदार, चतुर, तथा शालिन थे। आजकल ऐसा व्यक्ति दुर्लभ हैं और ऐसे व्यक्ति को उनमें पूर्णतया असहमत होने पर भी, अपने बीच कार्य करते देखना वास्तव में प्रसन्नता का विषय था।

श्रीमन्, मैंने अपने शेष जीवन में उनसे संघर्ष करते रहने का निश्चय किया था। दुर्भाग्यवश परिस्थितियां पलट गयी जब वह सदन में वादविवाद में भाग लेते थे तब उनका कथन विद्वत्तापूर्ण, स्पष्ट और सिद्धान्तनिष्ठ होता था और उनको सुनना बड़े हर्ष का विषय था।

श्रीमन् कुमार मंगलम् जैसे व्यक्तियों से देश गौरवान्वित होता है। अतः उनके निधन से देश को महान क्षति हुई है।

श्री समर गुह (कन्टाई): अध्यक्ष महोदय, श्री कुमारमंगलम् तथा श्री के बालतण्डायुतम की अत्यन्त दुःखान्त तथा अत्यन्त दारुण मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिये शब्द पर्याप्त नहीं है। किसी को भी आशा नहीं थी कि ऐसे उदीमान व्यक्ति हमारे बीच से इतनी शीघ्र उठा लिये जायेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हो गया।

हमारे सभी साथियों ने श्री मोहन कुमारमंगलम् को श्रद्धांजली अर्पित की है। मैं केवल इतना और कहना चाहता हूं कि यद्यपि यहाँ सदन में उनसे कई बार विवाद हुआ, गर्मा-गर्मी हुई, कटुशब्द भी कई बार प्रयुक्त हुये परंतु सदन से बाहर उनकी स्नेहशीलता पर हम सभी मुग्ध थे।

मैं इन तथ्य की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् और जिस प्रकार से वह इस्पात उद्योग का नवीकरण करने तथा उसे पुनर्गठित करने के कार्य में लगे थे उसमें उनका व्यक्तित्व अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा मजदरों से पृथक एक मंत्री का आडम्बर पूर्ण व्यक्तित्व नहीं था। यह उनकी चारित्रिक विशेषता थी कि जब कभी वे किसी कोयला क्षेत्र में अथवा किसी इस्पात मिल में गये, प्रत्येक जगह वे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मजदरों से व्यक्तिगत रूप में मिलते थे और उनमें एक ध्येय की भावना पैदा करते थे। यह उनकी चिताकर्षक विशेषता थी। मेरा विचार था कि वह न केवल अपनी गतिशीलता और व्यक्तिगत सम्पर्क एवं प्रयासों से अपितु श्रमिकों तथा अपने अन्य साथियों में अपनी भावना भरके कोई ठोस कार्य कर सकेंगे।

श्री बालदण्डायुतम, साम्यवादी दल के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। अपने क्षेत्र में दलित वर्ग के लिये उन्होंने बहुत कुछ किया।

डा० (कर्नल) राजू से मैं बहुत निकट से परिचित हूँ। उन्हे लोकसभा के लिये तीनबार निर्वाचीत होने का सम्मान प्राप्त हुआ परन्तु वास्तव में उनका सम्मान आजाद हिन्द फौज के एक कर्नल के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में निहित है। वर्षों तक वह नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के व्यक्तिगत चिकित्सक रहे। वह कहा करते थे कि नेताजी के विषय मे वह अपने व्यक्तिगत स्मरण लिपिबद्ध करेंगे। उन्होंने कई बार बताया कि वह नेताजी से चायके कई प्याले पीने के लिये मना किया करते थ। उन्होंने बताया कि जब तक उन्हें आधीरात्रीतक अथवा आधीरात्री के पश्चात् तक कार्य करना होता था, वह चायके 30 प्यालें तक ल लेते थे और यदि पूरी रात्रि कार्य करना होता था तो चाय के प्यालों की संख्या 50 तक पहुंच जाती थी। उनके जीवन की इन छुट-पुट बातों में एक व्यक्ति के जीवन की महानता निहित है। उनकी इच्छा थी कि वह नेताजी के विषय में अपने व्यक्तिगत स्मरण लिपिबद्ध करेंगे परन्तु वह ऐसी नहीं कर सके। वे एक साहसिक रचनात्मक कार्यकर्ता थे, स्वभाव के शान्त थे और अपने क्षेत्र के लोगों के लिये उन्होंने बहुत से कार्य किये ।

श्री डी० आर० चव्हाण जब पुनर्वासमंत्री थे तब मैंने उनमें बहुत सी विशेषतायें पायीं। जब कभी मैंने उनसे दुर्भाग्यशाली शरणार्थीयों के बारे में बात की तो मैंने उनमें मानवीय हितों के प्रति बड़ी रुची पायी। उन्होंने दिखाया कि वे सामान्य तथा दलितवर्ग के लिये सहृदय थे।

श्री अबीदअली को मैं व्यक्तिगत रूप से तो जानता नहीं, परन्तु इतना मुझे ज्ञात है कि उन्होंने सामान्य लोगों के बीच से एक श्रामिक नेता के रूप में ख्याति प्राप्त की। वह श्रामिक आन्दोलन से संबद्ध नहीं थे परन्तु फिर भी श्रामिक वर्ग के बीच से एक श्रमिक नेता के रूप में सामने आये।

गुरुजी गोलवलकर यद्यपि एक विद्वान थे परन्तु फिर भी विद्वानों की भांति उन्होंने एकान्तवास का जीवन व्यतीत नहीं किया। वे देशभक्त थे और उन्होंने अन्तिम चार दशाब्दियों में देश के हजारों नवयुवकों में देशभक्ति की भावना राष्ट्रीय कार्यों के लिये उत्सर्ग तथा सेवा की भावना भरी ।

श्रीमान्, मैं अपने दल की और से दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोकसंतप्त परिवारों के सदस्यों को अपनी गहन सम्वेदना प्रेषित करता हूँ।

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर) : श्रीमन् मैं संयुक्त निर्दलीय संसदीय दल की ओर से इन मित्रों नेताओं तथा देशभक्तों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ ।

श्री कुमारमंगलम् तथा श्री बालदण्डायुतम की मृत्यु अत्यन्त दुःखद परिस्थितियों में हुई। किसी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसे महान पुरुष इतनी शीघ्र एक दुःखद दुर्घटना में भारत की राजनीति से विलुप्त हो जायेंगे। उनकी मृत्यु से कुछ ही सप्ताह पहले एक सार्वजनिक समारोह में मुझे उनके बराबर वाली सीट पर बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ था। वह संसद् के प्रतिभाशाली सदस्यों में से एक थे। उनकी व्यक्तित्व गतिशील था, उनका मस्तिष्क बहुत ही स्पष्ट तथा बहुमुखी था। मुझे उनके पिता डा० सुब्रायन से परिचित होने का भी सम्मान प्राप्त है। इस समय जबकि देश को उन जैसे बड़े नेताओं की आवश्यकता है, कुमारमंगलम् की मृत्यु से एक ऐसा अभाव हो गया जो बहुत दिनों तक नहीं भुलाया जा सकता ।

श्री डी० आर० चव्हाण, श्री डी० एस० राजू और श्री अबिदअली हमारे पुराने साथी एवं मित्र थे, बहुत अच्छ व्यक्ति और अपने समय म कुशल मंत्री थे। उनका अभाव बहुत दिनों तक नहीं भुलाया जा सकता। इन महापुरुषों का निधन एक व्यक्तिगत हानि ही नहीं है अपितु देश की हानि है।

गुरुजी गोलवलकर एक महान राष्ट्रीय नेता थे और वह उन गिने माने महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने देश को आत्मबलिदान का पाठ सिखाया।

ऐसे समय में जब भारत उनकी सेवाओं से लाभान्वित हो सकता था, ये महापुरुष हमें छोड गये और कठिनाई के समय देश को आगे बढ़ाने का भार हम पर छोड़ गये।

मैं अपने दल की ओर से अनुरोध करता हूँ कि आप शोक संतप्त परिवारों को हमारी गहन सम्वेदना प्रेषित करें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (कोज़ीकोड) : अध्यक्ष महोदय, गत दो माह के दौरान अन्तः सत्रावधि में देश के महान पुरुषों के निधन पर जो अपने प्रधान मंत्री ने तथा सदन के अन्य साथियों ने शोक व्यक्त किया है मैं भी उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ।

हालही में जो महानपुरुष हमें छोड़ गये हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जहाँ तक श्री कुमारमंगलम् का संबध है वह एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने एक कुशल वकील, कुशल पत्रकार, कुशल श्रमिक नेता तथा कुशल मंत्री के रूप में देश की विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की है। बोइंग दुर्घटना ने प्रतिभाशाली व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया और उनके निधन ने देश में एक बहुत बड़ा अभाव छोड़ दिया है।

श्री बालतण्डायुतम निष्ठावान समाजवादी, दृढविश्वासी तथा साहसिक व्यक्ति थे। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे।

डा० डी० आर० चव्हाण ने, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य, संसद सदस्य तथा विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में देश की विभिन्न प्रकार से सेवा की। वह विनम्र तथा विनोदप्रिय व्यक्ति थे।

डा० डी० एस० राजू ने भी एक कुशल डॉक्टर के रूप में देश के बहुत से सामाजिक तथा स्वास्थ्य संगठनों में देश की सेवा की। जैसा कि बताया जा चुका है, वह आजाद हिन्द फौज से संबद्ध थे और उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिये महान बलिदान किये।

जहाँ तक श्री अबिदअली का संबन्ध है, मैं कुछ वर्ष पहले राज्यसभा में उनके साथ था। मैं वास्तव में उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। यद्यपि हमारे राजनैतिक दृष्टिकोण में मतभेद रहे परन्तु फिर भी मैं श्री अबिदअली के दृढविश्वास तथा देश की स्वतंत्रता के लिये किये गये बलिदानों के लिए उनका आदर करता हूं। वे खिलाफत आंदोलन से ही स्वतंत्रता सैनानी रहे और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।

इन शब्दों के साथ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे दल की और से मृतकों के शोक संतप्त परिवारों को हमारी सम्वेदना प्रेषित करें।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, श्री मोहन कुमारमंगलम्, श्री बालतण्डायुतम, श्री डी० आर० चव्हाण, डा० डी० एस० राजू, श्री अबिद अली और श्री गोलवलकर के निधन पर सदन के नेता ने, आपने तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं अन्ना द्र० मु० क० की ओर से उनसे अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्री कुमारमंगलम् एक उत्कृष्ट कोटि के वकील, योग्य प्रशासक, कुशल वक्ता तथा चतुर वादी थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ, साहसी, ईमानदार तथा निष्ठावन व्यक्ति थे। एक वकील तथा मद्रास सरकार के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) के रूप में उन्होंने देश में बहुत अच्छा कार्य किया और इन सभी दिशाओं में उनकी योगदान सराहनीय है। यह अत्यन्त दुखदायी बात है कि उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई जब देश को उनकी बड़ी आवश्यकता थी। उनकी भावना निष्ठावान होती थी और निष्ठा भावनापूर्ण। श्री इन्द्रजीत गुह ने कहा कि श्री कुमारमंगलम् का निधन उनके दल की निजी हानि है। मैं भी यही बात करता हूँ कि उनका निधन अन्ना द्रमुक दल की निजी हानी है। वह त्यागी तथा निष्ठावान व्यक्ति थे। वे श्रमिक वर्ग के कल्याण कार्यों में रत एक दृढप्रतिज्ञ थे।

श्री बालतण्डायुतम् मेरे एक अच्छे साथी थे। वह भूतकाल में दलितवर्ग के कल्याण के लिये निर्भर होकर संघर्ष करते रहे। उनका जीवन परिक्षणों, कष्टों तथा चुनौतियों से परिपूर्ण था। उन सभी का उन्होंने साहस से सामना किया और सफलतापूवक जीवन यापन किया। वह सर्वहारा वर्ग के साहसी चम्पियन थे और उनके निधन से मजदूर संघ आन्दोलन को बड़ा आघात पहुंचा है।

श्री डी० आर० चव्हान एक बहुत अच्छे प्रशासक थे और जब तक वे मंत्री रहे बहुत विनोद प्रिय व्यक्ति प्रमाणित हुये।

मैं, डा० राजू, अबिदअली और गोलवलकर सभी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूँ और अपने दल की और से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों को हमारी हार्दिक सम्वेदनायें प्रेषित करें।

श्री एन० श्रीकान्त नायर (क्वलोन) : अध्यक्ष महोदय, आपने तथा बहुत से अन्य साथियों ने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं मैं अपने दल की ओर से अपने को उनसे संबद्ध करता हूं। श्री गोलवालकर के अतिरिक्त अन्य सभी नेताओं से हमारा बहुत समय से संपर्क था। श्री चव्हाण से हम लगभग 1935 से श्री खाडिलकर के साथ तत्कालिन किसान तथा मजदूर दल के नेता के रूप में परिचित थे और जसे ही इन महानुभावों ने भारतीय राजनिति में प्रवेश किया हमने इनके साथ कार्य किया। ये सभी दलितवर्ग तथा मजदूर वर्ग के कल्याण के लिये कार्य करते रहे। वे हमारे प्रिय मित्र थे उनका निधन एक राष्ट्रीय हानि होते हुए भी हमारी व्यक्तिगत हानि है। अत: इन महापुरुषों के निधन पर मैं अपने दल की तथा अपनी स्वयं की सम्वेदना प्रकट करता और आशा करता हूं कि आप शोक संतप्त परिवारों को मेरी सम्वेदना प्रेषित करेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज जो महापुरुषों के निधन पर हम शोक व्यक्त कर रहे है मैं भी आपके सदन के नेता के तथा अन्य सम्मानित साथियों के साथ उससे संबद्ध होता हूँ। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कई योग्य भारतीयों का निधन हुआ है। दु:ख की बात यह है कि उनमें से कुछ महानपुरुषों की मृत्यु भयानक वोइंग दुर्घटना में हुई है। हमार कुछ साथी दुर्घटना में बच गये इसके लिये हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं परन्तु फिर भी दुर्घटना में दो महान साथियों की मृत्यु होने का बहुत बड़ा दु:ख है।

ऐसा विश्वास नहीं होता कि श्री कुमारमंगलम् हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्री कुमारमंगलम् के अन्दर एक धर्म की भावना थी और उनमे अपने विश्वासों के प्रति साहस था। उनकी प्रखर बुद्धि, नि:सन्देहवादी प्रतिभा, पांडित्य तथा विद्वत्ता सदैव स्मरण रहेगी और आगामी पीढ़ियों द्वारा मानी जायेगी। उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, वह सदैव मुस्कराते रहते थे और जब कहीं भी चाहे सदन में, चाहे लाबी में, चाहे सेन्ट्रल हाल में, कोई उनसे मिलता था वह उसके साथ विनोद करते थे।

श्री बालतण्डायुतम दलितवर्ग के चैम्पियन थे। दलितवर्ग की सेवा के लिये वे सदैव स्मरण रहेंगे। श्री डी० आर० चव्हाण विनम्र संसदविज्ञ, निष्ठावान, कठोर परिश्रमी, शान्त तथा किसानों और मजदुरों के मित्र थे। डा० राजू एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और आन्ध्रप्रदश के नेता थे। श्री अबिदअली मजदूर संघ आन्दोलन के प्रति जीवन पर्यन्त निष्ठावान रहे। श्री एस० एन० मिश्र ने अभी बताया है कि उन्होंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है। मैंने इसे गुजराती भाषा में पढ़ा है। इसके पढ़ने से पता चलता है कि एक निष्ठावान व्यक्ति अपनी योग्यता तथा निष्ठा से किस प्रकार उन्नति के चरमशिखर पर पहुंच जाता है। वह एक महान राष्ट्रवादी थे।

श्री एम० एस० गोलवलकर, जो गुरूजी के नाम से विख्यात थे, अपनी निसन्देह देशभक्ती के लिये प्रसिद्ध थे। उन्होंने देश के युवकों तथा नागरिकों को अनुशासन का पाठ सिखाया तथा राष्ट्रीयचरित्र का निर्माण किया और वह भी सादा जीवन उच्चविचारों के सिद्धान्त पर जो

अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक योगी का जीवन बिताया। भारत के ये सभी महानपुरुष जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह स्वाभाविक है कि हमारा किसी न किसी प्रकार से इन महापुरुषों से मतभेद है। परन्तु मतभेद और विरोध लोकतांत्रिक भावना और प्रजातांत्रिक समाज का अभिन्न अंग तथा सार हैं। हम इस सदन में एक दूसरे के विचार जानने के लिये मिलते जुलते हैं। देश की समस्याओं की विभिन्न व्यक्तियों से अभिव्यक्ति मिलती है। देश का सार्वजनिक जीवन इन महापुरुषों की मृत्य के परिणामस्वरुप अभावग्रस्त हो गया है और इस बात का ध्यान रखने के लिये, कि विभिन्नतायें तथा मतभेद और प्रजातांत्रिक भवना तथा जीवित समाज सदैव के लिये ही समाप्त न हो जाये, हमारे कन्धों पर अधिभार आगया है। मैं आपसे अनुरोध करता हुं कि आज देश के इन दिवंगत महापरुषों के शोक संतपापरिवारों को मेरी व्यक्तिगत हानि की भावना तथा सदन की सम्वेदना और हार्दिक सहानुभुति प्रेषित करें।

Shri S. A. Shamin (Sri Nagar) : Mr. Speaker, Sir, I rise to express my sense of sorrow at the terrible and unexpected tragedy which has enveloped the minds of all the countrymen. The demise of two eminent colleagues is more painful and mor tragic because of their unnatural death. Death is a natural phenomenon but the death of these two eminent and illustrious personalities in a way, if examined with all the attention, is not less than a murder. The report of the enquiry commission has made this sorrow all the more severe. The charming and courageous personality of Shri Kumarmangalam could have been amongst us, had the captain of Indian Airlines tried to discharge his responsibilities honestly. Shri Kumarmangalam is no more amidst us and we can not see his enlightened face and smiling lipse anymore. You can not assess the sense of my sorow, not because I was related to him in any way but because one had to elevate himself in order to oppose him. We are sorry that his brave soul is no more amongst living beings. His debating gestures and smiling face will be missed by us all for long.

Shri Baldhandayutham used to sit in my right seat. I am not aware of his personal life. But the gentlemanly expressions of his face, if not rare, are definitely successful in this world. He was very conscious towards his sense of responsibilities. His death is a national loss.

About the other people Shri Abid Ali, Dr. Raju and Shri D.R. Chavan, I bemoan the death of all these people. This sorrow becomes all the more severe when every time with the beginning of session, we are reminded that the life is too short. The demise of all these people teaches a lesson that the life is too short and therefore, we should dedicate ourselves to public services which are the only deeds to be remembered after the death. We should not only express our grief but beg pardon of the bereaved families and pray God to bless them peace and consolation.

अध्यक्ष महोदय : अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिये सदन के सदस्य कुछ देर मौन खडे रहेंगे।

तत्पश्चात सदस्य गण कुछ देर मौन खडे रहे।
The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डाक्टरों द्वारा शिशु, जन्म से पूर्व उसका लिंग बताया जाना

*1. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डाक्टरों ने यह घोषणा की है कि वे शिशु के जन्म से पूर्व उसका लिंग बता सकते हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) इस संस्थान के डाक्टरों के विचार से बच्चे के जन्म से पूर्व यह बताया जा सकता है कि वह लडका होगा या लडकी। इसके लिये सूई से पेट के अन्दर बढते हुए बच्चे के इर्द गिर्द वाला थोडा सा तरल पदार्थ निकालना पडता है। इस तरल की जांच करके, वह लडका होगा या लडकी यह निश्चित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नये विश्वविद्यालय खोलने की योजना

***2. श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री नवल किशोर सिन्हा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देश में नये विश्वविद्यालय खोलने की योजना है,

(ख) पांचवी योजना में किस प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, उनके नाम क्या होंगे तथा वे कहां कहां स्थापित होंगे, और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन/जिले में पांचवी योजना के दौरान एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो वहां स्थापित किया जाने वाला विश्वविद्यालय किस प्रकार का होगा और इस विश्वविद्यालय को किस वर्ष में स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) संबंधित राज्य विधानों के अधिनियमों द्वारा राज्य विश्वविद्यालय स्थापित और इनकार्पोरेट किये जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में अन्य बातों के साथ साथ इसकी भी व्यवस्था है कि नये विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में यदि कोई सलाह मांगी जाए तो आयोग किसी भी प्राधिकारी को सलाह दे सकता है।

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए निम्नलिखित प्रस्तावों पर आयोग विचार कर रहा है :

(1) त्रिपुरा (त्रिपुरा सरकार) में विश्वविद्यालय,

(2) और (3) महाराष्ट्र (महाराष्ट्र सरकार) में दो विश्वविद्यालय,

(4) (धारवाड़) मैसूर राज्य (मैसूर सरकार) में कृषि विश्वविद्यालय,

(5) मैसूर राज्य (मसूर सरकार) में तकनीकी विश्वविद्यालय,

(6) तमिलनाडु (तमिलनाडु सरकार) में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

(7) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सरकार) में विश्वविद्यालय,

(8) और (9) उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सरकार) के गढ़वाल डिवीजन और कुमायूं डिवीजन में एक-एक विश्वविद्यालय,

(10) आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश सरकार) में संस्कृत विश्वविद्यालय, और

(11) गोआ (गोआ प्रशासन) मे विश्वविद्यालय।

नये विश्वविद्यालय के रूप, स्थापना की तारीख और स्थान-निर्धारण के बारे में निर्णय करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है ।

पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

खरीफ फसल के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

***3 श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने धान, मक्का, ज्वार तथा खरीफ फसल के अन्य अनाजों के लिए पर्याप्त रूप से वसूली के एक जैसे ऊंचे मूल्यों की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई है और उन पर क्या निर्णय लिए गए है, और

(ग) मोटे अनाज के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अधिप्राप्ति मूल्यों के रूप में आयोग द्वारा अभिस्तावित धान, ज्वार और मक्का के लिए 63 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 65 रूपये प्रति क्विंटल और रागी की मानक किस्मों के लिए 621 रुपये प्रति क्विटल मूल्य को सहाय्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है । सरकार ने छोटे मिलेट (कोदो–कुटकी) का 55 रुपये प्रति क्विटल सहाय्य मूल्य निर्धारित करने का भी निर्णय किया है ।

(ग) सरकार ने खरीफ उत्पादन कार्यक्रमों को गठित करने के लिए सभी आवश्यक पग उठाए है । मूल्यों में स्थिरता की आशा उत्पादन की बेहतर संभावनाओं और अन्य उपायों सहित व्यापक अधिप्राप्ति प्रयत्न करने पर ही की जा सकती है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोंडा जिले में नवाबगंज से आगरा भेजी गई चीनी की बोरियों का गुम हो जाना

***4. श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोंडा जिले में नवाबगंज से आगरा भेजी गई चीनी की सौ बोरियां रास्ते में गुम हो गई थी और उन्हें 4 जून, 1973 को काले बाजार में कानपुर में बेचा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 19 मई, 1973 को नवाबगंज से आगरा को सड़क द्वारा भेजे गए चीनी के 100 बोरे गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचे थे। जांच करने से पता चला की इन बोरों को ले जा रहा ट्रक कानपुर की म्युनिसिपल सीमा के अन्दर पहुंचा था लेकिन उसके बाहर नहीं गया

था। 3 जून, 1973 को कानपुर की पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420 के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए है। सम्बन्धित परिवहन ठेका भी निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा ठेकेदार को देय सभी भुगतान रोक देने और उससे लागत आदि को वसूल करने के बारे में कार्यवाही की गई है।

प्रत्येक राज्य में गेहूं की वसूली के लक्ष्य का पुरा होना

*5. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं की वसूली के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) क्या कोई भी राज्य सरकार गेहूं की वसूली के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली करने में सफल नहीं रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्रत्येक राज्य से कितनी-कितनी वसूली की गई है, और

(घ) गेहूं की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य और 20-7-1973 तक गेहूं की अधिप्राप्त की गई मात्रा को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। अधिप्राप्ति मौसम अभी भी चल रहा है और गेहूं अधिप्राप्त करने के प्रयत्न जारी है।

(घ) सरकार अधिप्राप्ति करने के प्रयत्न जारी रखकर और आवश्यक सीमा तथा खाद्यानों का आयात कर गेहूं की सप्लाई की कमी को पूरा करने का विचार रखती है।

विवरण

1973-74 के रबी मौसम के दौरान 20 जुलाई, 1973 को गेहूं की अधिप्राप्ति बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

क्रम संख्या	राज्य	कार्यचालन लक्ष्य 1973-74	अधिप्राप्ति 1973-74
1.	असम	20	0.8
2.	बिहार	600	49.1
3.	गुजरात .	150	negligible
4.	हरयाणा	1300	564.5
5.	हिमाचल प्रदेश	60	1.8

क्रम संख्या	राज्य	कार्यचालन लक्ष्य 1973–74	अधिप्राप्ति 1973–74
6.	जम्मू-काश्मीर	40	17.1
7.	मध्य प्रदेश	400	191.1
8.	महाराष्ट्र	..	11.0
9.	पंजाब	3300	2575.8
10.	राजस्थान	300	144.8
11.	उत्तर प्रदेश	1800	750.4
12.	प० बंगाल	100	0.3
13.	दिल्ली	30	0.2
14.	चण्डीगढ	..	0.3
15.	उडीसा	18	0.3
	कुल	8118	4307.5

मोटे अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेने के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध

*6. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने मोटे अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कुछेक राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में कभी कभी वक्तव्य दिए है । लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मोटे अनाजों का थोक व्यापार लेने के बारे में कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान पदवी की मांग

*7. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बराबर की पदवी दिये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके लिए कौन से तर्क दिये है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों ने वेतन के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ समानता का अनुरोध किया है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के अभ्यावेदन पर तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करते समय विचार किया जाएगा।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के समान दर्जा देने की अपनी मांग के समर्थन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ अधिकारियों की एसोसिएशन ने कहा है कि "एक विशेषज्ञ डाक्टर सेवा अथवा आयु की किसी भी तुलनीय अवधि में पदवी अथवा वेतन के मामले में प्रशासनिक सेवा अधिकारी से निम्न नहीं समझा जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रवेश-पूर्व श्रमसाध्य अर्हताएं और यह तथ्य कि आरम्भ से ही विशेषज्ञ अधिकारियों को क्षेत्रीय का करना पडता है और अपने सेवा के दौरान हमेशा इन्हें क्षेत्रीय कार्य करते रहना पडेगा, तथा वे कार्य–अत्याधिक कठिन परिस्थितियों में करने पडते है जिसकी हमेशा जनता, प्रेस तथा संसद द्वारा जांच और आलोचना होती है और विशेषज्ञों को दिन रात, समय असमय काम करना पडता है और अकसर अपने साप्ताहिक अवकाश के दिनों अथवा अन्य छुट्टियों का त्याग करना पडता है तथा उन्हें अपने कार्यों को एक बडी उच्च व्यासवसायिक तथा शैक्षिक पारंगतता से करना पडता है और उन्हें उच्चतर सामाजिक और मानवीय महत्व का कार्य निरंतर करना पडता है, हमारे विचार में ये कारण हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समकक्ष कम से कम निम्न तो नहीं, रखने के लिए पर्याप्त है।

राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये पाठ्य-पुस्तकें तैयार किया जाना

*8. श्री **नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अच्छी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने में क्या प्रगति की है, और

(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र द्वारा एकत्र की गई पुस्तकें भावी लेखकों अथवा कालेज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) और (ख) राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शिक्षा साधन केन्द्र जुलाई, 1972 में स्थापित किया गया था, साधन केन्द्र के उद्देश्य इस प्रकार है :—

(i) भारत में प्रकाशित सभी विषयों तथा सभी प्रादेशिक भाषाओं में समस्त विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तथा विदेशी पुस्तकों के सस्ते संस्करण एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, तथा

(ii) भारत में आयात की गई पुस्तकों तथा अन्य सामग्री सबन्धी आंकडों का विश्लेषण करना

केन्द्र यह आशा करता है कि छात्र, तथा पाठय पुस्तकों के लेखक शिक्षा साधन केन्द्र में उपलब्ध सामग्री का लाभ उठाएंगे तथा इस उद्देश के लिए उक्त केन्द्र न निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की है :—

(क) विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं तथा अंग्रेजी में लगभग 28,000 पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध है,

(ख) संदर्भ ग्रंथों को ढुन्ढने में लेखकों तथा शोध छात्रों की सहायता करने हेतु बंगाली, गुजराती, हिन्दी, मराठी, पंजाबी तथा उर्दू जानने वाले कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं,

(ग) केन्द्र ने अब तक विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के राष्ट्रीव सूचीपत्रके १० पूरक पुस्तकें निकाली है, तीन संयुक्त कार्यक्रमों जिनके नाम अंग्रेजी भाषा पुस्तकें सोसायटी सीरीज, भारत रूस तथा भारत अमरीकी पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम है, के अन्तर्गत सस्ते प्रकाशनों की विस्तृत जानकारी सहित एक समेकित सूचीपत्र निकाला है जिसमें कोइ पुस्तकें तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें तथा अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों की ग्रंथसचियां तथा अनुसंधान की रीति विज्ञान सम्मिलित है।

केन्द्र के अंतर्गत जो पुस्तकालय है, वह अनिवार्य रूपसे विश्वविद्यालय स्तर की पाठय पुस्तकों का संदर्भ पुस्तकालय है । इस समय इस केन्द्र में ऋण पर पाठ्य पुस्तकें देने वाले एक अनुभाग खोलने का भी प्रस्ताव है ।

Persons provided with employment as a result of take over of Trade in wheat

9. **Shri Lali Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons who got employment in the various States as a result of the take-over of the wholesale trade in wheat; and

(b) the number of persons likey to get employment thereunder during the next one year?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Under the take over of wholesale trade in wheat procurement of wheat was to be made by the departmental agencies of the State Governments, the Food Corporation of India, State Marketing Cooperative Federations and other public agencies designated for the purpose by the State Governments. The agencies had aeready necessary organizational set-up for the purpose. Additional recruitment of the Staff, if any, would be only marginal and it would take some time to collect precise information.

कृषि पोलिटेकनिक की स्थापना

***10. श्री एस रामगोपाल रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कृषि पोलिटेकनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पोलिटेनिक के लक्ष्य और उद्देश क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां

(ख) कृषि पोलिटेकनिक (कृषि विज्ञान केन्द्रों) के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये जा रहे है :

1. स्कूली शिक्षा के बाद, माली, ट्रैक्टर ड्राइवर, मैकनिक, फार्म मैनेजर, स्टाकमैन, डेरीपन तथा लेबोरेटरी टेकनिशियन, आदि कृषि तथा सम्बद्ध विषयों में मध्यम स्तर के कुशल श्रमिकों तथा तकनिशियनों को प्रशिक्षण देना ।

2. आठवी कक्षा स्तर के बाद पढाई समाप्त करने इच्छूक युवकों को व्यावसायिक कृषि सबन्धी शिक्षा प्रदान करना ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में 15-25 वर्ष की आयु मे स्कूल छोडने तथा मैट्रिक पास करने के बाद कालिज में दाखिल न होने वालों को निरन्तर शिक्षा प्रदान करना ।

4. ग्रामीण युवकों में स्वतंत्र रोजगार की क्षमता बनाने के लिये नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों तथा तकनीकों के सम्बन्ध में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना ।

5. चुने हुए कृषको के लिये नवीनतम कृषि तकनोलोजी में विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

6. निरक्षर कृषकों को नई कृषि तकनोलोजी का ज्ञान प्रदान कराने के लिये तकनीकी साक्षरता अभियान को तेज करना ।

अफ्रीका के पूर्वी तट से थोडी दूर यात्री एवं मालवाहक जहाज "सऊदी" का डूब जाना

*11. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल मे अफ्रीका के पूर्वी तट से थोडी दर सरकार की मुगल लाईन, लिमिटेड का यात्री एवं मालवाहक जहाज 'सऊदी' डूब गया था,

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितनी जाने गई और कितने व्यक्ती लापता है, और

(ग) इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, 28 व्यक्ति लापता है, तथा 59 व्यक्ति बचा लिए गये है ।

(ग) व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 360 के अंतर्गत एक औपचारिक जांच जो एक अदालती जांच के प्रकार की है, के लिए आदेश दे दिये गये है । दुर्घटना के ठीक कारण जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही मालूम होगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षित लोगों के लिए रोजगार की योजना के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया

*12. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृती** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षित लोगों के लिए रोजगार की योजना के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है,

(ख) यदि हां, तो व्यवसाय वार कितने-कितने प्रशिक्षाणार्थी प्रत्येक राज्य ने भर्ती किए हैं, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इनके लिए क्या कारण बताए गए है ;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) यह योजना, योजना आयोग द्वारा संचालित की जा रही है। (क), (ख) और (ग) भागों पर योजना आयोग से प्राप्त सूचना इस प्रकार से है :

(क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच, योजना आयोग द्वारा की जा रही है तथा कुछ राज्यों और संघ क्षेत्रों को संस्वीकृति जारी कर दी गई है। शेष प्रस्ताओं को अभी जांच की जा रही है। योजना की प्रगति में अभी कुछ समय लगेगा ।

(ग) प्रश्न नई उठता ।

पांचवी योजना में श्रमजीवी व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण

*13. **श्री सरजू पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मकानों का निर्माण करने के पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन की अनुमानित लागत कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में सेन समिति का प्रतिवेदन

*14. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में सेन समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिये है और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और सरकार कब तक अपने निर्णय की घोषणा कर देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में सेन समिति की रिपोर्ट सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

वर्ष 1973 में अनाज का आयात

*15. **श्री के० एस० चावडा :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 के बाद वास्तव में कुल कितने अनाज का आयात किया गया है ;

(ख) चालू वर्ष में देश की आवश्यकता-पूर्ति के लिये कितना अनाज आयात किया जायेगा ;

(ग) गेहूं किन देशों से आयात किया जायेगा ; और

(घ) इस अवधि में इस संबंध में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जनवरी-जून, 1973 की अवधि मे लगभग 13.5 लाख मी० टन खाद्यान्न यहां आ गये हैं ।

(ख) से (घ) गेहूं सहित खाद्यान्नों की केवल ऐसी मात्राओं, जिनकी सरकारी वितरण प्रणाली जारी रखने में आवश्यकता हो सकती है, का ही यथा सम्भव सब से अच्छी शर्तों पर उन देशों से आयात किया जाएगा जहाँ उसके स्टाक उपलब्ध हैं । कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेन्टाइना से खाद्यान्नों के आयात किए जाने की सम्भावना है । आयात करने संबंधी लागत, मुल्यों के उस स्तर पर निर्भर करेगी जिस पर खरीद की जाएगी ।

गहूं की दोहरी मार्कीट तथा मूल्य प्रणाली से फायदा उठाना

*16. **श्री मधु दण्डवते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के बाद सरकार द्वारा लागू की गई दोहरी मार्कीट तथा मूल्य प्रणाली से गरीब उपभोक्ताओं का अहित करके फायदा उठाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के गरीब वर्ग को होने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं का थोक व्यापार लेने की योजना के अधीन सरकारी वितरण प्रणाली के अलावा, लाइसेंसशुदा खुदरा व्यापारियों को कार्य करने की अनुमति है लेकिन उनके स्टाक रखने अथवा सौदा करने के बारे में स्टाक संबंधी उचित प्रतिबंध है । इसका जारी रखना उन लोगों को खाद्यान्नों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जो या तो इसे चाहते नहीं है अथवा सरकारी वितरण प्रणाली से सप्लाई लेने में असमर्थ हैं या जो अपनी आवश्यकता में वृद्धि करना चाहते हैं । तथापि, उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाइसेंसशुदा खुदरा व्यापारी, अधिकतम खुदरा मूल्यों जिसे अधिकांश राज्यों में घोषित किया गया है और जो सामान्यत: सरकारी वितरण प्रणाली के लिए व्यवहार्य निर्गम मूल्य के अनुरूप हैं, पर देने के लिए बाध्य हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश के सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

*17. **श्री भोला मांझी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश के सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए 100 स्थायी पद बनाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यप्रभारित कर्मचारियों के सभी वर्गों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है तथा परिचालित कर दी गई है ; और

(ग) क्या सभी पात्र कर्मचारियों को इन 100 स्थायी पदों पर स्थायी बना दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) 4 मई, 1968 को औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक दोनों वर्गों के लिये कुल 100 स्थायी पद बनाए गए थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अब तक 57 कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है । शेष 43 कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका क्योंकि चरित्र तथा पूर्ववृत्त की जांच तथा चिकित्सा-परीक्षा जैसी कुछ औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हुई थीं । इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए तथा उनको यथा सम्भव शीघ्र स्थायी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

राजस्थान में अकाल की स्थिति और उसके लिए केन्द्रीय सहायता

*18. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' के 'सण्डेवर्ल्ड' में श्री सुधीर दर द्वारा 'फेस टू फेस विद फेमिन' शीर्षक से प्रकाशित अध्यायन की ओर दिलाया गया है जिसमें राजस्थान में अकाल की भीषण स्थिति का और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक कमी की समस्या का चित्रण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य को स्थिति का मुकाबला करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और इस वर्ष राजस्थान में कौन से अकाल राहत कार्य अब तक किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता की स्थिति इस प्रकार है :—

राज्य सरकार को सूखा राहत उपायों के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है । इसके अलावा, विशेष लघु सिंचाई कार्यों और कृषि आदानों के लिए क्रमशः 3.89 करोड़ रुपये और 4 करोड रुपये दिए गए हैं ।

2. पेयजल सप्लाई करने की व्यवस्था और मवेशी संरक्षण और चारे की व्यवस्था करने के लिए क्रमश: 2.28 करोड़ रुपये और 1.13 करोड़ रुपये के खर्चे की विशेष सीमा अपनाई गयी है ।

3. जनवरी से मई, 1973 के दौरान राजस्थान सरकार को 2.40 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए हैं । मई, 1973 से राज्य को खाद्यान्नों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई थी जबकि 71,700 मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे । जून और जुलाई, 1973 में राज्य सरकार को क्रमश: 90,000 मीटरी टन और 70,000 मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं ।

4. राज्य सरकार ने कई राहत कार्य किए हैं जैसे कि प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए राहत कार्य खोलना, मुफ्त सहायता देना, पेय जल की सप्लाई के लिए प्रबन्ध, चारे आदि की सप्लाई के लिए प्रबन्ध करना । राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या दिसम्बर, 1972 के 0.75 लाख से बढ़कर जून, 1973 में 12.85 हो गयी थी ।

गन्ने के मूल्य में वृद्धि

*19. **श्री बक्शी नायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गन्ने के मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसका प्रभाव देश में चीनी के मूल्यों पर पड़ेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। 1973-74 के लिए गन्ने का मूल न्यूनतम मूल्य 1972-73 के स्तर पर ही निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खरीफ की फसल से चावल के थोक व्यापार का सरकारीकरण

*20. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल का थोक व्यापार सरकार द्वारा खरीफ की फसल से अपने हाथ में ले लिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है ?

कृषी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जैसा कि संसद के पिछले अधिवेशन में पहले ही घोषणा की गई थी कि खरीफ मौसम 1973 से धान और चावल के थोक व्यापार लेने के बारे में किए गए निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कार्यचालन संबंधी ब्यौरे सरकार के विचाराधीन हैं और उनको राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जायेगा।

To be Answered on the 23rd July 1973

Wheat Purchased From U.S.A.

1. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Ministei of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat purchased from U.S.A. by the Government of India, year-wise during the last three years; and

(b) the value thereof in terms of Indian currency ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The quantity of wheat purchased from U.S.A. together with its value during the last three years is given below:

Year	Quantity (in lakh tonnes)	Value (in crores of rupees)
1970	25.53	142.13
1971	12.34	77.42
1972	0.71	3.52

सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाएं

2. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वर्ष में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विभागों द्वारा राज्यवार हाथ में लिये गये सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण की परियोजनाओं के नाम क्या हैं और विगत वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े तथा ऐसे केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान प्रत्येक सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण पर कितनी लागत आई तथा उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं, और

(ग) मंत्रालय की योजनानुसार प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, मध्य भारत, आदिम जातीय क्षेत्रों की परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक केन्द्र के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार कितनी-कितनी धनराशि देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत सरकार ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में न तो कोई सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं और न ही, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Anti-Hoarding Raids in Delhi and Adjoining States

3. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether anti-hoarding raids were recently conducted in Delhi and adjoning States as result of which sugar, cement, wheat, vanaspati ghee and rice were recovered in large qauantities;

(b) if so, the b road outlines thereof;

(c) the value of the commodities recovered; and

(d) the action taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes Sir.

(b) to (d) A statement giving the required information received from the concerned State Governments and Delhi Administration is attached.

STATEMENT

Information regarding commodities seized, value thereof and action taken of afresult o raids conducted recently in Delhi, Haryana and Rajasthan.

S. No.	State/ Union Territory	Commodities seized and quantities thereof		Total value of commodities seized.	Action taken	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
				Rs.		
1	Delhi .	Sugar : Vanaspati	20 bags 457 tins	63,000	Case registered with Police against person concerned for hoarding of sugar.	

1	2	3	4	5	6	7
				Rs.	Licence of dealer in vanaspati cancelled and security of Rs. 1000/- forfeited.	
2	Haryana	Wheat Rice Maize Bajra Gram Sugar/ Suji/Maida	2296·50 Qtls 1444.10 Qtls. 902.70 Qtls. 555.00 Qtls. 101.90 Qtls. 137.00 Qtls.	5,38,072.00	161 cases registered 183 persons arrested.	The information given is for the period 1-5-1973 to 7-7-1973.
		Total	5,437·20 Qtls.			
3	Rajasthan	Foodgrains Sugar Cement Diesel	7,870 tonnes 277 Qtls. 680 Bags. 31,400 Litres	99,47,000	206 cares registered 209 persons arrested. 118 vehicles captured	the information given is for the period beginning from 1st January 1973.

गेहूं को वसूल करने में और इसकी वसूली के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने में भारतीय खाद्य निगम की असफलता

4. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम इस मौसम में दिल्ली तथा अन्य राज्यों से गेहूं वसूल करने में असफल रहा है जैसे कि उसने गत वर्ष किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष तथा गत वर्ष दिल्ली तथा अन्य राज्यों से कितना गेहूं वसूल किया है; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी वसूली के लिये प्रोत्साहन योजना लागू की है और क्या भारतीय खाद्य निगम ने इसे किसा ों को उपलबध किया है और यदि हां, तो गहूं की वसूली में भारतीय खाद्य निगम की असन्तोषजनक कार्य के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) यद्यपि इस वर्ष दिल्ली और कुछेक राज्यों मे समूची अधिप्राप्ति कम हुई है, फिर भी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जैसे कुछ अन्य राज्यों में पिछल वर्षकी अपेक्षा सुधार हुआ है।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या** एल० टी० 5139/73]

(ग) कई कारणों से अधिप्राप्ति आशा के अनुकल नहीं हुई है। जैसा कि अनुमानित उत्पादन में गिरावट आना, अन्य खाद्यानों के ऊंचे मूल्य रहना और बहतर मूल्यों की आशा में किसानों द्वारा स्टाक रोक लेना गेहुं के लिए घोषित प्रोत्साहन बोनस योजना का उद्देश राज्य सरकारों को अधिकतम अधिप्राप्ति करने के योग्य बनाया है ओर इस दिशा में अभी भी प्रयत्न जारी है।

केन्द्रीय निदेश के बावजूद भी गेहूं की वसूली मूल्य में वृद्धि

5. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय निदेश और समूचे देश के लिए गेहूं का वसूली मूल्य निर्धारित किए जाने के बावजूद भी कुछ राज्य सरकारों ने एक पक्षीय रूप से मूल्य बढ़ा दिये हैं जब कि अन्य राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नही दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने कितना वसूली मूल्य निर्धारित किया है और किन राज्य सरकारों ने इस निदेश का पालन नहीं किया है तथा उन्होंने कितना अतिरिक्त मूल्य दिया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने यह कहा है कि निर्धारित वसूली मूल्य से किसानों को अपना अनाज बचने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है और इसीलिए अधिकांश किसानों ने अनाज को जमा रख लियां है और जिससे वसूली लक्ष्य में कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार अनाज को बाहर निकालने और भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु अपनी वसूली व्यवस्था को नया रूप देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1973-74 मौसम के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य देशी लाल किस्मों के लिए 71/- रु० और 74/- रु० के बीच, विशिष्ट बढ़िया किस्मों के लिए 82/- रु० और सभी अन्य किस्मों के लिए 76/- रु० निर्धारित किया गया है ।

(ग) गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(घ) अभी भी जो स्टाक उपलब्ध है उसको अधिप्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे है ।

आयातित गेहूं के लिए राज्य सहायता

6. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित गेहूं जो कि आ रही है तथा जिसके लिए 1973-74 के लिए विदेशी सरकारों के साथ बातचीत चल रही है, पत्तन पर उतारने का मूल्य का हिसाब लगाया है;

(ख) समाज के दुर्बल वर्ग तथा राशन के क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा सप्लाई की जाने वाली गेहुं पर सरकार कितनी राज्य सहायता देती है;

(ग) उक्त माध्यमों से जनता को वितरित की जाने वाली आयातित गेहूं पर सरकार का कितनी राज्य सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या आयातित तथा देश से वसूल की जाने वाली गेहुं के मूल्यों को वर्तमान स्तर पर बनाये रखा जायेगा और यदि नहीं, तो सरकार का समाज के कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण किस प्रकार करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जनवरी से अप्रैल, 1973 तक के दौरान प्राप्त आयातित गेहूं की उतरने पर अनुमानित औसत लागत 100.95 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्यों पर गेहुं का वितरण करने के लिए राज्य सहायता की अनुमानित दरें इस प्रकार हैं :—

1. आयातित गेहूं . . . 38.28 रुपये प्रति क्विटल

2. देसी गेहूं . . . 24.05 रुपये प्रति क्विटल

(घ) गेहूं के वर्तमान निर्गम मूल्य में कोई परिवर्तन करने के बारे में सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं किया है ।

1972 और 1973 के दौरान गेहूं, चावल, मका, बाजरा, मिलेट, दालें तथा खाद्य तेल का मूल्य

7. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में खाद्यान्य तथा खाद्य तेल के मूल्यों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1972 से जून, 1973 के दौरान गेहूं, चावल, मका, बाजरा, मिलेट, दालें तथा डालडा और अन्य खाद्य तेलों का उपभोक्ता मूल्य क्या था; और

(ग) मूल्यों में तेजी के साथ वृद्धि होने के क्या कारण है और वर्ष 1971 के स्तर पर मूल्यों को लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहीब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खुदरा मूल्यों में वृद्धि को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) खाद्यानों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: इन कारणों से हुई है (1) खाद्यानों के उत्पादन में कमी जिससे मंडी में कम आमद हुई; (2) कमी की मनोवृत्ति जिससे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला; (3) अर्थव्यवस्था आदि में सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति।

मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए, एक विशाल आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि रबी और ग्रीष्म की फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके और जो पग उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं; (1) सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त करना और सभी सरकारी स्टाक को उचित मूल्य की दुकानों से देना; (2) गेहुं के पदार्थों के थोक और खुदरा मूल्यों पर नियंत्रण लगाना और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उनका वितरण विनियमित करना; (3) इस समय लागू विनायमक कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना; (4) अतिथि नियंत्रण आदेश लागू कर खाद्यानों की खपत पर रोक लगाना; (5) खाद्यानों की अधिप्राप्ति में तेजी लाना; (6) विदेशों से सीमित मात्रा में खाद्यानों का आयात करना; (7) खाद्यानों के प्रति बैंक पेशगियों पर नियंत्रण सख्त करना; (8) चालू रबी मौसम से गेहुं का थोक व्यापार लेना और (9) जमाखोरी और काले बाजार आदि के विरुद्ध तेजी से कार्यवाही करना।

तिलहन और तेलों के बारे में मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल है। सस्ती दर पर आयातों के माध्यम से आन्तरिक सप्लाई में वृद्धि करना और तेल की सालाई के अप्रचलित स्रोतों (जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन और वृक्षों पर पैदा होने वाले छोटे तिलहन) का अधिक प्रयोग करना, वायदा व्यापार और बैंक ऋणो को विनियमित करना और निर्यातों पर प्रतिबंध लगाना ।

विवरण				(रु० प्रति किलो)
खाद्यान्न	जून, 1972		जून, 1973	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
चावल . .	1.10	1.95	1.20	2.95
गेहुं . . .	0.90	1.15	0.90	2.50
ज्वार	0.90	1.35	0.90	2.20
बाजरा . . .	0.80	1.10	1.05	2.10
मक्का . .	0.70	1.10	0.90	1.80
अरहर	1.85	2.81	2.10	3.31
मूंग (धुली) . .	2.14	2.70	2.93	3.51
मसूर . . .	1.60	2.40	1.80	2.60
उरद (धुली) . .	2.20	3.50	2.00	3.51
चना (सावत) . .	1.05	2.20	1.30	2.50
डालडा (चार किलो का टीन) .	22.50	25.00	*14.42 (2 kg.)	@35.00
मूंगफली का तेल	4.10	5.50	6.20	10.00
जिनल्ली तेल .	5.40	7.35	7.50	10.00
सरसों का तेल .	5.00	7.20	5.90	9.50
नारियल का तेल	5.38	10.00	9.12	14.50

*यह मूल्य फरवरी मास का है।

@यह मूल्य मई मास का है।

नेहरू युवक केन्द्र

8. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नेहरू युवक केन्द्र खोले गये और उन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई, तथा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि दी गई; और

(ख) किन-किन राज्यों ने इन केन्द्रों के खोलने की योजनायें नहीं भेजी हैं और विभिन्न राज्यों में इन केन्द्रों के अत्यधिक प्रभाव कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) अब तक विभिन्न राज्यों में 80 नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी दी गयी है। इन केन्द्रों के लिये संस्वीकृत धन-राशि तथा उनका राज्यवार ब्योरा निम्नलिखित है :—

क्र०	राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या	राशि (1973-74) रु०
1	पश्चिम बंगाल	5	2,00,000
2	उड़ीसा	5	2,00,000
3	बिहार	7	2,80,000
4	मैसूर	6	2,40,000
5	पांडिचेरी	1	40,000
6	मणिपुर	1	40,000
7	पोर्ट बलेर	1	40,000
8	असम	3	1,20,000
9	मिजोरम	1	40,000
10	अरुणाचल प्रदेश	1	40,000
11	आंध्र प्रदेश	7	2,80,000
12	राजस्थान	6	2,40,000
13	हिमाचल प्रदेश	3	1,20,000
14	उत्तर प्रदेश	10	4,00,000
15	मध्य प्रदेश	9	3,60,000
16	पंजाब	3	1,20,000
17	हरियाणा	1	40,000
18	चंडीगढ़ संघ क्षेत्र	1	40,000
19	महाराष्ट्र	2	80,000
20	गोवा, दमन तथा दीव	1	40,000
21	दिल्ली	1	40,000
22	मेघालय	1	40,000
23	तमिलनाडु	4	1,60,000
24	दिल्ली प्रशासन		1,00,000
	कुल योग		33,00,000

इन केन्द्रों को खोलने के लिये केरल, नागालेंड और त्रिपुरा राज्यों ने अभी तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं। विभिन्न कार्यक्रमों को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियां स्थापित की जा रही हैं।

कोचीन शिपयार्ड

9. **श्री वयालार रवि : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचिन शिपयार्ड की सामान्य प्रगति में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं और इनका कार्य पूरा होने के निर्धारित समय पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) सरकार इन कठिनाइयों को कहां तक दूर कर पाई है और पुनरीक्षित समय सूची क्या है तथा नवीनतम अनुमानों के अनुसार इनमें कुल कितना पूंजी निवेश होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) कोचीन शिपयार्ड के कार्य की सुगम प्रगति में जो कठिनाइयां अनुभव हुई तथा जिनसे कार्य के कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा, उनमें कुछ निम्न प्रकार है :—

(1) भवन तथा मरम्मत गोदी और की जब पहले जल में उँतारी गई के घाटों के निर्माण के लिए निविदाओं का अपर्याप्त तथा असंतोषप्रद उत्तर ।

(2) आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित प्रकार तथा आकार के इस्पात की अनुपलब्धता ।

(3) फरवीर से अप्रैल, 1973 तक के अवधि के दौरान सीमेंट आपूर्ति की कठिन स्थिति ।

(4) ठेकेदारों में से एक ठेकेदार, जिसने संरचना कार्य का बड़ा ठेका लिया था का असंतोषप्रद कार्य ।

(ख) उपरोक्त कठिनाइयों पर निम्नलिखित कार्यवाही द्वारा काबू पा लिया गया है, पाया जा रहा है ।

(1) गोदियों एवं की घाटों के कार्य के लिए पुनः निविदायें मांगी गयीं और यह संभव हो गया है कि कार्यों के लिए एक संतोषजनक ठेका दिया जाये । कार्य के लिए ठेकेदारों को विदेशी सहयोग तथा अपेक्षित मशीनरी के मामले में जो कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, वे हल की जा रही है । परंतु, गोदियों तथा की घाटों का कार्य शुरू कर दिया गया है ।

(2) अपेक्षित इस्पात विदेशों से आयात किया गया/किया जा रहा है ।

(3) सीमेंट के कारखानों से प्रायुक्त अनुवर्ती एवं सफल सम्पर्क से सीमेंट की कमी पर काबु पाना सम्भव हो गया है । वर्तमान जमा (स्टाक) स्थिति संतोषजनक है ।

(4) संरचना बनाने के कार्य जो ठेकेदार ने छोड दिया था, के लिए पुनः निविदायें मांगने हेतु कार्यवाही शुरु की गई है ।

खोये हुए समय की प्रतिपूर्ति करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । परियोजना की एक वास्तविक पुनरीक्षित समय सूची तथा पुनरीक्षित लागत अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित उपकुलपतियों का सम्मेलन

10. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कृषि विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों का कोई सम्मेलन हाल में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय लिये गये थे; और

(ग) इस बार में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा 13 और 14 जून, 1973 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ।

(ख) संलग्न नोट में जानकारी दी गई है ।

(ग) यद्यपि सरकार द्वारा सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर विचार किया जाना है ।

विवरण

कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने सुझाव दिया है कि उन क्षेत्रों का अलग अलग सीमांकन किया जाना चाहिए जिनमें कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य के कृषि विभाग ने विस्तार कार्य करना है, उनका विचार है इस से खेती करने वालों को नई तकनौलाजी से अवगत कराने में आसानी रहेगी ।

उपकुलपतियों ने यह भी सुझाव दिया कि कृषि विश्वविद्यालयों में अध्ययन का स्तर बढाया जाना चाहिए और अनुसंधान तथा विशेषकर मूल अनुसंधान की प्रगति में तेजी लाई जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय प्रदर्शनों में भाग लेने से उनको खेती संबंधी समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, सम्मेलन में सिफारिश की गई कि कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रदर्शनों का आयोजन करना चाहिए । इससे वैज्ञानिकों को अपने प्रयोग शाला में किए गए परीक्षणों को किसानों के खेतों में प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा ।

निर्णय किया गया कि कृषि पशुचिकित्सा विज्ञान तथा कृषि, इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों के व्यावसायिक पाठयक्रमों की मौजुदा अवधि कायम रखी जानी चाहिए ।

खेती संबंधी समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों को प्रारम्भिक अनभव दिलाने के उद्देश्य से, सम्मेलन ने इस बात पर बल दिया कि जैसा कि वृद्धि तथा तकनोलाजी के जी० बी० पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर मे है उसी प्रकार फसल उत्पादन में व्यावहारीक प्रशिक्षण में और प्रकार किया जाना चाहिए । पशुचिकित्सा तथा डेरी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह सुझाव दिया गया है कि मेडीकल के विद्यार्थियों के प्रतिमान को ही अनिवार्य बनाया जाए ।

उपकुलपतियों ने यह भी सिफारिश की है कि कृषि विश्वविद्यालयों में ग्रीष्म छुट्टियां कृषि कार्य की अवधि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए । इससे विद्यार्थिको यों खेती के कामों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और उन से किसानों को भी सहायता मिलेगी ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये 'सिलेक्शन ग्रेड' के अध्यापकों की सूची

11. **श्री मुखितयार सिंह मलिक :** क्या शिक्षा, समाज, कल्याण और संस्कृति मंत्री दिल्ली के स्कूलों के लिये (सिलेक्शन ग्रेड) अध्यापकों की सूची के बारे में 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन टी० जी० टीचर्स (पुरूष और महिला दोनों) की सूची को इस बीच अन्तिम रुप दे दिया गया है जो 'सिलेक्शन ग्रेड' पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन पात्र अध्यापकों को वेतन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये स्कूलों के संबंधित 'हैडस' को आदेश जारी कर दियें गये हैं जिनको "सिलेक्शन ग्रेड" दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको बकाया राशि का भुगतान करने में कितना समय लगने की संभावना है क्योंकि उनके मामलों में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लगभग तीन मास ।

दिल्ली से बागपत (उत्तर प्रदेश) के लिये बस सेवा

12. **श्री बीरेन्द्र सिंहराव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से शामली होते हुए सहारनपुर मार्ग पर थोड़ी दूरी तक जाने वाले दैनिक यात्रियों के कारण अधिक दूर जाने वाले यात्रियों को घण्टों लाइन में खड़े प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे यात्रियों की भीड़ की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का विचार दिल्ली से बागपत के लिए अलग से बसे चलाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते हुए उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के निकट डी० आई० जैड० क्षेत्र में सफाई व्यवस्था

13. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में दो वर्ष से जब से उक्त क्षेत्र में नये क्वार्टरों का निर्माण हुआ है, सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि उक्त क्षेत्र में सफाई के लिए नई दिल्ली नगर पालिका अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में जिम्मेवारी कब तक निर्धारित कर दी जायेगी और उक्त क्षेत्र में सफाई की उचित व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) क्षेत्र में नियमित रुप से सफाई की व्यवस्था उपलब्ध है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने मन्दिर मार्ग, डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली के क्वार्टरों में सीवरेज तथा बरसाती पानी की नालियों की पर्याप्त व्यवस्था की हुई है तथा वे गुली टेप या मेन-होलों के बन्द होने पर उन पर ध्यान देते हैं । बरसाती पानी की नालियों को भी समय समय पर साफ किया जा रहा है । नई दिल्ली नगर पालिका ने उपयुक्त स्थानों पर कूड़ेदान लगा रखे है जिस में किरायेदारों द्वारा कूड़ा डालना अपेक्षित है । सड़कों, लानों और खुली जगहों को नियमित रुप से साफ किया जा रहा है ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सेवाओं को अपने हाथ में लेने के लिए सहमत हो गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तामिलनाडु में चावल की कमी

14. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में चावल की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्य को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1972-73 के दौरान खाद्यान्नों का आयात

15. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 के दौरान कुल कितना खाद्यान्न आयात किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): वर्ष 1972-73 के दौरान लगभग 7 लाख मी० टन खाद्यान्न आयात किए गए थे ।

बर्लिन युवा समारोहों के लिए प्रतिनिधि मंडल

16. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बर्लिन युवा समारोहों में भाग लेने के लिए कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन युवा समारोहों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों के चयन के लिए क्या कसौटी निर्धारित की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) बर्लिन युवक समारोह में भाग लेने के लिए सरकार ने कोई प्रतिनिधि मण्डल नहीं भेजा है। दो युवक संगठनों को समारोह के आयोजकों से निमंत्रण मिले हैं । ऐसा पता चला है कि वे प्रतिनिधिमण्डल भेजने पर विचार कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रगति

17. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बारे में 23 अप्रैल, 1973 के अतारान्कित प्रश्न संख्या 7740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय के खोलने में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बीच इसे अपनी मान्यता दे दी है यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है और यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ कर देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) : उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा के पुनर्गठन की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति का पहले

ही गठन कर दिया है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ फैजाबाद जिले में कृषि विश्वविद्यालय के परिसर के लिए प्रस्तावित स्थलों की भी जांच करेगी।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर स्थल के सम्बन्ध में अपना निर्णय लेगी। राज्य सरकार का पक्का निर्णय प्राप्त होने के बाद ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता दिये जान और विश्वविद्यालय द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तारीख का प्रश्न उठेगा।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्टेडियम का निर्माण

18. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद डिवीजन/जिले में सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के लाभ के लिए एक स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और उपरोक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के लिये सहकारी दुग्ध डेरी योजना अथवा शुष्क दुग्ध चूर्ण योजना

19. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के लिए सहकारी दुग्ध डेरी योजना अथवा शुद्ध दुग्ध चूर्ण योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस उद्देश के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है, यदि हां, तो उसका तथ्य क्या है और यदि नहीं, तो भूमि कब तक प्राप्त कर ली जाएगी तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्तावित योजना पर कब तक कार्य आरम्भ हो जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) फैजाबाद के सहकारी क्षेत्र में दुग्ध चूर्ण बनाने की सुविधाओं के साथ दुग्ध योजना की स्थापना के लिए एक परियोजना प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। प्रारम्भ में यह योजना 20,000 लिटर दूध को सम्भालेगी और वाराणसी की दूध की सप्लाई को सन्तुलित रखने के लिए फालतू दूध वहां सप्लाई करेगी। जब पर्याप्त मात्रा में दूध उत्पादन होने लगेगा, उस समय दुग्ध चूर्ण तैयार करने की यूनिट लगाकर इस योजना के दूसरे चरण का विकास कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(ख) अभी तक इस योजना के लिए कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई है। शुरू में चुनी गई भूमि नाजुक भूमि थी और चूंकि उस भूमि के सम्बन्ध में कुछ विवाद है, इसलिए सरकार इस उद्देश्य के लिए कोई दूसरी भूमि लेने का विचार कर रही है।

(ग) आशा है कि भूमि अर्जित करने के समय से लगभग डेढ वर्ष की अवधि में यह योजना पूरी हो जायेगी। इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना अधिकारी की पहले ही नियुक्ति कर दी गई है।

राष्ट्रीय राजपथ नं० 28 के कार्य में प्रगति

20. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 28 विशेषत: बाराबांकी-फैजाबाद और फैजाबाद, बस्ती-गोरखपुर को दोहरा बनाये जाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस बारे में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक शुरु होने की सम्भावना है और कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 का कुल लम्बाई लगबग 332 किलोमीटर है, जिसमें से 94 किलोमीटर पहले ही से दुहरी गली की है। 211 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से बाराबन्की और गोरखपुर के बीच दुहरी गली बनाये जाने वाले सड़क, कुल लम्बाईकी कुल लगबग 202 किलोमीटर है। इस भाग में लगभग 115 किलोमीटर सड़क का दुहरी गली बनाने का लगभग पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। समस्त रुप स 28 प्रतिशत प्रगति हुई है। लगभग 76 किलोमीटर लम्बाई के कार्यों का अनुमान परीक्षाधीन हैं ओर शष 11 किलोमीटर लम्बाई के कार्यों के अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त किए जाने हैं। गोरखपुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा तक के खण्ड में शेष 36 किलोमीटर लम्बी सड़क पर दुहरी गली बनाने का कार्य उन कामों की अनंन्तिम सूची में शामिल किया गया है जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए जाने हैं।

(ग) 115 किलोमीटर सड़क पर दुहरी गली बनाने का पूर्व स्वीकृत कार्य 1974–75 तक पूरा किया जाने का कायक्रम है। बाराबंकी से गोरखपुर तक के खण्ड में शेष सड़क पर कार्य अनुमानों की स्वीकृति के बाद ही चालू किया जाएगा।

बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा

21. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक लागू किया जायगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) ओर (ख) देशके अधिकतर राज्यों में पहले ही अनिवार्य शिक्षा अ नियम अधिनियमित है किन्तु अधिनियमों को दण्ड व्यवस्था को सामाजिक आर्थिक कारणों से बहुत कम लागू किया जाता है।

गैर सरकारी एककों द्वारा वनस्पति के उत्पादन में जानबूझ कर कमी करना

22. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह कहा है कि गैर सरकारी एकक जानबूझ कर वनस्पति का बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं तथा लाभ अर्जित करने के लिए अन्य प्रकार के तेलों का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वनस्पति यूनिट अधिकांशत: सरसों का तेल साफ कर रहे थे। क्योंकि इसके लिए दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि अपेक्षित मात्रा में आयातित खाद्य तेल उपलब्ध न होने के कारण वनस्पति घी का तैयार करना उनके लिए अलाभकारी हो गया था इसलिए बन्दरगाहों से कारखानों को आयातित तेल के आबन्टित कोटे को शीघ्र भेजने के लिए पग उठाए गए थे। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित पग उठाएं कि उनके क्षेत्राधिकार में स्थित वनस्पति के कारखाने परिष्कृत तेलों के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग न कर सकें।

राष्ट्रीय बीज निगम का आयात प्रतिस्थापनोन्मुख बीज उत्पादन कार्यक्रम

23. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1973–74 के लिए एक नया आयात प्रतिष्थापनोन्मुख बीज उत्पादन कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) क्या नया कार्यक्रम सुखा पीड़ित राज्यों की अगले वर्ष की बीज सम्बन्धी पूरी आवश्यकताओ को पूरा करने लिए बनाया गया है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम बीजों के उत्पादन को भी बढ़ायेगा जिससे आयात किये जाने वाले बीज देश में ही उपलब्ध हो सके और उनका आयात न करना पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने आयातित बीजो के स्थान पर स्थानीय उत्पादित बीजों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से चुकन्दर तथा सूरजमुखी के बीजों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। किसानों की 1973–74 की आवश्यकताओं को पूरी करने तथा वर्ष 1974–75 के लीए समीकरण भण्डार तैयार करने के लिए निगम का प्रस्ताव है कि चकन्दर का बीज कापी मात्रा में तेयार किया जाए। निगम ने 1973 के अपेक्षा के दौरान आयातित बीजों की सहायता से 1030 एकड़ भूमि में सूरजमूखी के लिए बीजों के वर्धन का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया है। सूरजमूखी तथा चकन्दर के बीजो के वर्धन के लिए प्रारम्भ किए गए उत्पादन कार्यक्रम सब क्षेत्रों की की बीजो की आवश्वकता को पुरी करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सूखे से प्रभावित राज्य भी शामिल हैं।

पर्यटकों की रुचि के पुरातत्व केन्द्रों के विकास के लिए बृहद योजना

24. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री० के० लकप्पा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मारकों के विकास सम्बन्धी केन्द्रीय समन्वय समिति के पर्यटकों की रुचि के विभिन्न पुरातत्व केन्द्रों के विकास के लिए बृहद योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) 19 मई, 1973 को नई दिल्ली में हूई समिति की बैठक में और क्या क्या निर्णय लिए गए ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना में पर्यटकों की रुचि के निम्नलिखित स्मारकों में, सुख सुविधाओं, पहुंच के रास्तों के सुधार, परिवहन सुविधाओं, पर्यटकों के आवास इत्यादि की व्यवस्था करके उचित विकास करने की परीकल्पना है :—

1. एलिफैन्टा, अजन्ता और एलोरा की चट्टानों से काटकर बनाई हुई गुफाएं।
2. बोधगया, नालन्दी, राजगीर, सारनाथ, कुसीनगर, स्रवस्तो और सांची स्थित बौद्ध स्मारक ।
3. आइहोले, बदामी, पट्टादाकल, हाम्पी और बीजापुर स्थित स्मारक ।
4. खजुराहो, भुबनेश्वर और कोणार्क स्थित मन्दिर ।
5. दिल्ली स्थित स्मारक ।
6. आगरा और फतेहपुर सीकरी स्थित स्मारक ।
7. महाबलीपुरम स्थित स्मारक ।
8. गोआ स्थित स्मारक ।
9. काश्मीर में मारटण्ड, अवन्तीपुर और पन्द्रथान स्थित मंदिर ।

इसमें निहित कार्य का मूल्यांकन करने और इसमें से जितना कार्य नगर और देश योजना संगठन द्वारा अपने हाथ में लिया जा सकता है, इन सब का पता लगाने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय से पर्यटन विभाग सम्पर्क स्थापित कर रहा है ।

(ग) समिति की अन्य सिफारिशों, पर्यटकों को अच्छी सुख-सुविधाएं प्रदान करने और पहुंच के रास्तों और स्मारकों के आसन्यास के क्षेत्र में सुधार करने से संबधित है ।

राज्यों में यंत्रीकृत भट्टों की स्थापना के लिये आवास तथा नगरीय विकास निगम से सहायता

25. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम विभिन्न राज्यों के आवास बोर्डों को यंत्रीकृत भट्टे स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता आसान शर्तों पर भुगतान किए जाने वाले ऋणों के रूप में दी जाएगी ; और

(ग) सहायता और ऋणों की राशि क्या होगी !

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) आवास तथा नगर विकास निगम राज्य आवास बोर्डों को ईंट के यंत्रीकृत भट्टें लगाने की योजनाओं के लिए ऋण देता है, जिसकी वापस अदायगी किस्तों में की जानी होती है ।

(ग) आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की रक्कम आवास तथा नगर विकास निगम के निदेशक-मण्डल द्वारा अन्तिम रूप में अनुमोदित किए जाने वाली परियोजनाओं के स्वरूप तथा आकार पर निर्भर करती है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नौवहन क्षमता का विस्तार

26. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नौवहन क्षमता भारतीय निर्यात और समुद्रपार व्यापार की हमारी बढती हुई आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रही है ;

(ख) क्या पांचवीं योजना के दौरान नौवहन क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। 1971-72 में, भारतीय नौवहन ने समुद्रपारीय व्यापार का केवल लगभग 16.31% ढोया।

(ख) जी, हां।

(ग) नौवहन के लिए पांचवीं योजना के लक्ष्य को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Scheme to meet the shortage of Vanaspati ghee and other edible oils

27. **Shri G. P. Yadav :**

Shri Krishan Chandra Haider :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the reasons for the decline in the production of Vanaspati ghee in the country ;

(b) whether Government have formulated any scheme to meet the shortage of Vanaspati ghee and other edible oils; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The decline in the production of vanaspati is basically the reslut of the steep fall in the production of groundnut oil during 1972-73 and the inadequacy and high prices of imported oils for meeting the shortfall; the latter, in turn, is due to an equally difficult supply position of edible oils in world markets. The severe power cut in many of the States was also a contributory factor.

(b) & (c) (i) Efforts are being made to maximise production of traditional oils (like groundnut, sesame, mustard etc.) as well as non-traditional oils (like soybean and sunflower) and to increase utilisation of oils like rice bran and cotton seed.

(ii) In the context of reduced availability of groundnut oil the vanaspati factories are being encouraged to use other indigenous oils like cottonseed, mustard, rice bran etc.

(iii) Efforts are being made to import as much edible oil as possible, despite the conditions of scarcity and high price presently prevailing in international markets, and also to rush them to the factories immediately on receipt.

(iv) Most ofthe States were persuaded to lift, or at least relax, the power cut imposed by them.

5—16 L.S.S./73

Opening of new Colleges in Delhi

28. **Shri G. P. Yadav :**

Shri C. Janardhanan :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a 48 hours dharna was staged on behalf of the Students Union in front of Old Secretariat for pressing their demand far opening two new Colleges in Delhi and for increasing the capacity of the existing Colleges;

(b) if so, the efforts made by Government to meet their demand; and

(c) the results thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : According to the information furnished by Delhi Administration, the dharna was subsequently withdrawn.

Shifting of Medical College from Shahdara (Delhi)

29. **Shri G. P. Yadav :**

Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Medical College which has to be set up at Shahdara is now proposed to be shifted somewhere else ;

(b) if so, whether the public of Shahdara and its various political parties have warned the Government that in case the proposed Medical College is not located there, they would start an agitation therefor; and

(c) if so the reaction of Government thereto?

The Minister of Health and Family Planning (Shri R. K. Khadlikar) : (a) A medical college was opened in the campus of the Delhi University in 1971 with the intention of locating it later at Shahdara, utilising the facilities of a 500-bedded hospital proposed to be constructed in that place. It has not yet been possible to get land in a single compact block to locate the medical college-cum-hospital complex. Meanwhile the first batches of students of the University Medical College have to be given clinical training from the current year. In the interests of the medical education of the students, other possibilities of expediting the setting up of a college are under examination. But in any case there is no proposal to drop the construction plan of a 500-bedded hospital at Shahdara.

(b) Representations have been received in this connection.

(c) The views expressed in these would be taken into consideration before a final decision is taken.

Target for Import of Wheat during 1973-74 and its Price per Quintal

30. **Shri G. P. Yaday :**

Shri Madhurayya Halder :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the target fixed by Government for import of wheat from foreign countries during 1973-74 and the quantity of wheat likely to arrive in India this year; and

(b) the per quintal price which is paid for wheat imported from foreign countries?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) Arrangements for purchase of foodgrains from abroad that may be required to maintain the public distribution system, are being made at the prevailing international market prices.

बड़े पैमाने पर दूध बेचने की मशीनों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

31. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या कृषि मंत्री बड़े पैमाने पर दूध बेचने वाली मशीनों के आयात के बारे में 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मशीनों का विशिष्ट विवरण क्या है और इन पर कितनी लागत आयेगी तथा इन मशीनों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : संलग्न विशिष्ट विवरण (अनुबन्ध) के अनुसार बड़े पैमाने पर दूर बचने की 200 यूनिटें आयात करने का निर्णय किया गया है।

देश में पहुंचने पर बड़े पैमाने पर दूध बचने की 200 यूनिटों की लागत लगभग 1,82,51,000 रुपये होगी। इसमें सीमा-शुल्क, निकास प्रभार आदि भी शामिल हैं। इन पर लगभग 17,96,200 अमरीकी डालर विदेशी मु ा खर्च होगी।

विवरण

बड़े पैमाने पर दूध बेचने के यूनिटों की विशिष्टियां

बढ़े पैमाने पर दूध, बेचने का युनिट आंतरिक अधिष्ठापन के लिए उपयुक्त होगा और वितरण के टैंकरों से प्राप्त नीरोगीत 3° ी (अधिकतम) दूध भरने का ठोस डिजाइन वाला होगा। बड़े पैमाने पर दूध बेचने वाले यूनिट को ताला लग सकने वाले फिल स्टेशन द्वारा दूध मिलेगा, जिस में बचने का काउन्टर होगा और आवश्यक टाइमर्स, रिलेज, बिजली का सामान, पाइलट लाइट, काउन्टर, लाइन व इंटरलाक भी होंगे। फिलिग स्टेशन पर कम से कम 300 लीटर प्रति मिनिट के हिसाब से 3° सेंटीग्रेड (अधिकतम) तक दूध भरा जाएगा।

दूध बेचने वाले यूनिट में दो वेन्डिग पेनल होंगे, प्रत्येक में 10 लीटर दूध के डिब्बे प्राप्त करने के लिए दो वेन्डिग टोंटिया होंगी, धूल न जा सकने वाला डिजाइन होगा तथा वह उष्ण कटिबन्धिय परिस्थितियों में कार्य करने योग्य होगा। प्रत्यक पैनल में आवश्यक टाइमर्स, रिलेज, बिजली के सामान, पाइलट लाइट, काऊन्टर, इन्टरलाक्स होंगे। प्रत्येक पैनल में उपयुक्त डील होंगे ताकि संग्रह टैकियों से छलके हुए दूध को एकत्र किया जा सके। सुरक्षा उपाय के लिए निहित प्रणालियों की दृष्टि से डोलों में बढ़ाए जा रहे वांछित दूध के स्तर की स्थिति में दूध की बिक्री बन्द हो सकती है। डिस्पन्सर इस प्रकार से बना होना चाहिए कि पुश बटन और टोकन डालने की व्यवस्था दोनों का उपयोग किया जा सके।

वेंन्डिग यूनिट मे मेन पावर की पूर्ति करने और वेंन्डिग पैनल को फ्यजिज़, मेन स्विचिज और अन्तर-सम्बद्ध वायरिंग के साथ अन्तर-सम्बद्ध करने के लिए मेन कन्ट्रोल बाक्स होगा।

फिलिग स्टेशन के पम्प द्वारा वितरण टैंकर से प्राप्त नीरोगित दूध 2000 लिटर क्षमता वाले इंन्सूलेटिड स्टेनलेस स्टील एगोरेज टैंकों में जमा किया जाएगा जो रेफ्रीशजेन पद्धति स बने और तापमान की 3° सेंटीग्रेड तक गिराकर उतना ही बनाए रखेगा। 45° सेंटीग्रेड के तापमान पर एयर कुल्ड कन्डसिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा।

टैंकों में एकत्र दूध को स्टेनलेस स्टील पम्प सैट के जरिए और संग्रहटंकियों में से गुजार कर पाइप लाइनों से जोड कर दूध को पुनर्वितरित किया जाएगा। मशीन में 6°

सेंटीग्रेड से अधिक दूध का तापमान होने की स्थिति में दूध बेचना बन्द करने के लिए पूर्नवितरण पद्धति को सुरक्षा उपायों से सुसज्जित किया जाएगा। यथाक्रम से, निविदाकार बिना पुर्नपरिचालन व्यवस्था के दूध बैचने वाले यूनिटों के लिए भाव-सूची दे सकते हैं।

बैचने वाली मशीन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे मशीन में भरे गए दूध और मशीन द्वारा बेच गए दूध का नापतौल ठीक हो। इसके अतिरिक्त मशीन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे मिलावट की सम्भावना न रहने पाए।

भण्डारण टैंक के साथ साथ उन सभी उपकरणों और भागों को जो दूध से सम्बन्धित हैं, ठीक ढंग से साफ किए जाने चाहिए। दूध बैचने वाले यूनिटों के पृतिकर्ताओं द्वारा सिफारिश की गई व्यवस्था के आधार पर सी आई पी मशीन का डिज़ाइन बनाकर उनकी पूर्ति की जाएगी।

नोट :

सम्भरणकर्ता को उपर्युक्त प्रकार के बिक्री केन्द्र के निर्माण/संस्थापन/रख-रखाव के लि समस्त अपेक्षित नक्शे, पत्रक, नियम-पुस्तकें और आवश्यक जानकारी अंग्रेज़ी भाषा में प्रस्तुत करनी होगी। मिलावट रोकने के लिए इस प्रणाली की क्रियाविधि और विशेषकर सफाई, दूध परखने और डिज़ाइन में सम्मिलित यंत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से विवरण होना चाहिए।

उपर्युक्त विशिष्टियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी

विभिन्न नगरों में जारी किए गए विभिन्न टोकनों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करने की व्यवस्था करना; वैन्डिंग वाल्व प्रणाली को और कड़ा बनाकर उसे उपयुक्त स्थान पर स्थित करना; बिजली के सर्किट को उष्ण कटिबन्धीय बनाना; दूध के संसर्ग में आने वाल भाग प्लासटिक के स्थान पर स्टेनलेस स्टील का होना; विक्रय टोंटी पर झाग को कम से कम करने की व्यवस्था का होना। टोंटी तक नीचे आने वाले पाइप का फ्लाई-प्रूफिंग करना और सम्पूर्ण दुग्ध सर्किट को अन्दर से साफ करने की व्यवस्था करना, बिजली की यूनिटों को वाटर-टाइट करना, आवश्कतानुसार सामान्य लोहे के स्थान पर खराब न होने वाली सामग्री का प्रयोग, उच्च परिवेष्टित तापमान वाली उष्णकटिबन्धीय जलवायू के लिए बनाए गए प्रशीतन यूनिट का प्रयोग, भारतीय तोल और नाप अधिनियम की आवश्यकताओं को देखते हुए आधे लिटर की यूनिट में दूध प्रदान करने की व्यवस्था करना।

सामान्य तकनिकी जानकारी

दूध या परिमार्जक के संसर्ग में आने वाले उपस्करों के समस्त पुर्जे ए आई एस आई टाइप 304 या उसकी समतुल्य कोटि के अनुरूप स्टनलैस स्टील के बने होने चाहियें। गढ़ी हुई वस्तुओं के समस्त आन्तरिक जोड़ नीचे की ओर होने चाहियें और दूध के संसर्ग में आने वाले स्तर पर डरी फिनिश नं० 4 की पालिश होनी चाहिए।

पाईप फिलिंग्स, कन्ट्रोल आदि

पाइप लाइन के समस्त जोड़, विभिन्न इन्लैट और आउट-लैट आई डी एफ स्टैन्डर्ड या उपयुक्त समान सनीटरी मानकों के अनुसार बनाए जाने चाहियें।

अतिरिक्त पुर्जे

इन मशीनों आदि के साथ इतने अतिरिक्त पुर्जे सप्लाई किए जाने चाहियें जो उन्हे दो वर्ष तक चलाने के अपेक्षित हों।

सेवा

बिजली सिंगल फेज़——230 वोल्टस, 50 सी/एस० ए०सी० सप्लाई और 3 फेज़—— 400/440 वोल्टस, 50 सी/एस० ए० सी० सप्लाई में उपलब्ध की जाएगी। वोल्टेज की सम्भाव्य घटा-बढ़ी के कारण मोटर को जलने से बचाने के लिए नीरोधक कल-पूर्जों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

औसतन 32 डिग्री सैन्टीग्रेड के तापमान और ग्रीष्म ऋतु के दौरान 40 डिग्री सैन्टीग्रेड़ तापमान का जल सप्लाई किया जाएगा।

सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास का आबंटन

32. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री गोविन्द दास रिछारिया :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अपने कर्मचारियों को आवास आवन्टित करने की कोई नीति है जिसके अन्तर्गत आवास आवन्टित करने के लिए विभिन्न श्रणी के कर्मचारियोंकी न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित की गई है और किसी विशेष स्थान पर आवास आवन्टित करने के लिए सेवा की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):(क) जी, नहीं। ऐसी कोई निश्चित नीति नहीं बनाई जा सकती जिस के अन्तर्गत मकान देने के लिए न्यूनतम प्रतिशतता या आवन्टन से पहले प्रतीक्षा करने की अधिकतम अवधि निर्धारित की जाए। आवन्टन मकानों की उपलब्धता के अनुसार किए जा सकते हैं। उपलब्ध निधियों, विकासित भूमि तथा निर्माण-सामग्री के अनुसार सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण का एक निरन्तर कार्यक्रम निष्पादित कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रस्ताव

33. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टौड द्वारा लिखित 'ऐनल्ज आफ राजपूताना' की भांति राजस्थान का इतिहास लिखने का है;

(ख) यदि हां, तो किन व्यक्तियों को यह काम सौंपा गया है ; और

(ग) इतिहास के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Literacy in various States

34. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the percentage of literacy in the various States of India;

(b) the various schemes of Government for 1973-74 for removing illiteracy; and

(c) the steps taken in Rajasthan in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) A statement is attached.

(b) Eradication of illiteracy is the responsibility of the State Governments. However to supplement the efforts of the State Governments, the Government of India implement certain programmes like Farmers Functional Literacy Project; Assistance to Voluntary Organisations working in the field of Adult Education; Prize competition of Books for Neo-Literates; Workers Social Education Institutes; Shramik Vidyapeeth; National Social Service Scheme; and Nehru Yuvak Kendras.

(c) The information from Govt. of Rajasthan regarding their literacy programme is awaited and will be laid on the Table of the House when received. However, the Central Government have sanctioned to Rajasthan Government Rs. 2,07,700 for Farmers Functional Literacy Project and Rs. 1,42,730 has been given as financial assistance to voluntary organisations working in the field of Adult Education during the Fourth Plan period. Six Nehru Yuvak Kendras have also been established in Rajasthan at Tonk, Barmer, Jaipur, Bundi, Churu and Dungarpur.

STATEMENT

Statewise percentage of literacy in 1971.

State/Union Territory	Percentage of Literacy 1971
Andhra Pradesh	24.56
Assam (including Mizoram)	28.81
Bihar	19.79
Gujarat	35.72
Haryana	26.69
Himachal Pradesh	31.32
Jammu & Kashmir	18.30
Kerala	60.16
Madhya Pradesh	22.12
Maharashtra	39.08
Mysore	31.54

State/Union Territory	Percentage of Literacy
Nagaland	27.33
Orissa	26.12
Punjab	33.39
Rajasthan	18.79
Tamil Nadu	39.39
Uttar Pradesh	21.64
West Bengal	33.05
A. & N. Islands	48.48
Chandigarh	61.24
Dadra & Nagar Haveli	14.86
Delhi	56.65
Goa, Daman & Diu	44.53
L. M. & A. Islands	43.44
Manipur	32.80
Meghalaya	28.43
Arunachal Pradesh	9.34
Pondicherry	43.36
Tripura	30.87
INDIA	29.34

Help South from U. N. for Turning Desert of Rajasthan into Greenery

35. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the efforts made by Government to turn the desert of Rajasthan into greenery ;

(b) whether Government are making efforts to get help from U. N. agencies for this purpose; and

(c) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) The information is being collected from the agencies concerned and will be placed on the Table of the Sabha.

Complaint regarding sterilization in Sauraha village in Phoolpur block Allahabad by allurement

36. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state : (a) whether a woman of village Sauraha in Phoolpur Block in Allahabad had lodged a complaint with the District Officials that her 35 year old husband had been sterilized while she had no issue and that he was allured with the award of prize and taqavi, but Rs. 6: only were given to him; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry for Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) A report has been called for from State Government and the facts will be reported to the House as soon as the information is available.

Average area in Square kilometres served by Hospitals

37. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the average area in square Kilometres served by each major hospital in the country side;

(b) the average area in square kilometres served by each major hospital in the urban side; and

(c) the steps taken Statewise, to narrow down this average during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry for Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) & (b) . On an average, on area of 787.44 square kilometres is served by each hospital in different States/Union Territories as on the 1st April, 1970.

Figures showing separately the average area in square kilometres served by each hos- both in respect of the Urban side and the Rural side are not available.

(c) During the 5th Plan, it has been proposed to up-grade one Primary Health Centre to a 30-beded hospital in every four Blocks in the country.

दिल्ली के अस्पतालों में इन्टरनीज, हाउस सर्जन और रजिस्ट्रारों की कार्य पद्धति के अध्ययन के लिये समिति

38. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के अस्पताल में इन्टरनीज, हाउस सर्जन और रजिस्ट्रारों की वर्तमान कार्य पद्धति के अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की है, और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं —

1. श्री करतार सिंह, भारत सरकार के अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय, नई दिल्ली . . . . . . अध्यक्ष
2. डा० डी० वी० विर्कर, महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक . सदस्य

3. डा० डी० जे० रेड्डी, उपकुलपति, वेंकटेश्वरा विश्व विद्यालय, तिरुपति . सदस्य

4. डा० बी० मुखोपाध्याय, बिहार सरकार के सेवा-निवृत्त, स्वास्थ्य सेवा निदेशक सदस्य

5 श्री के० पी० सोनी, भारत सरकार के उप-सचिव, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) नई दिल्ली । सदस्य

6. डा० आर० एस० चावला, स्वास्थ्य सेवा के सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली . . . . सदस्य सचिव

देश में सरकारी बंजर भूमि की उपलब्धता

39. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कुल सरकारी बंजर भूमि उपलब्ध है; और उस में से कितनी भूमि कृषि योग्य है ;

(ख) क्या उक्त कृषि भूमि को भूमिहिन कृषकों में वितरित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अब तक कुल कितनी भूमि वितरित की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों में फालतू भूमि का भूमिहीनों में वितरण

40. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व भूमि सुधार उपायों के परिणामस्वरुप कुल कितनी भूमि को राज्यवार फालतू घोषित किया गया है;

(ख) उक्त राज्यों में इस प्रकार की कितनी भूमि वितरत की गई है और इस प्रकार के वितरण से राज्यवार कितने भूमिहीन व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है;

(ग) प्रत्येक राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून में संशोधन किये जाने के परिणामस्वरुप कुल कितनी फालतू भूमि उपलब्ध होने की संभावना है ; और

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने संशोधित अधिकतम भमि सम्बन्धी कानून के अधीन फालतू भूमि को वितरित करने के बारे में कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) अधिकतम भूमि सम्बधी कानून हाल ही में संशोधित किये गये हैं । राज्य सरकारें उनके कार्यान्वयन सम्बन्धी नियम बना रही है । राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

विवरण

पिछले अधिकतम भूमि कानून लागू करने के परिणामस्वरुप वितरण किया गया फालतू क्षेत्र तथा लाभानुभोगियों की संख्या ।

(क्षेत्र हजार एकड़ों में)

राज्य	घोषित किया गया अथवा कब्जे में लिया गया फालतू क्षेत्र	वितरित किया गया फालतू क्षेत्र	लाभानुभोगियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	74	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
असम	89	11	1481
बिहार	7.7	0.8	उपलब्ध नहीं
गुजरात	50	26	5634
*हरियाणा (पेप्सू क्षेत्र)	170	65	31523
जम्मू तथा कश्मीर	450	450	उपलब्ध नहीं
केरल	10	1.8	1336
मध्य प्रदेश	84	21	3284
महाराष्ट्र	271	176	11686
*पंजाब (पेप्सू क्षेत्र)	178	64	25979
राजस्थान	उपलब्ध नहीं	27	43400
तमिल नाडु	25	17	12120
उत्तर प्रदेश	241	121	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	936	432	उपलब्ध नहीं

*–हरियाणा तथा पंजाब और पेप्सू क्षेत्र में यह आंकड़े संकलित करने के समय भूमि के स्वामित्व पर अधिकतम सीमा लागू नहीं थी ।

संशोधित अधिकतम कानूनों के कार्यान्वयन से उपलब्ध होने वाले क्षेत्र के अनुमानित प्राक्कलन ।

(हजार एकड़ों में)

आन्ध्र प्रदेश	1,000
असम	395
बिहार	500
गुजरात	50
हरियाणा	150
केरल	100
मध्य प्रदेश	50
महाराष्ट्र	371
मैसूर	400
उड़ीसा	100
तमिल नाडु	60.5
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	300
पश्चिम बंगाल	200

वर्ष 1972-73 के लिए खाद्य उत्पादन का लक्ष्य

41. **श्री भान सिंह भोरा :**
श्री सैझियान :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के लिए खाद्य उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) वर्ष 1972-73 में वास्तव में कितना उत्पादन होने का अनुमान है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अभिलेख के अनुसार 1972-73 के लिए देश में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष 1180 लाख मीटरी टन रखा गया था

(ख) 1972-73 में देश में खाद्यान्नों के उत्पादन के अधिक प्राक्कलन अभी विभिन्न राज्यों से एकत्र किए जा रहे हैं । तथापि उपलब्ध सुचना से यह पता चलता है कि देश के बड भाग में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और उर्वरकों की कमी होने के कारण 1972-73 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन को भारी धक्का लगा ।

"प्रोटीन फूड एसोसिएशन आफ इंण्डिया" दवारा राज्यों में अनाज सम्बन्धी सुविधा का सर्वेक्षण

42. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और पारवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटीन फूड एसोसियशन आफ इंडिया ने हाल में चार दक्षिणी राज्योंकेरल, आंध्र प्रदेश, मैसूर और तमिल नाडु में आहार संबंधी स्वभाव का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिल नाडु में वयस्कों द्वारा भोजन में ली जाने वाली केलोरिया और प्रोटीन की प्रति व्यक्ति मात्रा सबसे अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सर्वेक्षण देश के शेष राज्यों में भी किया गया है और उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) प्रोटीन फूड एसोसिएशन आफ इण्डिया ने मार्च-अप्रैल 1969 में गुजरात और महाराष्ट्र में खाने सम्बन्धी आदतों का सर्वेक्षण किया था । महाराष्ट्र में लोगों का जो भोजन है उससे वहां के प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन क्रमश: 1599 और 50.3 ग्राम केलोरी और प्रोटीन मिल जाता है। गुजरात में प्रति व्यक्ति प्रति दिन क्रमश: 1882 और 58.3 ग्राम केलोरी और प्रोटीन पाता है। 1969 में कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) के शहरी क्षेत्रों में भी एक सर्वेक्षण किया गया था । वहां का भोजन ऐसा है कि जिसमें प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन क्रमश: 1422 और 45 ग्राम कलोरी प्रोटीन मिलता है ।

वर्ष 1971 और 1972-73 में चीनी का उत्पादन

43. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1973 के अन्त तक देश भर में चीनी का कुल उत्पादन 376 लाख टन था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से 6,50,000 टन अधिक है;

(ग) क्या इसमें से उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में ही 5,05,000 टन का अधिक उत्पादन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां 1971-72 के चीनी के कुल उत्पादन की तुलना में।

(ग) चीनी का वास्तविक अतिरिक्त उत्पादन, जिसे उत्तर प्रदेश चीनी मिलों ने दिया है, 508 हजार मीटरी टन है।

(घ) उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः गन्ने के क्षेत्र में वृद्धि, 1972-73 में गन्ने का अपेक्षाकृत अधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते आंशिक नियंत्रण की नीति जारी रखना ताकि चीनी कारखाने अधिसूचित न्यूनतम मूल्य की अपेक्षा गन्ने का अधिक मूल्य दे सकें, और उत्पादन-शुल्क में उपयुक्त छूट देने के फलस्वरुप हुई है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बिजली की कटौती के कारण कारखाने के क्षेत्रों में सामान्य से भी कम गन्ना खंडसारी के लिए प्रयुक्त हुआ है।

खाद्य सामग्री प्लास्टिक की थैलियों में बन्द करने संबंधी जापानी वैज्ञानिकों के निष्कर्ष

44. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जापानी वैज्ञानिकों के इन निष्कर्षों की जानकारी है कि भण्डार करने की परम्परागत विधि की अपेक्षा कार्बन डायक्साइड में प्लास्टिक की थैलियों में बन्द किए गए और, बारह मास या इससे अधिक समय तक झील में पडे रहने पर खाद्य पदार्थ-गेहूं, मक्का, जौ, चावल सोयाबीन और लालबीन कम खराब हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस नई खोज पर हमारे कृषि वैज्ञानिकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या परम्परागत विधि से इस विधि की निर्माण और रख रखाव की लागत कम है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह प्रयोग करने को राजी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) जापान के वैज्ञानिकों के निष्कर्षों की जांच की गई है और सरकार को परामर्श दिया गया है कि हमारी मौसमी परिस्थितियों में इस तरीके को अज़माना युक्तियुक्त नहीं होगा।

(ग) और (घ) जी नहीं।

सरकार द्वारा निर्माण सम्बन्धी सामग्री बनाने वाले उद्योग की स्थापना

45. **श्री सुरज पांडे :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण संबंधी सामग्रियों की भारी कमी और उनके ऊंचे मूल्य होने के कारण देश में आवास कार्यक्रम की प्रगति में गंभीर रूप से बाधा पड रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में निर्माण संबन्धी सामग्री बनाने वाले उद्योगों की स्थापना करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां। कुछ सीमा तक।

(ख) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए भवन-निर्माण-सामग्री, जन-शक्ति तथा निर्माण तकनीक के कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंट, सीमेंट, इस्पात और इमारती लकड़ी जैसी भवन-निर्माण-सामग्री की सप्लाई में वृद्धि करने के कुछ सुझाव दिए हैं। इस मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन आवास तथा नगर विकास निगम सीमित नामक एक सार्वजनिक उपक्रम राज्यों को भवन-निर्माण-सामग्री के उद्योग स्थापित करने के लिए भी ऋण सहायता दे रहा है।

आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

46. **श्री सरजू पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को सफल बनाने के लिए इसमें कोई परिवर्तन लाने का है; और यदि हां तो इसमें क्या परिवर्तन लाने का विचार है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक कर्मचारियों के लिय मकानों के निर्माण की व्यवस्था है तथा यह राज्य क्षेत्र में है और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। निष्पादन का कोई प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, योजना में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई।

(ख) अपर्याप्त प्रगति का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय योजना में कृषि, सिंचाई तथा विद्युत आदि जैसे अन्य प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों की तूलना में आवास को निम्न प्राथमिकता दी गई है। परिणाम स्वरुप, आवास के लिए उपलब्ध साधन सीमित हैं।

(ग) कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। तथापि, राज्यों के आवास मंत्रियों ने योजना को राष्ट्रीय स्कीम में आवास को उच्चतर प्राथमिकता देने की तथा आवास के लिए पर्याप्त नियतन करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है जिन्हें विकास के अन्य शीर्षों को अन्तरित नहीं किया जाना चाहिए।

केरल की एक लाख मकानों की आवास योजनाओं के अनुरूप निर्धन ग्रामीणों के लिए मकानों का निर्माण

43. **श्री सरजू पांडे** :

श्री झारखण्डे राय :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों से केरल की एक लाख मकानों की आवास योजनाओं के अनुरुप निर्धन ग्रामीणों के लिए मकान बनाने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इसके लिये केन्द्र राज्यों को क्या सहायता देगा?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के लिय केन्द्रीय क्षत्र की योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन तथा आवास स्थल रहित परिवारों को, जहां कहीं आवश्यक हो, उचित दर पर भूमि का अर्जन करने के बाद बिना मूल्य के आवास-स्थल दिय जाते हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को भूमि के अर्जन की एसी उचित लागत तथा आवास स्थल के विकास की लागत जो औसतन 150 रुपये प्रति स्थल से अधिक न हो, की पूर्ति के लिय शतप्रतिशत अनुदान सहायता देती है। इस प्रकार दिये गये आवास स्थलों पर आवेटियों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी सहायता द्वारा या राज्यों द्वारा दी गई ऐसी किसी सहायता से उन पर मकानों का निर्माण करें। आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण हेतु केरल सरकार द्वारा स्थानीय साधनों के जुटाने के लिए और स्वैच्छिक अंशदान / सेवाओं हतु अपनाय गये उपायों को अन्य राज्यों को अपनाने के लिये कहा गया है। केन्द्र द्वारा इन स्थलों पर मकानों के निर्माण हेतु अभी तक किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन नहीं किया गया है।

पांचवी योजना में अनौपचारिक शिक्षा देना

49. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनौपचारिक शिक्षा देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना में इस क्षेत्र के लिए कुल कितना धन आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य-वार किन भाषाओं अथवा बोलियों को इसका माध्यम स्वीकार किया गया है ?

शिक्षा ओर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

पांचवीं योजना को संस्कृति के क्षेत्र में व्यय किया जाने वाला प्रस्तावित धन

50. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृती** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में संस्कृति के क्षेत्र में राज्य-वार कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस क्षेत्र में किन-किन मदों अथवा गतिविधियों पर यह धन खर्च किया जाएगा ?

शिक्षा ओर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (डी० पी० यादव): (क) और (ख) संस्कृति के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के प्रस्तावों पर इस समय योजना आयोग से विचार-विमर्श किया जा रहा है। संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य-वार निर्धारण पर, इस विचार विमर्श के पूरा होने पर निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली / नई दिल्ली में रिहाइश के लिये भूमि प्राप्त करने के पात्र संसद सदस्य

51. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत संसद् सदस्य रिहाइश के लिये दिल्ली/नई दिल्ली में भूमि ले सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और ऐसे संसद् सदस्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने चौथी और पांचवीं लोक सभा की अवधि में और राज्य सभा की भी इसी अवधि में दिल्ली में इस प्रयोजन के लिये भूमि खरीदी है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी प्रत्येक योजना में (अर्थात् निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग) विकासित किए गए रिहायशी प्लाटों के 2 1/2 प्र० श० प्लाट वर्तमान संसद सदस्यों को पूर्वनिर्धारित दरों पर आवंटन के लिये आरक्षित किए जाते है। संसद सदस्यों को ये प्लाट उनके आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के अनुसार दिए जाते हैं। आवंटन की सामान्य शर्तें वही हैं जो निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों को प्लाटों के आवंटन करने के लिए हैं सिवाय इसके कि संसद सदस्यों के मामले में दिल्ली में 5 वर्ष के निरन्तर रहने की शर्त पर जोर नहीं दिया जाता। जिन संसद सदस्यों को प्लाटों का आवंटन किया गया है उनकी संख्या तथा उनके नामों का एक विवरण सलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	संसद सदस्यों के नाम
1	श्री अर्जन सिंह भदौरिया (लोक सभा)
2	श्री के० एन० तिवाड़ी (लोक सभा)
3	श्री एम० डी० नारायण (राज्य सभा)
4	श्री डी० एन० तिवाड़ी (लोक सभा)
5	श्री असंद मदानी (राज्य सभा)
6	श्री ओ० पी० त्यागी (लोक सभा अब राज्य सभा)
7	श्री आर० के० पोद्दार (राज्य सभा)
8	श्री स्वामी रामानन्द शास्त्री (लोक सभा)
9	श्री पी० एल० बारूपाल (लोक सभा)
10	श्री अर्जुन आरोड़ा (राज्य सभा)
11	श्री प्रकाशवीर शास्त्री (लोक सभा)
12	श्री शिव कुमार शास्त्री (लोक सभा)
13	श्री विभूति मिश्र (लोक सभा)
14	चौधरी राम सेवक (लोक सभा)
15	श्री पी० सी० मित्र (राज्य सभा)

क्रम सं०	संसद सदस्यों के नाम
16	श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (लोक सभा)
17	श्रीमती सावित्री श्याम (लोक सभा)
18	श्री आर० एस० पंजहजारी (राज्य सभा)
19	श्री राम स्वरूप (लोक सभा)
20	श्री आनन्द प्रसाद शर्मा (लोक सभा)
21	श्री अवदेश चन्द्र सिंह (लोक सभा)
22	श्री बी० के० दास चौधरी (लोक सभा)
23	श्री एन० के० शेजवलकर (राज्य सभा)
24	श्री पी० एन० सईद (लोक सभा)
25	श्री शंकर नारायण सिंहदेव (लोक सभा)
26	श्री बलराम दास (राज्य सभा)
27	श्रीमती शकुन्तला नायर (लोक सभा)
28	श्री मुख्तियार सिंह (लोक सभा)
29	श्री अचल सिंह (लोक सभा)
30	श्री राम कंवर बैरवा (लोक सभा)
31	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (लोक सभा)
32	श्री मोहन लाल गौतम (राज्य सभा)
33	श्री बी० सी० पटनाईक (राज्य सभा)
34	श्री सुबोध चन्द्र हंसदा (लोक सभा)
35	श्री बी० एन० कुरील (लोक सभा)

मोटा अनाज लाने-ले-जाने पर स प्रतिबन्ध हटाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और मैसूर का अनुरोध

50. **श्री के० एस० चावडा :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1973 को मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र और मैसूर के मुख्य मंत्रियों ने संयुक्त रूप से मोटे अनाज को एक राज्य से दुसरे मे लाने-ले-जाने पर लगा प्रतिबन्ध हटाने का प्रस्ताव किया था और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मोटे अनाजो के संचलन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के प्रश्न पर 14 जन, 1973 को हुये मुख्य मंत्रियों के संम्मेलन में चर्चा नहीं हुई थी। तथापि गुजरात के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया कि मोटे अनाजों का संचलन प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में विविधि सुझावों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

आरे मिल्क कालोनी, बम्बई में ढोरो के खाने के लिये गेहूं की सप्लाई

53. **श्री मधू दंडवते :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैथोलिक रिलीफ एसोसिएशन ने बम्बई की आरे मिल्क कालोनी को ढोरो को खिलाने के लिये 170 टन गेहूं भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि-उद्योग निगम के विचार में वह गेहूं मिल्क कालोनी के ढोरो को खिलाने योग्य नहीं था;

(ग) क्या उस गेहूं को खाद तैय्यार करने के लिये मिश्रित खाद के गढों (कम्पोस्ट पिट्स) में डाल दिया गया था; और

(घ) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोग और आदिवासी अपनी भूख मिटाने के लिये मिश्रित खाद के गढों में से गेहूं उठा ले गये थे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चर्च विश्व सेवा, नई दिल्ली तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ संस्थाओं ने आरे मिल्क कालोनी के पशुओं को खिलाने के लिए बृहत बम्बई दुग्ध योजना को उपहार रूप मे 170 मीटरी टन खराब गेहूं देने की पेशकश की थी।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) आरे मिल्क कालोनी के आस-पास हटमेन्टों में रहने वाले व्यक्तियों ने खाद के गढ़ों से गेहूं निकालने की कोशिश की थी। आरे मिल्क कालोनी के अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और समझाया कि यह गेहूं मनुष्य या पशू के खाने योग्य नहीं है। कुछ लोगों ने जो गेहूं इकट्ठा किया था वह उनसे लेकर नष्ट कर दिया गया।

महाराष्ट्र में देवगद बंदरगाह को मध्यवर्ती बड़ी बंदरगाह के रूप में विकसित करना

54. **श्री मधु दंडवते :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमे महाराष्ट्र में वर्तमान देवगद बन्दरगाह को "मध्यवर्ती बड़ी बन्दरगाह" मे विकसित करने और दक्षिण रेलवे का विस्तार कोल्हापुर से देवगद बंदरगाह तक करने की मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के उद्देश्यों की प्रगति

55. **श्री मधु दंडवते :**

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहूं के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लने के बाद निधन वर्ग की रक्षा करने हे गहूं का बृहत बफर स्टाक बनाने और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में स्थिरता लाने तथा वितरण प्रणाली बनाने के लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असफलता के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चालू रबी मौसम से गहूं का थोक व्यापार लिया गया था। अधिप्राप्त स्टाक से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर नियमित सप्लाई सुनिश्चित करना और कुछ हद तक स्टाक की भरपाई करना सम्भव हुआ है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्यभारित कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान

56. **श्री भोला मांझी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्यभारित कर्मचारियों को प्रत्येक महीने की पहली और दूसरी तारीख को मजूरी का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन सर्किलों के कार्यभारित कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि का भी नियमित रुप से भुगतान नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी वार्षिक वृद्धियों तथा उसकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली से बाहर स्थानों मे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

57. **श्री भोला मांझी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बाहर किन स्थानों में (हवाई अड्डों सहित) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के अपने मकान हैं;

(ख) प्रत्येक स्थान में प्रत्येक टाइप के क्वार्टरों के कुल कितने क्वार्टर हैं; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के पद के अनुसार इन स्थानों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल का कार्यप्रभारित सिब्बंदी

58. **श्री भोला मांझी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों में कार्यप्रभारित सिब्बंदी में प्रत्येक श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी नियुक्त है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अब तक कितने स्थायी पदों को बनाया गया है तथा ऐसे स्थायी पदों को किस तिथी को बनाया गया है; और

(ग) क्या सभी श्रेणियों में अतिरिक्त स्थायी पदों को बनाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

विभिन्न राज्यों में लागू की गई गेहूं की लैवी.

59. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या कृषि मंत्री गेहू बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष विभिन्न गेहूं उत्पादक राज्यों में कोई लैवी लागू की गई थी ताकि गेहूं वसूली के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उसकी मात्रा कितनी कितनी हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में लैवी का कोटा वसूल करने में कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में गेहूं के उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लागू की गई थी। महाराष्ट्र में गेहूं की अधिप्राप्ति राज्य सरकार की एकाधिकार खरीद एवं अनिवार्य अधिप्राप्ति योजना के अधीन की गई थी। इस योजना के अधीन उत्पादकों के पास उपलब्ध सारा अधिशेष गेहूं अभिप्राय किया जाता है। बिहार और मध्यप्रदेश में लेवी की निर्धारित मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5140/73**]

(ग) मध्य प्रदेश और बिहार में लेवी योजना के अधीन अधिप्राप्ति इस प्रकार हुई है :—

मध्य प्रदेश—लेवी लक्ष्य 1,92,500 मी० टन के प्रति 1,62,532 मीटरी टन।

बिहार—6 लाख मी० टन के समूचे लक्ष्य के प्रति 49,091 मी० टन (क्रय केन्द्रों पर खरीदी गई थोड़ी मात्रा समेत)।

महाराष्ट्र में व्यापक सूखे की स्थिति के कारण अधिप्राप्ति नाममात्र थी।

चीनी संबंधी नीति

60. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पिराई मौसम के बाद चीनी संबंधी नीति पर हाल ही में पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के कार्यकरण का संक्षिप्त मूल्यांकन क्या है और ची का उत्पादन बढाने और लेवी कोटे की चीनी की पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ताओं को सप्लाई सुनिचित करने के लिए नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं और किए जाएंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आंशिक नियंत्रण की नीति, जिसमें चीनी के अधिक उत्पादन हेतु उत्पादन शुल्क में छूट दने जैसे चुनींदा प्रोत्साहन शामिल हैं, से चालू वर्ष में 1971-72 के कुल उत्पादन की तुलना में लगभग 7 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन बढाने में सहायता मिली है। अत: 1973-74 मौसम में 70 प्रतिशत लेवी और 30 प्रतिशत मुक्त बिक्री के स्तर पर आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति

जारी रखने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा, यथा सम्भव नये लाइसेंसशुदा कारखानों को शुरू करने में तेजी लाने और गन्ने का किस्म और मात्रा दोनों ही तौर पर विकास करने में प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आगामी खरीफ की फसल में धान का संभावित उत्पादन और वसूली

61. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी खरीफ का फसल में अनुमानत: कितने धान के उत्पादन की आशा है और इस सफल के लिए प्रत्येक राज्य के लिए में धान की वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : क्योंकि देश के बहुत से भागों में धान की बुवाई का कार्य अभी चल रहा है इसलिए इस समय धान की पैदावार का अनुमान देना अथवा आगामी खरीफ मौसम के दौरान राज्यवार अ प्राप्ति का लक्ष्य बताना मुश्किल है।

सांविधिक राशन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल को मार्च से जून 1973 तक दिया गया चावल तथा अन्य अनाज

62. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री एस० पी० भट्टाचार्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जून, 1973 तक पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय भण्डारों से प्रति मास कितना कितना चावल तथा अन्य अनाज वास्तव में दिया गया;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अभ्यावेदन किया है कि यदि सप्लाई बढ़ाई नहीं जायेंगी तो सांविधिक राशन व्यवस्था टूट सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) मार्च से जून, 1973 तक केन्द्रीय भण्डार से पश्चिमी बंगाल को चावल और अन्य खाद्यान्नों की माहवार सप्लाई इस प्रकार है :—

(आंकड़े हजार मी० टन में)

महीना	चावल	गेहू	मोट अनाज
मार्च	56.4	88.3	0.2
अप्रैल	46.2	84.8	0.2
मई . . .	47.4	120.3	0.3
जून	28.1	131.6	..

(क) और (ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और कमी तथा सूखे से प्रभावित अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पश्चिमी बंगाल सरकार की उचित आवश्यकताओं को केन्द्रीय पूल से पूरा किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल सरकार को खाद्यान्नों का आवंटन करते समय सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सदैव ध्यान में रखा जाता है। राज्य सरकार समय-समय पर भारत सरकार को अपनी कठिनाइयों के बारे में सूचित करती रही है।

आई० टी० एफ० द्वारा सिंगापुर में नाविकों के वेतनों के बारे में स्वीकृत संकल्प को लागू करना

63. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों के विभिन्न संघों ने नोटिस दे दिया है जिसमें मांग की गई है कि नाविकों के न्यूनतम वेतनों के बारे में आई० टी० एफ० द्वारा हाल में सिंगापुर की बैठक में पास किए गए संकल्प प्रथम सितम्बर, 1973 तक लागू किया जाए;

(ख) क्या भारतीय जहाज मालिकों ने मांगे गए अधिक न्यूनतम वेतन देने के लिए अपनी असहमति की सूचना दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केवल नेशनल यूनियन आफ सी फेयरर्ज आफ इण्डिया, बम्बई ने ही आई० एल० ओ० की सिफारिशों के आधार पर नाविकों की मजदूरी के भुगतान के संबंध में आई० टी० एफ० द्वारा अपनाए गए संकल्प के 1 सितम्बर 1973 तक कार्यान्वयन के लिए जहाज मालिकों को नोटिस दिया है।

(ख) और (ग) आई० टी० एफ० संकल्प के आशयों की जांच की गई है। महसूस किया जाता है कि संकल्प के कार्यान्वयन से भारतीय नौवहन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा तथा विदेशी जहाजों पर भारतीय नाविकों के लिए रोजगार अवसरों में कमी हो जाएगी। भारतीय जहाजों में भर्ती की लागत में भी तेजी से वृद्धि हो जाएगी।

सभी पहलुओं में मामले पर विचार करने के लिए 12 जुलाई, 1973 को एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें जहाज मालिकों, नाविकों और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें यह निर्णय किया गया कि नाविकों और जहाज मालिकों के बीच ही समस्या का समाधान किया जाए और जब कि सभी आशयों, जिनमें वे भी आशय शामिल हैं जोकि राष्ट्रीय संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, की भी ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए और परस्पर करार द्वारा द्विपक्षीय बैठक में किए गए निष्कर्षों का कार्यान्वयन इस प्रकार से और इस तारीख से होगा जिसका फैसला संबंधित पार्टियां करेंगी।

कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय का पुनर्गठन

64. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री समर गुह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय का पुनर्गठन करने और/अथवा इसके कुछ सैक्शनों का अन्य स्थानों पर अन्तरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का स्वरूप क्या है तथा उसके क्या आधार है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में एक गैर सरकारी फर्म द्वारा बिना लाइसेंस उर्वरकों की बिक्री

65. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज त्रिवेणी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन, नई दिल्ली के दिल्ली प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त किए बिना वर्ष 1971-72 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लाखों रुपये के उवरक बाजार में बेचे ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी, हां। भारतीय उवरक निगम, नांगल ने नवम्बर, 1971 में मेसर्स त्रिवेणी फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल कारपोरेशन, नई दिल्ली को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का वितरक नियुक्त किया था। जुलाई, 1972 में उनको सप्लाई रोक दी गई थी। नवम्बर 1971 से जुलाई, 1972 की इस अवधि में उन्होंने लगभग 4.8 लाख रुपये के मूल्य के उर्वरक बाज़ार में बेचे थे। इस अवधि के दौरान उनके पास पंजीकरण का कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं था।

(ख) वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बगैर उर्वरकों का विक्रय करने के लिये कानून के अन्तर्गत उस फर्म के विरुद्ध मुकदमा चलाने का उत्तरदायित्व दिल्ली प्रशासन का है। उस फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। भारतीय उर्वरक निगम ने उस फर्म की एजेंसी रद्द कर दी है।

वनस्पति घी और खाद्य तेलों के अधिकतम मूल्य

66. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में वनस्पति घी और खाद्य तेलों के सरकार द्वारा निश्चित मूल्यों को दुगना कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) क्या भारत सरकार इनके मूल्यों की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सरकार केवल वनस्पति के मूल्य ही निर्धारित करती है न कि खाने योग्य तेलों के। चालू पंचांग वर्ष में वनस्पति के मूल्य दुगुने नहीं किए गए हैं बल्कि उनमें विभिन्न क्षेत्रों में 34-35 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। उस अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में मूंगफली के तेल के मूल्यों में 50–60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, अन्य खाने योग्य तेलों के मूल्यों में भी उसी हद तक वृद्धि हुई है।

(ख) 1972-73 के दौरान मूंगफली के उत्पादन में अत्यधिक कमी होने और उसके परिणामस्वरूप मूंगफली के तेल की कम उपलब्धता के कारण मुख्यतया मूंगफली के तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि का भी यही कारण है।

(ग) खाने योग्य तेलों के मूल्य पर सीधा नियंत्रण लागू करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, तेल के मूल्यों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से विदेशों से तेलों का आयात करने, एन०टी०एस०डी० ठेकों सहित वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने, बैंक पेशगियों आदि पर ऋण प्रतिबंध लगाने जैसे परोक्ष उपायों को बराबर कार्यान्वित किया जा रहा है।

किसानों द्वारा जमा गेहूं के स्टाक को बाहर निकालने के लिए कार्यवाही

67. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े किसान गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण को असफल बनाने के लिए अपने गेहूं के स्टाक को जानबूझ कर बाहर नहीं निकाल रहें हैं; और

(ख) यदि हां, तो किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूं का स्टाक वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बड़े किसान बहतर मूल्य प्राप्त होने की आशा में अपने गेहूं के स्टाक को रोके हुए मालूम पड़ते है। विभिन्न कानूनों में उल्लिखित उपायों के अलावा, सरकार गैर सरकारी एजेंसियों का सहयोग भी इस आशय से ले रही हैं कि वे किसानों को स्वेच्छा से अधिप्राप्ति एजेंसियों को गेहूं बेचने के लिए प्रोत्साहित करें। कृषि आदानों के मूल्य के लिए राज सहायता हेतू प्रोत्साहन बोनस की योजना के माध्यम से किसानों को उचित प्रोत्साहन भी दिए गए हैं ।

"शैक्षणिक सर्वेक्षण"

68. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समूचे देश में "शैक्षणिक सर्वेक्षण" करा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा और इसमें कुल व्यय कितना आएगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री० डी० पी० यादव) : जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है :–

(1) आयोजना के उद्देश्यों के लिए, सभी शिक्षा संस्थाओं के आवश्यक सांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना;

(2) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और व्यावसायिक स्कूलों, अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कालेजों, अनुसंधान संस्थाओं जैसी सभी वर्गों की वर्तमान शिक्षा संस्थाओं का प्रथम पीढ़ी के नौसिखियो, स्टाफ, भवन और सुविधाओं आदि सहित छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठ-भूमि, (लिंग, आयु, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों, वर्गों और संकायों आदि के अनुसार) स्थान, कार्य क्षेत्र, दाखिल आदि जैसे सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करना;

(3) सभी विशिष्ठ आवासी स्थानों का पता तथा परिगणना करना और प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों तथा उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना के प्रस्ताव तैयार करना;

(4) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के संबंध में खंड, तथा जिला स्तरों पर शिक्षा के विकास की प्रादेशिक असन्तुलनों का पत। लगाना;

(ग) फरवरी, 1975 तक खर्चा लगभग 70.00 लाख रुपये हो जाएगा ।

संसद् की दोनों सभाओं में गणपूर्ति संख्या कम करना

69. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद् की दोनों सभाओं में गणपूर्ति संख्या कम करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो दोनों सभाओं में वर्तमान संवैधानिक अपेक्षानुसार न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) गणपूर्ति संख्या के मामले पर 3 और 4 नवम्बर, 1972 को भोपाल में हुए आठवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में चर्चा की गयी थी । उस सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"सम्मेलन सिफारिश करता है कि संसद्/विधान मण्डलों/महानगर परिषद् के सदनों में गणपूर्ति बनाये रखने का दायित्व विभिन्न दलों/ग्रुपों के सचेतकों के उपर होना चाहिए । सभी दलों/ग्रुपों के सचेतकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य-सूची में रखी गयी कोई भी चर्चा, गण-पूर्ति के अभाव में, स्थगित नहीं की जाती है ।"

इस सिफारिश को संसद् की दोनों सभाओं में राजनैतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं को भेज दिया गया है ।

रक्तदान एकत्र करने के लिये इण्डियन रैड क्रास सोसाइटी और सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी योजना

70. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन रेड क्रास सोसायटी तथा इसकी राज्य शाखाओं एवं जन-कल्याण भावना से प्रेरित होकर रक्तदान करने वाले नागरिकों से रक्त एकत्र करने वाली अन्य सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अथवा अनुदान देने सम्बन्धी योजना को अब अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आवश्यक ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मई-जुलाई, 1973 के दौरान विदेश भेजे गए सांस्कृतिक शिष्टमंडल

71. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्त:सत्र अवधि (19 मई से 22 जुलाई, 1973) के दौरान संसद् सदस्यों अथवा जिसमें संसद् सदस्य शामिल थे, का कोई सांस्कृतिक शिष्टमण्डल विदेश भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से देश का दौरा किया और इस पर सरकार ने यदि कोई राशि व्यय की, तो कितनी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) पैरिस में 16 से 22 जुलाई, 1973 तक आयोजित हो रही 29 वीं अन्तर्राष्ट्रीय

प्राच्यविधाविज्ञ कांग्रेस में भाग लेने हेतु श्री विश्वनारायण शास्त्री, संसद् सदस्य की यात्रा प्रायोजित की गई है। उनकी यात्रा का अनुमानित खर्चा 11,500 रुपये है।

1973-74 के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रांस की यात्रा करने हेतु श्री उमाशंकर जोशी, संसद सदस्य को भी प्रायोजित किया गया है। फ्रांस की यात्रा के निष्कर्ष के बाद उनकी यात्रा हंगेरी तथा जर्मन जनवादी गणतन्त्र को प्रायोजित करने का प्रस्ताव है। उनकी यात्रा का अनुमानित खर्चा 8,500 रुपये है।

दिल्ली में खाद्य पदार्थों के नमूनों का परीक्षण

72. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा खाद्य पदार्थों के लिये जाने वाले नमूना की संख्या वर्ष प्रति वर्ष कम होती जा रही है;

(ख) क्या दिल्ली में अलीपुर रोड स्थित खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने वाली बड़ी प्रयोगशाला, जिसकी क्षमता एक वर्ष में खाद्य पदार्थों के लगभग 7,000 नमूनों का परीक्षण करने की है; मुख्यतया बन्द पड़ी रहती है; और

(ग) खाद्य पदार्थों की परीक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा बढ़ रहे खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा लिए गए खाद्य नमूनों की संख्या में पिछले तीन सालों में कमी हुई है किन्तु नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा लिए गए नमूनों की संख्या में वृद्धि हुई है जो इस प्रकार है :–

वर्ष	दिल्ली नगर निगम	नई दिल्ली नगरपालिका
1970	1,880	421
1971	1,233	427
1972	935	475

(ख) ऐसा पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रयोगशाला में उपलब्ध जांच सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग कराना सम्भव नहीं हो सका। किन्तु वर्तमान रूप को देखते हुए दिल्ली नगर निगम को आशा है कि चालू वर्ष में अधिक नमूनों की जांच की जाएगी।

(ग) दिल्ली में खाद्य-मिलावट की रोकथाम के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) **दिल्ली नगर निगम**

16 खाद्य निरीक्षक
2 मुख्य सफाई निरीक्षक } पूर्णकालिक

(2) **नई दिल्ली नगरपालिका**

3 खाद्य निरीक्षक
1 मुख्य खाद्य निरीक्षक } पूर्णकालिक

4 सफाई निरीक्षक
2 मुख्य सफाई निरीक्षक } इन्हें खाद्य निरीक्षक की पद संज्ञा दी गई है।

(3) दिल्ली छावनी बोर्ड

2 सफाई निरीक्षक 1 सफाई अधीक्षक	इन्हें खाद्य निरीक्षक का पद नाम दिया गया है।

इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का एक केन्द्रीय खाद्य दस्ता जिसमें 5 खाद्य निरीक्षक हैं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्य को कर रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय का दूसरा कैम्पस

73. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कैम्पस को बनाने के सिद्धान्त को शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय में विलम्ब करने के क्या कारण है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण दिल्ली में दूसरा कैम्पस स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है। विश्वविद्यालय प्राधिकारी चालू शैक्षिक सत्र से इस कैम्पस में स्नातकोत्तर कक्षाए शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठा र है।

केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा को औषधियां सप्लाई करने के लिये मानदंड

74. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा को औषधियां सप्लाई करने के लिए फर्मों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा को सप्लाई की जाने वाली औषधियों की किस्म को कैसे सुनिश्चित किया जाता है; और

(ग) क्या केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा औषधियों के नमूने किस्म की जांच हेतु भेजे जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लिए दवाइयां पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली की अनुमोदित सूची की फर्मों से ली जाती है।

(ख) मेडिकल स्टोर डिपो (चिकित्सा सामग्री भण्डार) में जो भी दवाइयां आदि आती हैं उनका पहले इस दृष्टि से निरीक्षण किया जाता है कि क्या वे सप्लाई-आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं या नहीं।

(ग) अधिकांश चीजों से यादृच्छिक नमूने लिये जाते हैं और उन्हें विधिवत सील करके गाजियाबाद/कलकत्ता स्थित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिय भज दिया जाता है। सरकारी प्रयोगशालाओं से सन्तोषजनक परीक्षण रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही इन चीजों के निरीक्षण नोट दिए जाने हैं। ऐसे मामलों में जिनमें टेस्ट रिपोर्ट नमूनों को घटिया घोषित कर दें तथा यह कह दें कि वे भारतीय/ब्रिटिश/संयुक्त राज्य अमेरिका की भेषज संहिताओं में दिए गये विवरण के अनुरूप नहीं हैं उस माल को अस्वीकार करने की सूचना फर्म को दे दी जाती है। अस्वीकार करने की सूचना संबंधित राज्य के औषधि नियंत्रक तथा औषधि नियंत्रक (भारत) को भी दे दी जाती है ताकि वे उस फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

कनाडा द्वारा खाद्यान्न, खाद्य तेल और उर्वरकों की सप्लाई

75. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा भारत को खाद्यान्न, खाद्य तेल और उर्वरक सप्लाई करने के लिए राजी हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा सप्लाई करने का करार हुआ है उसकी शर्ते क्या हैं तथा सप्लाई की समय सूची क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

कनाडा द्वारा भारत को सप्लाई किए जाने वाले तयशुदा खाद्यान्न, खाद्य तेल और उर्वरकों का ब्यौरा देने वाला विवरण ।

1 **खाद्यान्न :** इस समय कनाडा से वाणिज्यिक आधार पर खाद्यान्न का आयात किया जा रहा है

2 **खाद्य तेल :** केवल हाल ही में कनाडा सरकार 1973-74 के दौरान कनाडा से तोरिया या तोरिया के पदार्थों के आयात के लिए भारत को 150 लाख कनाडा डालर का अनुदान देने के लिए राजी हुई है । मात्रा और समय तालिका आदि के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने है ।

3 **उर्वरक :** कनाडा अपने जिन्सों और उर्वरकों के लिए विकास ऋण के अधीन 1973-74 और 1974-75 के दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए 120 लाख कनाडा डालर की राशि भारत को सुलभ करेगा । इस सम्बन्ध में करार पर शीघ्र हस्ताक्षर होने की आशा है ।

राष्ट्रीय स्तर पर बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम

76. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की तरह राष्ट्रीय स्तर पर बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, क्षय रोग उन्मूलन के लिए कुल कितनी धनराशि रखी गई थी और कितनी व्यय की गई; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बी०सी०जी० टीका कार्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यखम का एक अभिन्न अंग है । चूंकि बी० सी० जी० का टीका क्षय रोग नियंत्रण का एक स्थायी उपाय है, इस लिए बी० सी० जी० दलों की जिला क्षय रोग केन्द्रों के साथ मिला दिया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) ऊपर 'क' के उत्तरको ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1970-71, 1971-72 और 1972-73 विवरण में राज्यों को नियत किया गया धन (नकद और अन्य प्रकार) तथा अस्थायी रूप से दी गई केन्द्रीय सहायता के सम्बन्धित विवरण।

(रुपये लाखों में)

1970-71		1971-72		1972-73	
नियतन	दी गई केन्द्रीय सहायता	नियतन	दी गई केन्द्रीय सहायता	नियतन	दी गई केन्द्रीय सहायता
186.67	*101.97	251.93	*150.32	254.25	*265.40

*(इन में संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं हैं)

बाजार में घटिया और पुरानी औषधियों का परिचलन

77. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के बाजारों में परिचालित औषधियों में से 25 प्रतिशत औषधियां घटिया और पुरानी है;

(ख) क्या कुछ विदेशी फर्में बाजार में घटिया किस्म की औषधियां बेचने की आदी हैं; और

(ग) घटिया और पुरानी औषधियों के निर्माण और उनकी लोगों को विक्री रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) औषध निरीक्षक समय-समय पर देश में तैयार की गई औषधियों के नमूने लेते रहते हैं और उन्हें सरकारी विश्लेषकों के पास जांच के लिये देते हैं। इन नमूनों की जांच रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि इनमें से लगभग 20.68 प्रतिशत नमूने अपेक्षित मानक के नहीं थे। इनमें से काफी संख्या विटामिन वाली दवाइयों की थी जिन पर ऊष्ण कटिबंधीय जलवायु का बड़ा असर पड़ता है और उनकी गुणकारिता कम हो जाती है। इन दवाइयों के उन बेचों को जो अपेक्षित मानक के नहीं बताये गये, बाजार से उठवा दिया गया।

(ख) ऐसा कोई प्रमाण या सामग्री नहीं है जिससे यह बात सिद्ध हो सके।

(ग) केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने घटिया और पुरानी औषधियां बनाने तथा उनकी विक्री को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) केन्द्रीय औषधी नियंत्रण संगठन का औषधि निरीक्षण कार्यालयों के साथ मिल कर अनिवार्य तथा जीवन रक्षक औषधियां बनाने वाली फर्मों का निरीक्षण करता है। जिस दवाई की निर्माण विधि अभीष्ट स्तर की नहीं होती है, उस को बनाने का लायसेन्स रद्द किया जाता है और संबंधित फर्मे से त्रुटियों का समाधान करने के लिए कह दिया जाता है।

(2) अन्तर-राज्य व्यापार में जिन अनिवार्य एवं जीवन रक्षक औषधियों का चलन होता है उनके नमुने लने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलाया गया है।

(3) औषधि निरीक्षक और राज्य विश्लेषओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कर दी गई है। उन्हें नये नये विषयों की तकनीकी जानकारी देते रहने के अभिप्राय से विचार गोष्ठी/परिचर्चाओं का बारबार आयोजन किया जाता है।

(4) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशालाओं में जों भी परीक्षणसुविधाएं हैं उन्हें राज्यों के हवाले कर दिया गया है। अनुवर्ती कार्यवाही के अन्तर्गत खराब रिपोर्ट मिलनेपर राज्य सरकारों और निर्माताओं को खराब दवाइयों को वापस लेने तथा उन्हें दवा बनाने की समुचित व्यवस्था करने के बारे में कहा जाता है।

(5) सरकार और अन्य संस्थानों को दवाइयां सप्लाई करने के लिए जो फर्में टेंडर लेती हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और अस्पतालों द्वारा खरीदी, स्टाक की गई और वितरित की गई दवाइयों की क्वालिटी की समय समय पर जांच की जाती है।

(6) औषधि और प्रसाधन के नियमों के उपबंधों को भी जिनके अन्तर्गत यह जरुरी है कि कोई भी लाइसेंसधारक दुकानदार ऐसी दवाई को नहीं बेच या स्टाक करे जिसकी गुणकारिता की तिथि बीत चुकी है, कड़ाई से लागू किया जाता है।

चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवेदन

78. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग जांच आयोग ने सरकार को कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिवेदन दिया है और क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है;

(ख) उसमें दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने देश मे चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया, तो इस सम्बन्ध में और कितना समय लगेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिह) : (क) चीनी उद्योग जांच आयोग ने दो अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिन से (I) गन्नात्मूल-नीति, चीनी कारखानों को गन्ने की सप्लाई का स्थायीकरण और (II) चीनी उद्योग के उपयुक्त और कारगर संगठन के बारे में है।

(ख), (ग) तथा (घ) : पहली अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ मुख्य सिफारिशों अर्थात् गन्ने के मूल्य के लिए वसुली का मूल स्तर और पूर्ण अनुपातिक आधार पर गन्ने का मूल्य का निर्धारित करने को कार्यान्वित किया जा चुका है। शेष सिफारिशों पर भारत सरकार के संबंधित विभागों और राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

दूसरी अंतरिम रिपोर्ट, जो कि काफी बिस्तृत है, में की गई सिफारिशों में मुख्यत: चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का ही उल्लेख है। वे सरकार के विचाराधीन हैं। उस पर निर्णय लेते ही सभा को उससे अवगत किया जाएगा।

सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल मे कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व

79. **श्री नवल किशोर सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या है जिनके निदेशक मण्डल में कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल है;

(ख) क्या देश में कुछ ऐसे सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है जिनमें मंत्रालय का अपना कोई हित है पर उनके निदेशक मण्डल में उनका अपना प्रतिनिधि नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या है और उनके निदेशक मण्डल में मंत्रालय का अपना प्रतिनिधि न होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायगी ।

नीति निर्देशक सिद्धान्तो के अनुरूप निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा शुरू करना

80. **श्री मधु लिमये** :

श्री सेझियान :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संविधान के चौथे अध्याय में दिए गए नीती निर्देशक सिद्धान्त देश के अभिशासन के लिए आधारभूत माने जाते हैं;

(ख) क्या इनमें से एक नीति निर्देशक सिद्धान्त में कहा गया है कि 1965 तक निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का सिद्धान्त पूरा कर लिया जायेगा;

(ग) क्या सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के किसी निर्णय में इस सिद्धान्त के क्रियान्वयन में बाधा पड़ी है; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्ति में विलम्ब के क्या कारण है, और इस लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री बी० पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) संविधान की धारा 45 में कहा गया है —"सरकार, इस संविधान के शुरू होने से दस वर्ष के अन्दर सभी बच्चों को, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी ।"

(ग) भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय से अवगत नहीं है, जिससे इस धारा के कार्यान्वयन में बाधा पड़ी हो ।

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति की देरी का प्रमुख कारण है—आर्थिक साधनों का अप्रर्याप्त होना । अन्य महत्वपूर्ण कठिनाईयों में, सामाजिक पहलु (अर्थात् लड़कियों को स्कूल भेजने की कठिनाईयां), व्यावहारिक कठिनाईयां (छोटे और बिखरे हुए गांव, अगम्य बनक्षेत्र, आदि) तथा आर्थिक पहलु, जैसे कि घरेलू कार्यों अथवा अन्य आर्थिक कार्यो में बच्चों की सहायता प्राप्त करने के बारे में अभिभावकों की इच्छा, भी शामिल हैं। राज्य सरकारें, जिनके प्राधिकरण क्षेत्र में इस लक्ष्य का कार्यान्वयन निहित है, इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही हैं ।

निर्मित वस्तुओं तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों में समता का सिद्धान्त

81. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औद्योगिक रूप से उन्नत देश व्यापार का प्रतिकूल शर्तों द्वारा कृषि उत्पादों तथा प्राथमिक उत्पादों के उत्पादकों का शोषण करते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हमारे अपने देश में एक और औद्यागिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र और दूसरी और कृषि क्षेत्र के बीच इसी प्रकार का असमता का सम्बन्ध है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अमरीका जैसे देशों ने इस असन्तुलन को समाप्त करने तथा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये समता का सिद्धान्त लागू किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस शोषण के समाप्त करने के लिये एक ओर निर्मित वस्तुओं तथा कृषि सम्बन्धी खाद, बीज आदि के मूल्यों और वसूली दूसरी और कृषि सम्बन्धी उत्पादों के मूल्यों समता का सिद्धान्त स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) किसी देश में औद्योगिक और कृषि उत्पादकों के बीच व्यापार का रुख मार्ग और पूर्ति की स्थिति, बाजार में उतार चढ़ाव, सरकारी नीति आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है । इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विभिन्न दशों के बीच व्यापार की शर्तों का निर्धारण अनेक बातों पर निर्भर करता है। कुछ वर्षों से व्यापार का रुख विकासशील देशों द्वारा होने वाले उत्पादों के परम्परागत निर्यात के प्रतिकूल होती जा रही हैं ।

(ख) भारत में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों की तुलना मे प्रायः कृषि जिन्सों के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है । परन्तु कृषि जिन्सों के व्यापार में सट्टेबाजी का बड़ा हाथ है ।

(ग) विभिन्न देश अपने मूल्य और आय की नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपना सकते हैं । अमरीका में कृषि जिन्सों के सहाय्य मूल्य निर्धारित करने के लिये अपनाया जाने वाला समता का सिद्धान्त भी ऐसा ही एक तरीका है ।

(घ) सरकार की नीति यह है कि कृषि उत्पादों को अच्छा मूल्य दिया जाये । अतः हर साल कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों के न्यूनतम सहाय्य/अधि-प्राप्ति मूल्य निर्धारित किये जाते हैं । अपनी सिफारिशें करते समय आयोग आदानों में मूल्यों के उतार चढ़ाव और उत्पादन की लागत तथा सामान्य मूल्य स्तर आदि अनेक बातों पर विचार करता है ।

केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने वाली दिल्ली की सांस्कृतिक संस्थाए

82. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कलाकेन्द्र सहित संगीत नृत्य और नाट्य कला सिखाने वाली दिल्ली की उन सांस्कृतिक संस्थाओं के नाम क्या है जिन्हें केन्द्र से सहायता अथवा अनुदान प्राप्त होता है ;

(ख) क्या सरकारी सहायता तथा अनुदान के सही उपयोग की जांच करने के लिए कोई लेखा परीक्षण किया जाता है ;

(ग) क्या इन संस्थाओं द्वारा कलाकारों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें पिछले तीन वर्षों की सूचना दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० **टी०** 5141/73]

(ख) अनुदान की एक शर्त के अधीन अनुदान प्राप्त कर्ता संस्थाओं को परीक्षित लेखों का विवरण तथा सनदी लेखापाल के इस आशय का एक प्रमाणपत्र सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है कि अनुदान की राशि का उपयोग इस प्रयोजनार्थ किया गया है जिसके लिये यह संस्वीकृत की गई थी।

(ग) और (घ) लिटिल थियटर ग्रुप, नई दिल्ली के एक भूतपूर्व कर्मचारी से उसकी सेवाएं समाप्त कर दिए जाने से संबंधित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। मामले की जांच की गयी थी और सरकार की ओर से इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं समझा गया।

वसूली अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए बोनस योजना

83. **श्री मधु लिमये** :

श्री हरी सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसूली अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय ने बोनस योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या बोनस किसानों को दिया जायेगा या लेवी कलेक्टरों को अथवा राज्य सरकार के खजाने में ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) चालू रबी मौसम के दौरान गेहूं की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के उद्देश्य से सरकार ने गेहूं पैदा करने वाले राज्यों को बोनस देने के लिए एक योजना की घोषणा की है जिसमें उनके लिए निर्धारित लक्ष्य से 25 प्रतिशत से अधिक गहूं अधिप्राप्त करने और उसे 15 जुलै, 1973 तक केन्द्रीय भण्डार में देने की शर्त है। बोनस की योजना इस प्रकार है :—

(1) राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के 25 प्रतिशत तक अधिप्राप्ति की गई और केन्द्रीय भण्डार में दी गई मात्रा के लिए कोई बोनस नहीं।

(2) 25 प्रतिशत से अधिक और लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक अधिप्राप्ति की गई और केन्द्रीय भण्डार को दी गई मात्रा के लिए 4.00 रुपये प्रति क्विंटल।

(3) 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन लक्ष्य के 75 प्रतिशत से कम अधिप्राप्ति की गई और केन्द्रीय भण्डार को दी गई मात्रा के लिए 5.00 रुपये प्रति क्विंटल।

(4) 75 प्रतिशत से अधिक तथा लक्ष्य के 100 प्रतिशत तक अधिप्राप्त की गई और केन्द्रीय भण्डार को दी गई मात्रा के लिए 7.00 रुपये प्रति क्विंटल।

(5) राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्त की गई और केन्द्रीय भण्डार को दी गई मात्रा के लिए 10.00 रुपय प्रति क्विंटल।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि बोनस से अर्जित राशि को केन्द्रीय राजस्व में जमा न किया जाए बल्कि उसे किसानों को उर्वरक आदि जैसे कृषि आदानों के मूल्यों में राजसहायता देकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयोग में लाया जाए ताकि उन किसानों को लाभ पहुंचे जिन्होंने अधिप्राप्ति में सहायता की है। इस सम्बन्ध में वास्तविक योजनाएं तैयार करनेका कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली स्थित अन्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

84. **श्री मधु लिमये :**

श्री नरेन्द्र सिह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली स्थित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों के कार्यकरण के बारे में सरकार को संसद सदस्यों तथा जनता की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इन शिकायतों का स्वरुप क्या है; और

(ग) जांच कार्यों के रुपमें तथा इन अस्पतालों के कार्यकरण में सुधारी के रुपमें सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के ए के किस्कू) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली के अन्य सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों के असन्तोषजनक कार्य के बारे में ससद् सदस्यों जनता से कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) यह शिकायतें मुख्यतः अस्पतालों में असंतोषजनक स्थिति, सफाई के अभाव तथा रोगियों की और तुरन्त और पर्याप्त ध्यान न देने के बारे में हैं।

(ग) अस्पतालों के काम काज में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय बरते गये हैं :-

(1) सभी बड़े-बड़े अस्पतालों में पूर्ण कालिक अधीक्षक नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(2) इन अस्पतालों के दैनिक काम काज की निगरानी का भार विशेष रुप से स्वास्थ्य सेवाओंके महानिदेशालय के एक अधिकारी को सौंप दिया गया है ।

(3) अस्पतालों की सफाई तथा स्वच्छता के लिए अधिक स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है।

(4) रोगियों की ओर तुरन्त एवं विशेष ध्यान देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों को आवश्यक हिदायतें दे दी गयी हैं।

(5) लोगों की सही जानकारी कराने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए पूछ-ताछ खिड़कियों और अन्य जन संपर्क कार्यालयों की मशीनरी को तेज कर दिया गया है।

निदेशक संबंधित मेडिकल अधीक्षक द्वारा शिकायतों की शीघ्र ही जांच की जाती है। इन कमियों को दूर कर के रोगियों को पर्याप्त देख रेख की सुविधा देने के अधिक उपायों जुटाने पर निरन्तर विचार किया जा रहा है ।

7--16 L.S.S./73

खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने और नियत मजूरी पाने वाले वर्ग और कमजोर वर्ग को नियम मूल्य पर सप्लाई करने के लिये किये गए उपाय

85. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उत्पादन तथा आयात से खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या नियत मजूरी पाने वालो तथा कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए पर्याप्त तथा स्थायी प्रबन्ध एवं व्यवस्था की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने खाद्य की कमी का मुकाबला करने के लिए कई पग उठाए हैं। रबी और ग्रीष्म फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक व्यापक आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था। खाद्यान्नों की पैदावार बढाने के लिए उठाए गए अन्य पग कृषि विकास की नई नीति में दिए गए हैं जिन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती, बहु फसलें उगाना, सघन खेती के लिए लघु सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात के लिए संयुक्त व्यवस्था, संस्थागत वित्त, किसान की शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य तेज करने समेत उदार ऋण सुविधाओं के लिए सामयिक व्यवस्था करना कम सप्लाई की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया जा रहा है।

(ख) क्योंकि वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है अत: जनसंख्या के जरूरत मन्द वर्गों को निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आदेश दिए गए हैं।

1973–74 के लिये गन्ने का मूल्य तथा बुवाई अथवा पौधे लगाए जाने से पूर्व कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य नियत किए जाने के कारण।

86. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973-74 के दौरान चीनी मिलों को सप्लाई किए जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य नियत कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अपनी घोषित नीति के अनुसार बुवाई और पौधे लगाए जाने से पूर्व कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्य नियत न किए जाने तथा उनकी घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश को अलाट किए जाने वाले अनाज की मात्रा

87. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रति मास आन्ध्र प्रदेश को अनाज की कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है; और

(ख) आवंटन को पर्याप्त रूप से बढाए जाने तथा वितरण प्रबन्धों को मज़बूत बनाए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) आन्ध्र प्रदेश चावल के मामले में अधिशेष राज्य हैं। इसलिए चालू वर्ष में राज्य को कोई चावल आंबटित नहीं किया गया है। जहां तक गेहूं का संबंध है, जनवरी से जुलाई, 1973 तक आन्ध्र प्रदेश को किया गया आवंटन इस प्रकार है :—

(हजार मी० टन में)

माह	आबंटित मात्रा
जनवरी	8.0
फरवरी	11.0
मार्च	13.0
अप्रैल	13.0
मई	25.0
जून	25.0
जुलाई	15.0

(ख) केन्द्रीय भण्डार में गेहूं की कुल उपलब्धता तथा साथ साथ राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्यक माह गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारों को सरकारी वितरण प्रणाली के कार्य में सुधार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गयें हैं।

नई दिल्ली के० डी० आई० जैड० क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट

88. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट मई 1973 तक पूरी हो जानी चाहिए थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) विलम्ब के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) डी० आई० जैड० क्षेत्र की गलियों में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा 7-6-73 को बिजली चालू कर दी गई है

(ख) **तथा** (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के गलत परिणाम (1973)

89. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री पी० ए० सामीनाथन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इस वर्ष अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा के घोषित परिणाम गलत पाए गए है, और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है और क्या परिणामों के पुनरीक्षण तथा इसकी घोषणा के लिए तारीख नियत करने के कोई प्रबन्ध किए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):(क) और ख) : संकलन करते समय नोटिस में आई उन चार अनजान गलतियों के अलावा, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ठीक कर दी गई थी, अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम इस वर्ष अशुद्ध नहीं थे। सावधानी के तौर पर बोर्ड द्वारा परिणामों की पुन: जांच की गई थी और अन्य कोई गलती उसमें नहीं पाई गई।

Discontentment among farmers of Bihar on procurement of wheat

90. **Shri M. S. Purty** : Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is discontentment among the farmers in Bihar against the attitude adopted by Government as they could not procure the levy wheat there; and

(b) if so, whether Government have provided certain facilities to the farmers so that they may meet their needs ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Due to gap between the procurement price and the prevailing market price of wheat, there has been some discontentment among the farmers in Bihar because of the enforcement of levy orders.

(b) The Bihar Government have reported that procurement of wheat has been linked up with supply of chemical fertilizers. For supply of one quintal of wheat 10 Kg. nitrogen and 5 Kg. of Potash will be allowed. Accordingly farmers will get 50 Kg. of Ammonium Sulphate or 22 Kg. of Urea or 40 Kg. of Calcium Ammonium Nitrate and 30 Kg. of single Super Phosphate or 11 Kg. of Ammonium Phosphate at controlled price. If any particular farmer does not need fartilizers at that moment the Block Development Officer concerned will issue permit for being supplied at a later date. In addition, incentives have been provided to farmers by way of supply at controlled prices on permit on priority basis the following essential commodities @ one Kg. of sugar for every quintal of wheat, one Dhoti or one sari or 5 Metres of cloth for one M. T. of wheat, 5 bags of cement for one M. T. of wheat and one K.G. of vegetable oil for every M. T. of wheat. Supply of sugar will be made to all farmers. Of the remaining three items farmers may opt for supply of one or two items only.

आदिवासी विद्यापीठ का विकास

91. **श्री एम० एस० पुरति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में हुए आदिवासी विकास सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार से एक आदिवासी विद्यापीठ को विकसित करने की मांग की गई थी, और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार को आदिवासी विकास सम्मेलन से इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नही उठता।

'यूथ अगेंस्ट फेमिन' अभियान

92. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने अनेक स्वयं सेवी अभिकरणों के सहयोग से देश के अनेक भागों में द यूथ अगेंस्ट फेमिन अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और किन राज्यों में यह अभियान पहले ही चालू हो चुका है और किन राज्यों में चालू किया जाएगा; और

(ग) इस योजना पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाएगी और इससे क्या लाभ मिलने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) सरकार ने "अकाल बनाम तरूण" नामक एक विकासोन्मुख शैक्षिक कार्यक्रम संस्वीकृत किया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें योजना की व्यापक रूपरेखाएं और अन्य ब्यौरे दिए गए है।

विवरण

राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अकाल बनाम तरूण योजना संचालित की गई है। विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा एकक इसको कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी है।

उद्देश्य :

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

—ग्रामीण परिस्थिति की वास्तविकताओं का सही साक्षात्कार कराकर विश्वविद्यालय छात्रों की शैक्षिक शिक्षा की सम्पूर्ति।

—राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में भाग लेने के लिए युवकों को अवसर प्रदान करना।

—सामाजिक क्षेत्र की सेवा के लिए छात्र तथा अध्यापकों को अपने ज्ञान तथा अध्ययन के उपयोग के लिए अवसर प्रदान करना।

कार्य परियोजनाएं :

छात्रों और अध्यापकों द्वारा हाथ में ली गई कार्य परियोजनाएं ऐसी थीं, जो निर्धारित समय में समाप्त की जा सकती थी। परियोजना की किस्म, भाग लेने वालों की सक्षमता, क्षमता और संसाधनों के मुताबिक होनी चाहिए। इस प्रकार की परियोजनाएं समाप्त होने पर सामाजिक परिसम्पति हो जाती है। परियोजना का अनुरक्षण इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद, राज्य सरकारों को करना होगा।

1973 के ग्रीष्म काल में इस योजना में लगभग एक लाख युवक शामिल होंगे। उनमें से 80 प्रतिशत विश्वविद्यालयों और कालेजों से लिए जाएंगे और शेष गैर-छात्र युवक होंगे। लगभग एक हजार शिविरों का अनुमान किया गया था और प्रत्येक शिविर में, जो 16 से 25 दिनों का भिन्न भिन्न अवधि की होंगी, लगभग 100 युवक होने थे।

प्रत्येक शिबिर में पहले दो दिन और अन्तिम दो दिन, क्रमश: संक्षेप विवरण/अनुस्थापन के लिए और मूल्यांकन/विसर्जन के लिए अलग रखे गए थे। शेष दिन वास्तविक कार्यकरण दिनों के रूप में व्यतीत किए गए जिनमें दिन के समय सदस्यगणों ने परियोजना-निर्माण पर कार्य किया। फालतू समय में, छात्र तथा अध्यापकों ने, ग्राम समुदाय के परामर्श से ऐसा कार्य सुरू किया जिसमें उनको अपने ज्ञान और अध्ययन का उपयोग करना पड़ा। इन कार्यक्रमों की निदर्शी सूची में अनौपचारिक शिक्षा, ग्राम सफाई कार्य, भू-सुधारों का अध्ययन, बैंक राष्ट्रीय करण का ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव तथा गेंहू के थोक व्यापार को राज्य द्वारा अपने हाथ में ले लेने के परिणामस्वरूप अन्न के वितरण व विक्री से सम्बन्धित समस्या आती हैं।

वित्त व्यवस्था :

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना की वित्तीय व्यवस्था की जाती है। 1973–74 में उपरोक्त योजना पर अनमानित खर्चा 138.41 लाख रुपये था जिसके ब्यौरे नीचे दिए गये है :—

		लाख रुपये
(क)	कार्यक्रम में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों को शिबिर और परियोजना के खर्चे के लिए विशेष अनुदान	134.00
(ख)	केन्द्रीय समन्वय समिति को प्रशासन, पूर्व-आयोजना अनुस्थापन प्रशिक्षण, आयोजन, केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकारी एजेंसियों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय पर खर्चे के लिए अनुदान .	3.91
(ग)	कार्यक्रम का मूल्यांकन (500 परियोजनाओं के लिए औसतन 100 रुपये प्रति परियोजना के हिसाब से)	0.50
	कुल .	138.41

विभिन्न राज्यों में पहले से आयोजित, चल रहे और 31 अगस्त, 1973 तक आयोजित किए जाने वाले शिबिरों के ब्यौरे अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं।

इस समय इस कार्यक्रम को 31 अगस्त, 1973 तक मंजूर किया गया है। कुछ शिबिरों का वर्षाकाल के आरम्भ हो जाने, कालेजों के बन्द हो जाने, कैम्बसों में अशान्त परिस्थितियों, शक्षिक सत्रों के विस्तार परीक्षाओं के मुल्तवी हो जाने और छुट्टियों के शुरू होने में अनुवर्ती विलम्ब हो जाने के कारण आयोजित नहीं किया जा सका। अत: कुछ शिबिरों को समय-सीमा में वृद्धि प्रदान की गयी थी। कुछ शिबिरों का आयोजन अगली छुट्टियों में किया जाएगा।

इस परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

सामूहिक गुणों को उत्पन्न करने के अलावा, इस कार्यक्रम को युवकों के राष्ट्रीय विकास में भाग लेने की प्रवृत्ति को जागृत करने और शिक्षित युवकों को ग्रामीण समुदाय के और समीप लाने के लिए तैयार किया जाता है।

अनुबन्ध

अकाल बनाम तरूण अभियान (जैसे कि 15-7-73 को)

संख्या	राज्य	आयोजित किए जा चुके शिबिर	संचालित किए जा रहे शिबिर	जुलाई/अगस्त के अन्तिम पखवाड़े में आयोजित किये जाने वाले शिबिर	कैफ़ियत
1	आन्ध्र	15	9	15	
2	असम	..	21		इसमें मिजोराम और अरुणाचल प्रदेश के शिबिर शामिल हैं ।
3	बिहार	50	..	1	
4	चण्डीगड	3	..		
5	दिल्ली	6	..	..	
6	गुजरात	73	..	4	
7	हरियाणा	36	..		
8	हिमाचलप्रदेश	4	..		
9	केरल	43	..	..	
10	मध्य प्रदेश	40	9	3	
11	महाराष्ट्र	60	11		
12	मणिपुर	..	2		
13	मैसूर	70	..	..	
14	नागालैण्ड	..	2	..	
15	उड़ीसा	32	4	*	*कुछ और शिबिरों की आयोजना है ।
16	पंजाब	59	4	2	
17	राजस्थान	15	2	5	
18	तमिलनाडू	43	..		
19	उत्तर प्रदेश	22	15	..	
20	पश्चिम बंगाल	53	..	..	
		624	79	30	

राज्यों में नसबन्दी आपरेशन असफल रहने के मामले

93. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में राज्य वार नसबन्दी के ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति नसबन्दी आपरेशन के बाद भी बच्चे पैदा करने के योग्य थे ;

(ख) देश में उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी जिनकी नसबन्दी आपरेशनों के फलस्वरूप संक्राम्य रोगों से मृत्यु हुई ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भाग (क) और (ख) में उल्लिखित मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के०किस्कु) :(क) ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते । तथापि नसबन्दी आपरेशन के पश्चात् भी लगभग 12 बार शुक्र-स्खलन तक व्यक्ति बच्चे पैदा करने के योग्य बने रहते हैं । कतिपय स्थानिय क्षेत्रों में वीर्य परीक्षण पर किए गए कुछ अध्ययनों में से पता चलता है कि आपरेशन के पश्चात् 12 बार वीर्य स्खलन के बाद भी वीर्य में शुक्राणु पाए जाते हैं । किसी भी क्षेत्र में ऐसे वास्तविक मामलों की संख्या 6.14 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

(ख) नसबन्दी आपरेशनों के फलस्वरूप संक्राम्य (टेटनस) रोगों से मरने वालों की संख्या इस प्रकार है :—

1970—1971 . . .	4
1971—1972 . . .	17
1972—1973	22

(ग) नसबन्दी कराने वालों को नियमित रूप से 12 निरोध दिये जाते हैं और आपरेशन के बाद की अवधि में उन्हें उनका उपयोग करने की सलाह दी जाती है और उनको यह भी सलाह दी जाती है कि आपरेशन की प्रभावकारिता जानने के लिए वे तीन महीने के बाद अपने वीर्य का परीक्षण करा लें ।

सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को आपरेशन को असफल न होने देने के लिए और बाद की जटिलताओं से बचने के लिए एहतियाति उपाय करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शिकाएं भेज दी गई हैं ।

केन्द्रीय विद्यालय

94. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) शिक्षा वर्ष 1973-74 के आरम्भ में देश में कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं तथा कहां-कहां; और

(ग) क्या देश के प्रत्येक जिले में ऐसे केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) इस समय देश में 166 केन्द्रीय विद्यालय हैं और राज्यवार उनके ब्यौरें इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विद्यालयों का नाम
1	आन्ध्र प्रदेश	7
2	असम	8
3	विहार	10
4	गुजरात	9
5	हरियाणा .	4
6	हिमाचल प्रदेश	1
7	जम्मू तथा कश्मिर	3
8	केरल . .	4
9	मध्य प्रदेश	9
10	महाराष्ट्र .	19
11	मैसूर	7
12	उड़ीसा .	5
13	पंजाब . .	6
14	राजस्थान . . .	10
15	तमिल नाडु .	10
16	उत्तर प्रदेश	27
17	पश्चिम बंगाल .	10
18	मेघालय	1
19	त्रिपुरा .	1
20	मणिपुर	1
	संघ शासित क्षेत्र	
1	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह .	1
2	चण्डीगढ़ .	1
3	दिल्ली . . .	10
4	गोआ .	1
5	पांडिचेरी . .	1
	कुल .	166

(ख) 1973–74 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा देश में अब तक केवल 10 केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं और उनके स्थान निर्धारण इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	स्थान निर्धारण	
1	गोहाटी (वेरजर) . . .	असम]
2	बिनागुरी .	पश्चिम बंगाल
3	बरकपुर	पश्चिम बंगाल
4	39 गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र, वीरपुर देहरादून	उत्तर प्रदेश
5	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
6	कम्पती	महाराष्ट्र
7	गणेशखिंड (पूना)	महाराष्ट्र
8	जनकपुरी (नई दिल्ली) .	दिल्ली
9	जमालपुर	बिहार
10	भरतपुर .	राजस्थान

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से ऐसे रक्षा कार्मिकों और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं जिनका तबादला होता रहता है। किसी स्थान विशेष पर स्थानान्तरणीय केन्द्रीय कर्मचारियों को जमाव को ध्यान में रखकर ही केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं।

गांवों में भूमिहीन गरीबों को मकानों के लिए स्थान

95. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री सी० के० चंद्रप्पन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गांवों में भूमिहीन गरीब लोगों के लिए मकानों सम्बन्धी स्थान अर्जित करने के लिए राज्य सरकारों के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां तो 1972-73 में प्रत्येक राज्य के लिए मंजूर की गई इस धनराशि में से राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का प्रयोग किया गया है ;

(ग) इस योजना की क्रियान्विति में प्रत्येक राज्य ने कितनी प्रगति की है; और

(घ) क्या 13 में से 9 राज्यों ने मंत्रालय को अपने तिमाही ब्लाकवार प्रतिवेदन और योजना की प्रगति नहीं भेजी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देन की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 1972–73 के दौरान दी गई राशि का एक विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में उपयोग की गई राशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) अपेक्षित रचना का एक विवरण संलग्न है। केवल चार राज्यों ने अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों को 1972–73 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत दी गई निधियों का विवरण।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
		(लाख रुपये में)
1	बिहार	11.45
2	गुजरात	76.65
3	हरियाणा	0.02
4	हिमाचल प्रदेश	0.16
5	केरल	205.44
6	महाराष्ट्र	41.14
7	मैसूर	59.84
8	उड़ीसा	2.10
9	पंजाब	7.92
10	राजस्थान	2.81
11	तमिलनाडु	18.88
12	उत्तर प्रदेश	7.71
13	पश्चिम बंगाल	4.85
	कुल	438.97

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना की अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा अर्जित की गई भूमि का क्षेत्रफल तथा विकासित किए गए आवास-स्थलों की संख्या का विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	अर्जित की गई भूमि का क्षेत्र फल	विकासित किए गए आवास-स्थलों की संख्या
		(एकड़ों में)	
1	बिहार	राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी है ।	
2	गुजरात	40.00	1,607
3	हरियाणा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	हियाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	केरल	3,355.20	49,101
6	महाराष्ट्र	210.55	7,322
7	मैसूर	93.00	7,868
8	उड़ीसा	राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी है ।	
9	पंजाब	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10	राजस्थान	राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी है ।	
11	तमिल नाडु	14.05	कुछ नहीं
12	उत्तर प्रदेश	35.61	20
13	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी है ।	
	कुल	3748.41	65,918

टिप्पणी :—यह सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों पर आधारित है ।

गांवों में पेय जल की अत्यधिक कमी

96. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुत से गांवों में पेय जल की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पांचवी योजना के अवधि में इन गांवों में पेय जल उपलब्ध करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) पांचवी योजना के न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल पूर्ति एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है तथा पांचवी योजना की अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। तथापि, अन्तिम प्रस्ताव पांचवी योजना का प्रतिपादन होने पर ही बन पायेंगे।

केरल में राशन की बिगडती हुई स्थिति

97. **श्री एम० के० कृष्णन : क्या कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल राज्य में खाद्य पदार्थों की सप्लाई की कमी के कारण वहां पर राशन की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और मई तथा जून, 1973 के दौरान केरल को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) राज्य के अन्दर खाद्यान्नों का वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और अन्य कमी वाले और सूखा ग्रस्त राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्रीय पूल से केरल सरकार की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। मई और जून, 1973 के दौरान केन्द्रीय पूल से केरल को खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की गई थीं :—

(हजार मीटरी टन में)

महीना	मात्रा
मई .	85.3
जून	86.1

केन्द्रीय पूल से सप्लाई के अलावा, केरल सरकार को आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पांडिचेरी से राज्य से राज्य के आधार पर चावल की कुछ मात्राएं खरीदने की अनुमति दी गई है ताकि वे राज्य को किए गए केन्द्रीय आबन्टन से अधिक चावल प्राप्त कर सकें।

दिल्ली में गन्दी बस्तीयां हटाने के लिये योजना

98. **श्री शशिभूषण : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की स्वाधीनता के रजत जयन्ती वर्ष के दौरान दिल्ली की गन्दी बस्ती हटाने की योजाना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निश्चित की गई और अब तक कितनी राशि व्यय की गई तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सड़कों चौड़ी की गयी और इनके किनारों पर विशेषतया बाग कड़े खां, मस्जिद मोठ तथा श्रीनिवासपुरी क्षेत्रों में वर्षा का पानी निकालने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) भारत की स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के वर्ष में गन्दी-बस्ती सफाई तथा सुधार के बारे में कोई विशेष योजनाएं नहीं बनाई गई थी। तथापि, वातावरण सम्बन्धी सुधार-कार्य के अन्तर्गत दिल्ली म जलपूर्ति, जलयुक्त शौचालयों, पक्की गलियों आदि की योजनाएं आरम्भ की गई थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) पिछले तीन वर्षों में 48 सड़कें चौड़ी की गई हैं। पानी के निष्कासन का प्रबन्ध गुली-ग्रेटिंग और पाइपों की व्यवस्था द्वारा किया जाता है।

दिल्ली में पेय जल की सप्लाई

99. **श्री शशिभूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली को पर्याप्त पेय जल सप्लाई करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ख) दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में दिल्ली में पेय जल सप्लाई करने के लिए सरकार ने अन्य क्या साधन जुटाये हैं;

(ग) क्या दिल्ली और हरयाणा के बाढ़ के जल को जमा करने के लिए और फिर साफ करके सुरक्षित पेय जल के रूप में सप्लाइ करने के लिए दो या तीन झीलें बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस समय दिल्ली में पेय जल की कुल कितनी आवश्यकता है और कुल कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है और दिल्ली के लोगों को किस समय तक अपेक्षित मात्रा में जल सप्लाई किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम के जल सप्लाई तथा मल निपटान संस्था ने भाकड़ा के कच्चे पानी की सप्लाई के आधार पर 1300 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पश्चिमी दिल्ली के लिए 1000 लाख गैलन प्रति दिन पानी साफ करने का संयन्त्र स्थापित करने की एक योजना बनाई है। राम गंगा परियोजना के पूर्ण होने पर अपर गंगा नहर से कच्चा पानी लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी प्रबन्ध कर लिया गया है। इस के अतिरिक्त यमुना तल में 8 रैनो कुएं बनाए जा रहे हैं जिन से 1973–74 तक दिल्ली की जल सप्लाई में 200 लाख गैलन प्रति दिन की वृद्धि होगी।

(ग) बाड़ के पानी को इकट्ठा करने के लिए "घोज तथा कोट रैज़रवायर योजना" नाम से एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु अब इसे समाप्त कर दिया गया है।

(घ) 60 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 44 लाख की अनुमानित जन संख्या के लिए मोजूदा आवश्यकता का अनुमान 2640 लाख गैलन प्रतिदिन है, जबकि आजकल 1830 लाख गैलन प्रतिदिन सप्लाई किया जा रहा है जिस का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1	चन्द्रावल I तथा II . . .	900 लाख गैलन प्रतिदिन
2	वजीराबाद में I तथा II एम०जी०डी०प्लांट .	800 लाख गैलन प्रतिदिन
3	ओखला वाटर वर्क्स . . .	60 लाख गैलन प्रतिदिन
4	नलकूप . . .	70 लाख गैलन प्रतिदिन
	जोड़ .	1830 लाख गैलन प्रतिदिन

1976 के अन्त तक जब 1000 लाख गैलन प्रतिदिन वाले प्लान्ट के चालू होने की आशा है, आवश्यकता के पूर्ण हो जाने की संभावना है।

सब्जी मंडी से दिल्ली तथा नई दिल्ली तक के मार्ग के स्थलों को रमणीय बनाना

100. **श्री शशिभूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सब्जी मंडी से दिल्ली और नई दिल्ली तक के मार्ग पर गन्दी बस्तियों की जानकारी है जहां लोग गन्दगी फेंकते हैं और बहुत से लोग सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण प्रात:काल वहां शौचादि के लिए जाते हैं ;

(ख) क्या विदेशी पर्यटक इसे बहुत बुरा समझते हैं; और

(ग) क्या वहां पर सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए और उस स्थल को रमणीय बनाने के लिए कोई ऐसी योजना है कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन और रेलवे मिलकर विचार करें ताकि यह स्थल देखने में सुन्दर लगे, और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) सब्जी मण्डी से दिल्ली और नई दिल्ली तक रेलवे लाईन के दोनों ओर प्राइवेट लोगों को कई पुराने मकान हैं। इन में से कुछ क्षेत्रों में अवश्य ही अवास्थकर स्थिति है। नगर नियम ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में जन सुविधाओं की व्यवस्था की है तथा यह निजी मकानों में बेहतर सुविधाओं के लिए सहलियतें देता है।

(ख) इन विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली के लिये बृहत योजना (मास्टर प्लान) का पुनरीक्षण

101. **श्री शशिभूषण** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 10 वर्ष पूर्व अप्राधिकृत रूप से जो मकान बनाये गए थें उनके सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है; ।

(ख) क्या दिल्ली के लिए बृहत योजना (मास्टर प्लान) का पुनरिक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है तो बृहत योजना (मास्टर प्लान) के पुनरिक्षण करने के सम्बध में कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) मोटे तौर पर स्थिति इस प्रकार है :—

अनधिकृत कालोनियां जो 1, सितम्बर, 1962 से पहले बनी

इन कालोनी में निर्मित क्षेत्र अर्जन से मुक्त और नियमित किए गए थे बशर्ते कि (i) वे भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन 13 नवम्बर, 1959 को प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से पहले बनाये गए हों, तथा

(ii) वे स्वीकृत नियमितिकरण प्लान के अनुरूप ढाले जा सकें।

अनधिकृत कालोनियां जो 1, सितम्बर, 1962 से 1, फरवरी, 1967 के दौरान बनो।

उन सभी अनधिकृत निर्माणों/कालोनियों के नियमितीकरण प्लान, जिन का भूमि उपयोग बृहत योजना के अनुरूप था, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकाश प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाऐंगे। भूमि के अर्जन के बाद, मकान/प्लॉट व्यक्तियों को अर्जन की लागत, विकास की लागत तथा अन्य

प्रभारों की अदायगी करने पर दिए जाएंगे । तथापि, उस किसी सम्पति के बारे में पट्टा नहीं दिया जा सकता जिस का बृहत योजना के अनुरूप भूमि उपयोग नहीं है या जो पार्क, सड़कें, स्कूल, स्थलों आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित है ।

(क) तथा (ग) दिल्ली की बृहत योजना के कतिपय पहलुओं के पुनरीक्षण करने के एक अंश के रूप में विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है । तथापि, ऐसे पुनरीक्षण द्वारा बृहत्त योजना को मूलभूत विशेषताओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित नहीं है ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के के प्रस्तावित संशोधन

102. **श्री शशिभूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के प्रस्तावित संशोधनों पर निर्माण और आवास मंत्रालय को परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के विचार प्राप्त कर लिए हैं ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं, और यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार उनके विचारों के लिए और कितने समय तक प्रतीक्षा करेगी क्योंकि यह मामला सदस्यों को वर्ष 1971 में भेजा गया था ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(क) तथा (ग) क्योंकि सलाहकार समिति के सदस्यों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी, अतः 28 नवम्बर, 1972 को दिल्ली प्रशासन को यह लिखा गया कि विभागिय समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी के लिए वे मामले को दिल्ली महानगर परिषद के सामने रखें । महानगर परिषद के निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

हल्दिया में जहाज निर्माण यार्ड सम्बधी प्रतिवेदन की जांच

103. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री आर० एन० वर्मन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हल्दिया में जहाज निर्माण यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन की अन्तिम रूप से जांच कर ली है,

(ख) यदि हां. तो इस मामले मे क्या निर्णय किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग): नये शिपयार्डों की स्थापना के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को भेजे गए हैं और वे इस समय विचाराधीन है । हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना पर कार्य दल की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय, पांचवीं योजना के विषय वस्तुओं को अन्तिम रूप देने के बाद ही किया जाएगा । इस समय राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थलों का मूल्यांकन करने हेतु एक तकनीकी-आर्थिक दल की भी स्थापना की गई है ।

बडे जहाजों को खडा करने के लिए हल्दिया की शिपयार्ड क्षमता में वृद्धि

104. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री आर० एन० बर्मन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन स्थित शिपिंग यार्ड इतना छोटा है कि उसमें आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले बड़े जहाज खड़े नहीं हो सकते और इसके कारण हल्दिया पैट्रो-केमिकल संयन्त्र का विस्तार करने की समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या लम्बे बड़े सहित बड़े घाटों की यार्ड क्षमता को बढ़ाने का निर्णय किया गया है ताकि सौ हजार टन या इससे अधिक क्षमता वाले बड़े जहाज खड़े हो सकें, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हल्दिया पत्तन पर घाट की सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई थी और हल्दिया तेल शोधक कारखाने की दी गई आवश्यकताओं और इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों के अधिकतम आकार के अनुसार उनकी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार ऐसी कोई समस्या नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

देश में मलेरिया रोग का फिर से फैलना

105. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया रोग देश के अनेक भागों में फिर से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1972 और 1973 की समान अवधि के मलेरिया सम्बन्धी आंकड़ो की यदि तुलना करें तो मालूम होगा कि 1973 में मलेरिया में कोई असाधारण वृध्दि या नहीं हुई है। 1972 और 1973 में जनवरी से अप्रैल तक रिकार्ड किये गए मलेरिया के मामलों का विश्लेषण यह बतलाता है कि असम, उड़ीसा बिहार और मैसूर जैसे कुछ राज्यों में पाजिटिव पाये गए व्यक्तियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है।

(ख) देश के कतिपय भागों में मलेरिया के रोगियों में वृदिध होने का एक प्रमुख कारण यह है कि राज्य अधिकारियों ने निरीक्षण और निगरानी के काम में ढील रखी है।

(ग) इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से चलाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे इस प्रकार है :–

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चौथी योजना मे एक केन्द्रिय पोषित योजना बना दिया गया है जिसके लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार जितने खर्च के लिए वचनबद्ध है उसके अतिरिक्त वह इस योजना के संचालन के खर्च को भी वहन करती है। आक्रमण और समेकन चरण वाले एककों के लिए राज्यों को जो भी सामान और उपकरण दिया जाता है उसकी लागत भी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। राज्यों में मुख्यालय / मण्डल स्तर पर नियक्त कर्मचारियों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए भी आंशिक सहायता दी जाती है।

2. ऐसे क्षेत्रों में, जो अब अनुरक्षण चरण में आ गए हैं, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

3. कीटनाशकों को अग्रिम रूप में प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि विभिन्न राज्यों को छिड़काव कार्यों के लिए ये कीट नाशक समय पर सप्लाई किए जा सकें।

4. चौथी योजना में आक्रमण और समेकन चरण वाले एककों की पुरानी और बेकार गाड़ियों को एक निश्चित ढंग से नई गाड़ियों में बदला जा रहा है।

5. छिड़काव कार्यों और रासायन चिकित्सा उपायों के लिए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक और मलेरिया रोधी दवाइयां सप्लाई की जाती है।

6. ऐसे क्षेत्रों में जहां मच्छर वेक्टर में डी० डी० टी/बी० एच० सी० को सहन करने की शक्ति पैदा हो गयी है, वहां बी० एच० सी० और मलेथियन जैसे अन्य कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है।

7. जिन क्षेत्रों में रोग का संचरण निरन्तर बना हुआ है उनमें विशेष अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं।

8. जिन कस्बों में मलेरिया की समस्या ने गम्भीर रूप ले लिया है वहां 1971–72 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी मलेरिया योजना को अनुमोदित पैटर्न पर एक केन्द्र पोषित योजना के रूप में आरम्भ कर दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय अवधि में इस योजना को 28 कस्बों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

देश में दुग्ध का उत्पादन

106. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुग्ध का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या दुग्ध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1971–72 में 225 लाख मीटरी टन दूध का वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) जी हां। इससे पूर्व प्रजनन नीति पशुओं की प्रसिद्ध किस्मों के वरणात्मक प्रजनन तथा अज्ञात नस्ल के पशुओं के श्रेणीकरण की थी। मान्य प्रजनन नीति जो इस समय प्रचलित है, यथासम्भव कम समय में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थानीय पशुओं के डेरी के विदेशी पशुओं के साथ संकर प्रजनन पर काफी जोर देती है। डेरी पशुओं की प्रसिद्ध विदेशी नस्ल के सांडों, ओसरों और प्रशीतित वीर्य के आयात द्वारा संकर प्रजनन के कार्यक्रम में तेजी लाने की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ-साथ अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम को सहायता हेतु दाने-चारे के साधनों का विकास, समय पर रोग नियंत्रण उपाय और विशेषकर गहन पशु विकास क्षेत्रों में दूध की वसूली और विपणन की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप समय-समय पर सूखे और अन्य बाधाओं के बावजूद दूध के कुल उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है जो इस प्रकार है :–

1967–68	208 लाख मीटरी टन
1968–69	212 लाख मीटरी टन
1971–72	225 लाख मीटरी टन

केरल को तमिलनाडु द्वारा फालतू चावल की सप्लाई

107. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार फालतू चावल केरल सरकार को देने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जो खाद्यान्नों की वसूली के बारे में केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग कर रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य में खाद्यान्न की कमी के समय राज्य सरकार की सहायता नहीं की है; और

(घ) क्या राज्य सरकार चावल की सप्लाई करने के बारे में अन्य अभावग्रस्त राज्यों की सहायता करने की इच्छुक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क), (ख) और (घ) तमिलनाडु सरकार ने राज्य से राज्य के आधार पर केरल, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों को अधिशेष चावल की कुछ मात्रा देना मान लिया है। अन्य अधिशेष राज्य भी इसमें सहयोग दे रहे हैं और कमी वाले राज्यों जिनमें केरल भी शामिल है, को आवंटन करने के लिए केन्द्रीय भण्डार को अपने अधिशेष चावल दे रहे हैं।

(ग) तमिलनाडु सरकार ने पहले जब कभी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया तभी उसे केन्द्रीय भण्डार से चावल आवंटित किया गया था।

जून, 1973 में नई दिल्ली में हुआ मुख्य मंत्रियों और राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन

108. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1973 में नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों और राज्यों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) उसमें किन–किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) सम्मेलन में क्या–क्या निर्णय किए गए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1973–74 मौसम के लिए खरीफ के अनाजों के लिए मूल्य-नीति पर विचार करने, खाद्य स्थिति की समीक्षा करने और गहूं का थोक व्यापार लने को योजना के कार्यान्वयन करने की समीक्षा करने हेतु सम्मेलन हुआ था।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1973–74 मौसम के लिए अभिस्तावित धान और अन्य खरीफ के अनाजो के अधिप्राप्ति मूल्यों को सहाय्य मूल्यों के रूप में मान लिया गया था। यह भी निर्णय किया गया था कि छोटी मिलट का साहाय्य मूल्य 55.00 रु० प्रति क्विटल निर्धारित किया जाये।

त्रिपुरा में भूखे रहने के कारण हुई मौतें

109. **श्री दशरथ देव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्र से खाद्यान्न की सप्लाई न किए जाने के कारण त्रिपुरा में, विशेषकर अमरपुर और अन्य क्षेत्रों में भूखे रहने के कारण हुई मौतों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) त्रिपुरा में खाद्यान्न भेजकर सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये गए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जांच करने और उसकी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जनवरी से जून, 1973 के दौरान त्रिपुरा सरकार को 39,400 मी० टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए हैं। इसमें 250 मी० टन खाद्यान्न जोकि मई, 1973 में बाढ़ के बाद हवाई जहाज से दुर्गम क्षेत्रों को भेजने के लिए दिए गए थे, शामिल है। इसके अलावा, जुलाई, 1973 के लिए त्रिपुरा को 7,500 मी० टन खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।

बडे बडे नगरों में वायु-दूषण

110. **श्री वरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बड़े नगरों में वायु-दूषण बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संस्थान ने कुछ प्रमुख नगरों के कुछ क्षेत्रों में वायु के दूषण की मात्रा मालूम करने के लिए अध्ययन किए थे। इन में से कुछ अध्ययन अभी भी जारी है। तथापि, अभी तक कोई ऐसे परिणाम नहीं निकाले गए हैं जिससे यह स्पष्ट रूप में कहा जा सके कि इन नगरों में वायु-दूषण बढता जा रहा है।

(ख) वायु-दूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय ने मई, 1970 में वायु-दूषण नियन्त्रण पर एक समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने सरकार को विधेयक का प्रारूप जुलाई, 1971 में पेश किया तथा अपनी अन्तिम रिपोर्ट फरवरी, 1972 में दी। वायु-दूषण के नियन्त्रण पर विधेयक को विधिवत् कार्यवाही करने तथा सांविधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात संसद में पेश करने का प्रस्ताव है।

(ii) दिल्ली में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में पर्यावरण दूषण के लिए एक एक्शन ग्रुप का गठन किया गया था। धुएं को बीमारी को रोकने के लिये दिल्ली परिवहन निगम की कुछ बसों में खड़ी चिमनियां लगा दी गई है।

(iii) भारतीय मानक संस्थान वायु-दूषण के विभिन्न तत्वों के मानक निर्धारित करने के लिए कार्य कर रहा है जो देश में अपनाए जा सकें।

(iv) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण तथा बम्बई नगर निगम ने अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण के दूषण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने तथा उद्योगों की सूची बनाने के लिये केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संस्थान, नागपुर की सलाहकार के रूप में नियुक्ति की है।

(v) नए उद्योगों को लाइसेन्स देने की अनुसूची का विस्तार किया गया है जिससे कि इन उद्योगों को दूषण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़े।

नये बड़े पत्तन

111. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कौन-कौन से नये बड़े पत्तन हैं जो आगामी वर्ष जहाजरानी के लिए उपलब्ध हो जायेंगे; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए अन्य कौन-कौन से पत्तनों का विकास किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन जिनका बड़े पत्तनों के रूप में विकास किया जा रहा है, 1974 तक नौवहन के लिए उपलब्ध हो जायेंगे।

(ख) मौजूदा 8 बड़े पत्तनों और उपर्युक्त दो और पत्तनों के उपलब्ध हो जाने पर दस बड़े पत्तन हो जायेंगे। बम्बई के निकट नहावा शेवा में एक सहायक पत्तन के निर्माण का प्रस्ताव जांच के अधीन है।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण पर हुआ व्यय

112. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के समय से अब तक गेहूं की वसूली में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गेहूं की खरीद और इस कार्य में लगाए गए कर्मचारियों के वेतनों, श्रमिकों की मजूरी परिवहन भाड़े आदि जसे सम्बन्धित अन्य अनेक कार्यों पर कितना धन खर्च हुआ है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धन राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यह धन राशि किन स्रोतों और तरीकों से उपलब्ध की जायगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) 1973–74 रबी मौसम में 18–7–73 तक 43 लाख मिटरी टन गेहूं अधिप्राप्त किया गया है।

(ख), (ग) और (घ) : अधिप्राप्ति कार्य में बैंक के कंसोर्टियेम द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है जिस की कुल सीमा 576 करोड़ रुपये है जिसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है। भारतीय खाद्य निगम के अलावा, सहकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है। कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर लागत और प्रासंगिक खर्चे निर्धारित किए जाते हैं। खर्च की कुल राशि अधिप्राप्ति तथा कुछेक अन्य तथ्यों पर निर्भर करेगी।

विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा हिंसा के कारण हुई हानि

113. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों की आगजनी, हिंसा और अन्य प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के कारण सम्पत्ति को क्षति पहुंचने और उसके नष्ट होने से और जन घंटों की हानि होने से तथा क्रियाकलाप बन्द रहने से कुल कितना नुकसान हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"एब्यूज आफ एस्प्रिन कैन काज डैथ" (एस्प्रिन के दुरुपयोग से मृत्यु हो सकती है)

शीर्षक से प्रकाशित समाचार

114. **श्री हरी सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1973 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में एब्यूज आफ एस्प्रिन कैन काज डैथ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) एस्प्रिन का यदि कम मात्रा में यदा–कदा सेवन किया जाय तो उसे एक सुरक्षित पीडाहार औषधि समझा जाता है। साधारणतया ईसके सेवा से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इसके प्रति विशेष रुपसे अति संवेदनशील न हो। इसके बारे में जनता को कोई चेतावनी देना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि इससे अनावश्यक आतंक पैदा हो जाने की संभावना है।

कोचीन गोदी कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन के कारण निर्यात में हानि

115. **श्री हरी सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन गोदी कर्मचारियों द्वारा 1973 के जून मास में किये गये आन्दोलन के कारण इस पत्तन से होने वाले हमारे निर्यात में हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

Enquiry into grievances of students of Lucknow University

116. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Uttar Pradesh had given certain assurances during October, 1972 with respect to enquiring into the grievances of the students of Lucknow University; and

(b) if so, whether those assurances were fulfilled, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) Information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha.

Progress of take-over of wholesale trade in wheat in States

117. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Ram Bhagat Paswan :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are satisfied with the progress in States in respect of taking over in whole-sale trade of wheat; and

(b) if so, extent of progress made so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) As the enclosed statement shows, the progress of procurement of wheat in some of the States is very slow. [*Placed in Library See. No. LT* 5142/73] As on 20th July, 1973, 4·31 million tonnes of wheat have been procured. The procurement operations are still continuing and efforts are being made by the State Governments to procure maxi mum quantities. Taking into consideration all the factors and the serious drought situaition in some parts of the country, it would not be correct to take a discouraging view of the decision of the Government.

Harassment of small farmers in procurement of wheat in M. P.

118. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that even the small farmers in Madhya Pradesh are being harassed in regard to the procurement of wheat; and

(b) if so, the steps taken by Government to enquire into this ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) M. P. Government have reported that no such complaint has been received.

(b) Does not arise.

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छोटे किसानों की ऋणग्रस्तता का सर्वेक्षण

119. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग द्वारा पंजाब के छः गांवों के नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि 97 प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त हैं ;

(ख) क्या सर्वेक्षण से यह भी पता लगा है कि सबसे छोटी जोत पर प्रति एकड़ ऋण सबसे अधिक है और छोटे किसान गैर सरकारी साधनों से अधिक ब्याज पर ऋण लेते हैं क्योंकि सरकारी एजेंसियों से अधिकांश ऋण बड़े किसान ले लेते हैं ;

(ग) क्या उक्त सर्वेक्षण से यह बात तो निस्सन्देह सिद्ध हो गई है कि हरित (कृषि) क्रान्ति से छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे उपाय करने का है जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि छोटे किसानों को सरकारी एजेंसियों से समय पर पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अर्थ-शास्त्र एवं समाजशास्त्र के कुछ सदस्यों द्वारा पंजाब के 6 चुने हुए गांवों में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि 97 प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त हैं ।

(ख) इस सर्वेक्षण से पता चला है कि सबसे छोटी जोतों वालों पर प्रति एकड़ ऋण सबसे अधिक है । यह भी पता लगा है कि छोटे कृषकों को गैर–सरकारी एजेंसियों से ऋण लेना पड़ता है जो बहुत ऊंची दर पर ब्याज लेती हैं । सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि सरकारी एजेंसियों स ऋण लेने वालों में बड़ी जोत वालों की संख्या अधिक है ।

(ग) सर्वेक्षण से पता लगा है कि छोटी जोत वाले कृषकों के पास विक्रय योग्य फालतू अन्न कम होता है तो उनकी आय भी कम है । इसके अतिरिक्त, छोटे कृषकों को अपना फालतू अन्न कम मूल्य पर भी देना पड़ता है ।

(घ) चौथी योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि विकास कार्या से छोटे कृषकों तथा ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाया जाये । सहकारी संस्थाओं की सामान्य ऋण नीतियों तथा विधियों को छोटे कृषकों के अनुकूल बनाना और छोट एवं सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों की विशेष विकास एजेन्सियों की स्थापना करना, आदि सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं । चौथी योजना के दौरान उन्नत कृषि अपनाकर तथा भूमि व गौण व्यवसायों में पूंजी निवेश करके अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिये विशेषकर दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों की सहायता करने के उद्देश्य से 87 परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं । 31–3–73 तक छोटे कृषकों सीमान्त कृषको एवं कृषि श्रमिकों की श्रेणियों के अभिज्ञात भागीदारों को 37.44 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण दिया गया । इन क्षेत्रों में इस वर्ष के दौरान 21.35 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण भी दिया गया है । सहकारी संस्थायें भी अपनी नीतियों तथा विधियों का पुनर्निर्धारण कर रही है और वर्ष 1970–71 के दौरान प्रारम्भिक समितियों द्वारा दिये गये अल्पावधि/मध्यावधि ऋण का 33/3 प्रतिशत भाग 5 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों, बटाईदारों तथा काश्तकारों को दिया गया । इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये ऋण का 33 प्रतिशत भाग 5 एकड़ के कम भूमि वाले छोटे कृषकों को दिया गया । राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के 22 प्रतिशत बकाया ऋणों की राशि भी छोटे कृषकों के पास है । सरकार की यह नीति रही है कि संस्थागत ऋण में दुर्बल वर्गों का शेयर अधिकाधिक बढ़ाया जाये।

सरकार को गेहूं बेचने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के बारे में टास्क फोर्स के विचार

120. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं का अधिकतम आयात करने के लिए श्री टी० ए० पाई, भारी उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स ने सरकारी एजेंसियों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं की अधिप्राप्ति करने के सबसे अच्छ तरीके का पता लगाने के लिए किए गए अन्य आन्तरिक उपायों में भारी उद्योग मन्त्री की अध्यक्षता में बने दल द्वारा किए गए उपाय भी शामिल है। उस दल की रिपोर्ट आन्तरिक गोपनीय रिपोर्ट है जोकि प्रकाशित करने के लिए नहीं है।

सरकार ने गेहूं की अधिप्राप्ति के स्तर से संबंधित राज्यों को प्रोत्साहन–बोनस देने की एक योजना के बारे में पहले ही घोषणा कर दी है।

"सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम" पर व्यय

121. **श्री सतपाल कपूर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, के आरम्भ किए जाने से अब तक सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धन के रूप में हुए व्यय का राज्यवार विवरण क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को लागू करने के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ अर्थात् 1970–71 से 1972–73 के अन्त तक इस पर 66.87 करोड़ रुपए व्यय हुए थे।

(ख) व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यक्रम की क्रियान्विति का कार्य संतोषजनक रहा है।

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ से वर्ष 1972–73 तक इस पर हुए कुल व्यय का राज्यवार ब्यौरा।

विवरण

	(करोड़ रुपए)
1. आन्ध्र प्रदेश	7.88
2. बिहार	1.92
3. गुजरात	7.95
4. हरियाणा	2.78
5. जम्मु और कश्मीर	0.72
6. मध्य प्रदेश	4.00
7. महाराष्ट्र	9.59
8. मैसूर	8.41
9. उड़ीसा	2.39
10. राजस्थान	10.77
11. तमिल नाडु	2.95
12. उत्तर प्रदेश	5.95
13. पश्चिम बंगाल	1.56
कुल	66.87

सरकारी आवास के आबंटन के लिये वर्तमान नीति का पुनरीक्षण

122. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेकों सरकारी कर्मचारियों ने अपने मकान बना लिये हैं और उन्हें सरकारी क्वार्टर भी मिले हुये हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारिनों ने या तो अपने क्वार्टर किराये पर दिये हुये हैं और स्वयं अपने मकानों में रहे हैं या उन्होंने अपने मकानों को किराये पर दिया हुआ है ;

(ग) क्या एक मृत सरकारी कर्मचारी के पुत्र अथवा पुत्री को जो सरकारी सेवा में है सरकारी क्वार्टर तुरन्त आवंटित कर दिया जाता है जब कि उन लोगों को जिनको सेवा कई वर्षों की हो गई होती है, कोई क्वार्टर आवंटित नही किया जाता है और वे पिछले कई वर्षों से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो अपनी वर्तमान नीति में पुनरीक्षण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 19–12–1972 तक प्राप्त सूचना के अनुसार सामान्यपूल वास में 99,828 इच्छुक व्यक्तियों में से केवल 13,720 व्यक्तियों के दिल्ली /नई दिल्ली में अपने मकान हैं। इन में से 4,646 व्यक्ति सामान्यपूल वास के दखल में हैं।

(ख) फिलहाल, जिन सरकारी कर्मचारियों के उनके तैनाती के स्थान पर अपने मकान है, सामान्य पूल से वास के आवंटन के पात्र हैं। आवंटन नियमों के अधीन सामान्य पूल वास को उप–किरायेदारः पर देने की अनुमति नही है और जहां ऐसे मामले नोटिस में आते हैं तो दोषी पाये गये आवंटियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है तथा आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उन्हें जुर्माना किया जाता है।

(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी के किसी एक आश्रित सम्बन्धी को, उसके अनुरोध पर तदर्थ आधार पर आवंटन की मंजूरी दी जाती है यदि वह व्यक्ति एक पात्र कार्यालय में कार्य कर रहा हो तथा दिवंगत कर्मचारी के साथ उसकी मृत्यु की तिथि से कम से कम 6 मास को पहले की अवधि से रह रहा हो।

(घ) जिन सरकारी कर्मचारियों के उनके तैनाती के स्थान पर अपने मकान हैं, सामान्य पूल से मकान के आवंटन के लिए उनकी पात्रता सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है।

मई और जून, 1973 के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य

123. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून, 1973 के दौरान देश भर में सब प्रकार के खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गए थे; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करने और उचित मूल्य पर बेचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उचित मूल्यों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों में ये शामिल हैं :–

(1) सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर भारी मात्राओं के वितरण द्वारा बाजार में उपलब्धता में वृद्धि करना।

(2) गेहूं और गेहूं के पदार्थों सहित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों को विनियमित करना।

(3) जमाखोरी और तस्करी निरोधक उपायों में तेजी लाना।

कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मजदूर बस्तियाँ

124. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाई गयी विभिन्न मजदूर बस्तियों में रह रहे केन्द्रीय सरकार के लगभग 4,000 कर्मचारियों जिनमें 3,000 रक्षा कर्मचारी हैं, के कब्जे को नियमित करने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या अब रक्षा मंत्रालय मकानों को खरीदने के लिये सहमत हो गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने अब रक्षा कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों आदि के दखल में औद्योगिक मकानों को उन के नाम नियमित करने के कुछ वैकल्पिक उपायों का सुझाव दिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायो में अब मकानों को रक्षा मंत्रालय को बेचने का सुझाव नहीं है। मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से आगे विचार विमर्श किया जा रहा है।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने सबंधी प्रस्ताव

125. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान 76 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं देने के लिए तैयार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने का विचार कर रही है; और यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) किसानों के संघों/एसोसियेशनों/फेडरेशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य कम है।

(ख) चालू मौसम में गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में वनस्पति निर्माताओं को सुधरे हुए खाने योग्य तेल की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई

127. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है कि गंभीर संकट का सामना करने वाले गुजरात के वनस्पति निर्माताओं को आयातित खाने योग्य तेल की पर्याप्त मात्रा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या मई, 1973 में गुजरात राज्य के सिविल सप्लाई मंत्री ने केन्द्र सरकार को स्थिति से अवगत कराया था;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की थी; और

(घ) क्या गुजरात सरकार को विदेशों से आयातित प्रतिस्थापित तेल सप्लाई किया गया था और यदि हां, तो केन्द्र सरकार की सहायता से यह संकट कहां तक पूरा हो गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात के सिविल सप्लाई मंत्री के साथ मई, 1973 में हुई अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्हें यह बताया गया था कि सभी वनस्पति कारखानों को आयातित तेल भेजने में शीघ्रता करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनमें गुजरात भी शामिल है ।

(ग) और (घ) गुजरात के कारखानों को आयातित तेल भेजने में तेजी लाई गई थी जिसे अप्रैल के 412 मी० टन से बढ़ाकर मई और जून में प्रति माह औसतन 1512 मी० टन कर दिया गया था । गुजरात की मिलों में वनस्पति का उत्पादन, जोकि अप्रैल के 2928.6 मी० टन से गिरकर मई, 1973 में 2554.1 मी० टन रह गया था, जून, 1973 में फिर 3,328.7 मी० टन हो गया था ।

विश्व बाजार में गेहूं की कमी का भारत में प्रभाव

128. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद से प्रकाशित दिनांक 28 मई, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्व बाजार में गेहूं की कमी होने से भारत पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कथित कठिनाइयों के बावजूद खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा, जिसकी सरकारी वितरण प्रणाली बनाए रखने में आवश्यकता हो सकती है, का आयात करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं ।

खाद्य तेल निगम का गठन

129. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री डी० के० पंडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर एक खाद्य तेल निगम के गठन के संबंध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित तेल निगम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार एक खाद्य तेल निगम के गठन के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है । इसके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं । सरकार का अन्तिम निर्णय अभी कुछ समय तक उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

वनस्पति के उत्पादन में सरसों के तेल के उपयोग पर लगाए गये वर्तमान प्रतिबन्धों की जांच

130. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वनस्पति उत्पादन में सरसों के तेल के उपयोग पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों की पुन: जांच करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस निर्णय से उत्पादन बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्वायत्त शासी गेहूं बोर्डों का गठन

131. **श्री वी० मायावन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को ऐसा प्रोत्साहन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कि वे खाद्यान्न सरकार को ही बेंचें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आस्ट्रेलिया और कनाड़ा में सरकारी एजेंसियों के रूप में बने गेहूं बोर्डों की तरह एक या अधिक सांविधिक स्वायत्तशासी बोर्डों का गठन करने और किसानों को ऋण देने तथा खेती के लिये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने का भी विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार द्वारा गेहूं की अधिप्राप्ति करने के लिये सभी प्रयन्न किए जा रहे हैं । गेहूं की अधिप्राप्ति करने वाले राज्यों के लिये अेक प्रोत्साहन बोनस की योजना लागू की गई है । जो अधिप्राप्ति में सहायता करते हैं उन किसानों को सहायता प्राप्त मूल्यों पर कृषि आदान किए जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

भारत में पतन और गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल

132. **श्री राम कंवर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत के पत्तन और गोदी श्रमिकों ने हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके विवाद का निपटारा किस आधार पर किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) हाल ही में सारे भारत में पत्तन और गोदी कर्मचारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई, शायद उल्लेख 10/11 अप्रैल, 1973 की आधी रात से अखिल भारत पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल करने की धमकी का किया गया है । 10 अप्रैल, 1973 को संघ से समझौता हो जाने के कारण हड़ताल टल गई । संघ की मांगों और उनके बारे में सरकार के फैसले को दिखाने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5143/73]।**

भूखा रहने के कारण हुई मौतें

133. **श्री राम कंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 4-5 सप्ताहों में देश के विभिन्न भागों में भूखा रहने के कारण क्षेत्रीय बहुत सी मौतें हुई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना सीधी मिली है और कितनी घटनाओं की राज्य सरकारों के माध्यम से; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जब कभी समाचार-पत्रों के माध्यम से अथवा अन्यथा केन्द्रीय सरकार के नोटिस में भुखमरी की रिपोर्टें आती हैं, तभी उन मामलों को संबंधित राज्य सरकारों को जांच और रिपोर्ट देने के लिये भेज दिया जाता है। किसी राज्य ने अभी तक किसी भुखमरी के बारे में सूचित नहीं किया है ।

समुद्रतटीय राज्यों में लघु पत्तनों के विकास के लिये योजनाओं की स्वीकृति

134. **श्री राम कंवर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के समुद्रतटीय राज्यों में लघु पत्तनों के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कौन-कौन सी है;

(ख) क्या इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन योजनाओं के अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निम्नलिखित छोटे और मध्यवर्ती पत्तनों के विकास के लिये नीचे दी गई केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है :–

(1) गोपाल पुर (उड़िसा) का छोटा पत्तन,

(2) काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश) का मध्यवर्ती पत्तन,

(3) कुड्डालौर (तमिलनाडु) का मध्यवर्ती पत्तन,

(4) बेपुर (केरल) का मध्यवर्ती पत्तन,

(5) कारवाड़ (मैसूर) का मध्यवर्ती पत्तन,

(6) मिर्यावे (महाराष्ट्र) का मध्यवर्ती पत्तन, और

(7) सभी मौसमों में खुला रहने वाले मध्यवर्ती पोरबन्दर पत्तन (गुजरात) ।

(ख) गोपालपुर (उड़िसा) के छोटे पत्तन से संबंधित योजनाओं और मैसूर में कारवाड़ की मध्यवर्ती पत्तन को छोड़कर जो कि सक्रिय विचाराधीन है, उपर्युक्त सभी पत्तनों की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ग) **गोपालपुर**—दिसम्बर, 1972 में हुए विचार विमर्श के आधार पर राज्य सरकार ने भूमि जांच पूरा करने, जिसके लिये धन की स्वीकृति पहले से दी जा चूकी है। यातायात संभावनाओं का पुनर्मूल्य निर्धारण, इंडियन रेअर अर्थस् लि० की भूमि की आवश्यकताओं का पूरा करना, स्थान तक रेल लाइन की व्यवहार्यता, सरकार राज्य द्वारा बाद में सुझाये गये वैकल्पिक खाके का नमूना अध्ययन आदि कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार को कार्यवाई शुरू और पूरी करनी है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कारवाड––जनवरी, 1973 में राज्य सरकार से द्रुत अयस्क लदान सुविधाओं की व्यवस्था की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जोकि एम०एम०टी० द्वारा कारवाड़ की मार्फत लौहायस्क के 10 लाख टन निर्यात के यातायात प्रक्षेप पर आधारित थी। एम०एम०टी०सी० जिससे मामले में बातचीत की गई थी, ने बताया है कि यदि मौजूदा प्रस्तावों के अंतर्गत संभव लदान और आकारों की अपेक्षा उन्हें द्रुतगति से लदान और अधिक बड़ आकार वाले जहाजों का आश्वासन दिया जाये तो केवल तभी ही वे कारवाड़ द्वारा निर्यात में दिलचस्पी लेंगे। मामले की जांच की जा रही है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा नेशनल रीजनल डैटा खण्ड डाकुमेंटेशन सेंटरों की स्थापना

135. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने एक राष्टीय तथा कई केन्द्रीय डैटा 'खण्डडीकुमैंटेशन सेन्टर' स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ख) क्षेत्रीय सेन्टर स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की गई है। कलकत्ता, हैदराबाद और बम्बई में पहले ही क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। अन्य केन्द्रों के प्रस्ताव पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जा रहे हैं।

विश्व में गेहूं की सप्लाई की स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप शेष गेहूं प्राप्त करने हेतु किये गये उपाय

136. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व में गेहूं की सप्लाई की स्थिति चिन्तनीय है और अच्छ किस्म के गेहूं की कीमते बहुत अधिक हो गई हैं; और

(ख) आवश्यकता के अनुरूप शेष गेहूं प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार गेहूं के चल रहे ऊंचे मूल्यों और अन्तर्राष्टीय बाजार में गेहूं की उपलब्धता से पूरी तरह अवगत है। खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा जो कि सरकारी वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिये आवश्यक हो सकती है, का आयात करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

पेय जल कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष और विदेशों से सहायता

137. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान में पेय जल की व्यवस्था करने के कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष तथा विदेशों से अलग-अलग कितनी-कितनी सहायता मिली है;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितनी राशि खर्च की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) चौथी योजना में ग्रामीण जल सप्लाई के लिये यूनीसेफ परियोजना के अन्तर्गत "फास्ट एयर हैमर रिग्ज", सहायक उपकरणों तथा फालतू पुर्जों के रूप में 76 लाख अमरीकन डालर की सहायता प्राप्त होने की आशा है। ये निधियां राज्यों को अलग-अलग निर्धारित नहीं की गई है। आशा है कि यूनीसेफ द्वारा लगभग 95 "एयर हैमर रिग्ज" सप्लाई किये जायेंगे। इन रिंगों में से 76 प्राप्त हो चुके हैं तथा उन्हें विभिन्न राज्यों को बांट दिया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मसूर और राजस्थान की सप्लाई किये गये रिग्ज इस प्रकार है :—

गुजरात	6
महाराष्ट्र	11
मध्य प्रदेश . .	15
मैसूर	7
राजस्थान . .	4

हाल ही के सूखे की स्थिति के कारण पेय जल की कमी को पुरा करने के लिये यूनीसेफ ने एक विशेष सहायता के तौर पर 25 फास्ट एयर हैमर रिंग्ज और उपलब्ध किये हैं। इन में से 24 रिग्ज राज्यों को इस प्रकार सप्लाई किये गये हैं :—

महाराष्ट्र	6
गुजरात	6
मैसूर	4
मध्य प्रदेश	4
राजस्थान . . .	4

केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा जल परिष्करण संयंत्रों के बारे में अध्ययन

138. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि देश के बड़े नगरों में जल परिष्करण संयंत्रों की दशा बड़ी शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) स्थानीय स्वायत्त शासन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य इंजीनियर के अनुरोध पर केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने उस राज्य के 10 प्रमुख शहरों के पानी साफ करने के संयंत्रों का सर्वेक्षण किया केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने इस

इस अध्ययन के बारे में अपनी रिपोर्ट मुख्य इंजीनियर को दे दी है। यह रिपोर्ट राज्य प्राधिकारियों के विचाराधीन है। यह अध्ययन देश के प्रमुख शहरों के बारे में नहीं किया गया। अतः उत्तर प्रदेश के अध्ययन से अन्य राज्यों के पानी साफ करने के संयंत्रों की दशा के बारे में कोई निष्कर्ष नही निकाला जा सकता।

मद्रास पत्तन के समुद्री श्रमिकों द्वारा हड़ताल

139. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या मद्रास पत्तन के समुद्री-श्रमिकों के गत मई में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताली श्रमिकों ने क्या मांगे की थी; और

(ग) उस हड़ताल का निपटारा कैसे किया गया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) मद्रास पोर्ट यूनाइटेड लेबर युनियन की मान्यता और पत्तन के विभिन्न विभागों से संबंधित मांग पत्र के बारे में मैत्रीपूर्ण समझौते के प्रश्न पर हडताल हुई थी।

(ग) हड़ताली कर्मचारियों को इस आश्वासन के दिये जाने पर कि श्रम तथा रोजगार विभाग द्वारा विभिन्न यूनियनों की सदस्यता की ताजी जांच के परिणामों के आधार पर ही मान्यता के प्रश्न का फैसला किया जायगा। हड़ताल समाप्त कर दी गई। इस बात पर भी सहमति हुई कि अन्य मांगों के बारे में भी युनियन से विचार विमर्श करके शीघ्र ही समाधान कर दिया जायेगा।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि और उसकी अनुपलब्धता

140. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में वनस्पति के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ऊंचे दामों पर भी बाजार में वनस्पति आसानी से नहीं मिल पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वनस्पति के मूल्य कम करने और उसे लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देशी तेलों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए पहली जून 1973 को और फिर 16 जुलाई, 1973 को वनस्पति के मूल्यों में 75 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से वृद्धि की गई थी।

(ख) पिछले कुछ सप्ताहों में वनस्पति की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ग) कच्चे तेल के मूल्यों की प्रवृत्ति पर वनस्पति के मूल्यों में कमी करना निर्भर करेगा। कच्चे तेलों की अधिक उपलब्धता से ही केवल उपलब्धता में सुधार होगा।

कालेजों में व्यवसायिक प्रशिक्षण आरम्भ करना

141. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री एम० कतमुत्तू :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कालेजों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

9—16 L.S.S./72

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के पांचवीं योजना कार्यक्रमों में, ग्रामीण समस्याओं से संबंधित अध्ययनों और शिक्षा तथा रचना कार्य के बीच संपर्क विकसित करने के साथ-साथ पाठ्यक्रमों के व्यावसायीकरण को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी । इन कालजों में प्रयोगशाला और औषध तकनीशियनों, संगणक कार्यक्रमों, संग्रहालयविदों, टी० वी० और अन्य इलक्ट्रानीय तकनीशियनों, आन्तरिक सजावट करने वालों, महामारी नियंत्रण और निरोधक औषध तकनीशियनों इत्यादि जैसे पाठ्यक्रम भी शरू करने का विचार है । आयोग विश्वविद्यालय को ऐसी परियोजनाएं शरू करने के लिये भी प्रोत्साहित करेगा जो रोजगारोन्मुख है । ऐसी परियोजनाएं, उपस्कर के अनुरक्षण अथवा/उनके निर्माण से संबंधित हो सकती हैं । वे, विशिष्ट क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कृषि, समाज विज्ञान संबंधी समस्याओं की ओर भी उन्मुख हो सकती है ।

शिक्षा को रोजगार से संबद्ध करने की दृष्टि से दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त वित्तीय सहायता से 1972-73 से व्यावसायिक अध्ययन कालेज की स्थापना की है । बी० ए० डिग्री पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में कालेज निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है :—

(1) पर्यटन

(2) पुस्तक-प्रकाशन

(3) कार्यालय प्रबंध और लिपिकीय सहायता

(4) भण्डार रक्षण और भंडार संबंधी लेखा

(5) बीमा, और

(6) परचून और व्यापार

भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित गोदाम-अधिकारियों द्वारा राज्य को अनाज का कोटा देने से इन्कार करना

142. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री रानेन सेन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित गोदाम-अधिकारियों ने राज्य को अनाज का कोटा देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यवाही पर विरोध प्रकट किया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस बार में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम पश्चिमी बंगाल की सरकार को उनको किए गए आबंटन और राज्य सरकार द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार खाद्यान्न सप्लाई करने की व्यवस्था करता है । राज्य सरकार से एक से भी अधिक बार अनुरोध किया गया था कि व चावल आबंटन की सीमा के अन्दर लें । इसके बावजूद, राज्य सरकार जनवरी से मई, 1973 के महीनों के दौरान बराबर केन्द्रीय स्टाक से अपने आबंटनो से अधिक मात्रा में चावल लेती रही । चावल अधिक लेने से भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल में रखे गए चावल के केन्द्रीय स्टाक

में काफी कमी हुई, जिससे अन्य राज्यों को चावल की कुल सप्लाई में विघ्न पैदा हो गया। क्योंकि अधिक मात्रा ली जाती रही, भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए गए कि वे पश्चिमी बंगाल की सरकार को केन्द्रीय पूल से चावल की और सप्लाई स्थगित कर दें। बाद में, राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए गए थे कि वे पुन: सप्लाई शुरू कर दे लेकिन राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम दोनों को सूचित किया गया था कि केन्द्रीय आबंटनों से सप्लाई किसी भी हालत में अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश में शुद्ध जल की सप्लाई

143. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गांवों के 97 प्रतिशत लोग अशुद्ध पेय जल पर आश्रित हैं; और

(ख) यदि हां, तो शुद्ध जल की सप्लाई के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं। 227.9 लाख की आबादी, जो कुल ग्रामीण आबादी का लगभग 30 प्रतिशत है, पेय जल की कठिनाई अनुभव कर रही है।

(ख) राज्य सरकार ने चौथी योजना की अवधि के लिये 7.86 करोड़ रुपए के नियतन के विपरित चौथी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 12.97 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण जल सप्लाई के त्वरित कायक्रम के अधीन 619.87 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 209 योजनाएं स्वीकृत की हैं जिसमें 1943 गांव शामिल हैं। उक्त योजना के अधीन राज्य सरकार को 72-73 के दौरान 225.50 लाख रुपए दिए गए तथा 73-74 के दौरान 160 लाख रुपए का नियतन किया गया है। पांचवीं योजना के दौरान योजना आयोग ने ग्रामीण जल सप्लाई के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के लिये 74 करोड़ रुपए के नियतन की स्वीकृती दी है। इससे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।

कनाड़ा, अमरीका तथा अर्जेनटाइना से 45 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए बातचीत

144. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या वाशिंग्टन स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन से यह कहा गया है कि वह कनाडा, अमरीका और अर्जेनटाइना की अनाज मंडियों से 45 लाख टन गेहूं खरीदने के लिये बातचीत शरू करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यह खाद्य मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के प्रतिकूल नहीं है कि भारत विदेशों से अनाज का आयात नहीं करेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णसाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से, भारतीय सप्लाई मिशन, वाशिंग्टन को सलाह दी गई है कि वे यथा सम्भव अच्छी शर्तों पर विदेशों से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा वाणिज्यिक आधार पर खरीदें। कृषि मंत्री ने कभी भी यह घोषणा नहीं की थी कि दैवी विपदाओं के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने के बावजूद हम आयात नहीं करेंग।

Progress in Land-Ceiling

145. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise progress made in regard to the land-ceiling during the last three years; and

(b) the steps proposed to be taken in the future in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The ceiling laws as enforced before the issue of the national guidelines in the States of Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal have broadly been in conformity with these guidelines. Some amendments have, however, been made in the laws of Kerala and Tamil Nadu recently.

President's assent has already been accorded to the revised land ceiling bills of Bihar Haryana, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh.

The Jammu & Kashmir Agrarian Reforms Act, after receiving Government's assent has been enforced.

The Maharashtra Bill as passed by the State Legislature is being examined in consultation with the Maharashtra Government. Bills have been introduced in the State Legislatures of Gujarat and Mysore. Bills for Manipur, Orissa and Tripura have been drafted. The Orissa Bill was placed before the committee on July , 1973.

(b) Action is being taken by the remaining States for early enactment of the laws.

शिवपुरम मन्दिर से चोरी की गई नटराज की मूर्ति

146. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मई, 1973 के 'सनडे स्टेन्डर्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण भारत क शिवपरम मन्दिर से चुराई गई नटराज की मूर्ति न्यूयार्क में पश्चिम तट के एक उद्योगपति के कला संग्रह में पाई गई है; और

(ख) नटराज की मूर्ति को भारत वापस मंगाने के लिये सरकार नें क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० एस० नुरुल हसन): (क) जी हां ।

(ख) मूर्ति को भारत में वापिस लाने के लिये संयुक्त राज्य अमरिका में क्या दीवानी (सिविल) कारवाई की जा सकती है इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह ली जा रही है ।

Inferior quality of rations supplied at Fair Price Shops

147. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the inferior quality of rations supplied by the Fair Price Shops, alarming adulteration therein and its not being available in time; and

(b) if so, the facts and effective steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Certain complaints have been received individually and also reported in Press regarding issue of inferior quality of wheat to Fair Price Shops. Immediate enquiries are held in such cases and necessary action is taken.

Instructions have been issued to the Food Corporation of India and State Governments that all foodgrains issued through Fair Price Shops should conform to P. F. A. standards.

Fair Price Shop dealers have also been asked to examine the foodgrains before taking delivery from the Food Corporation of India/Government godowns and ensure that the foodgrains are of good quality.

Per Capita Ration Given In States

148. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise per capita quantity given in ration and the rates thereof ;

(b) whether there is any proposal to supply equal quantity of rations and at uniform rates in all cities of India ;

(c) if so, the broad outlines thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (d) Quantum of foodgrains issued per capita to the card holders through the Fair Price Shops depends on the demand, availability of foodgrains in the open market and with the State Governments and several other related factors. The quantum, therefore, varies from State to State and area to area within the State. The consumer prices are also fixed differently by the State Governments for Central stocks and stocks procured by them from within the States. In view of the factors mentioned above, it is not possible for the State Governments to introduce uniformity in the quantum or consumer prices of foodgrains issued through the fair price shops. However, Central Government charges uniform prices for foodgrains issued to the State Governments.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कार्यों की जांच

149. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कहा है कि उसके लिए नियत की गई सम्पूर्ण राशि को उपयोग में लाया जाये;

(ख) क्या सरकार का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कार्यों की जांच करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) वित्तीय कठिनाइयों के कारण 1973–74 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का बजट प्रावधान घटा कर 160 लाख रुपये कर दिया गया है, यह सुझाया गया है कि यह परिषद 1973–74 में 160 लाख रुपये के स्वीकृत बजट में से ही अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाये।

(ख) और (ग) सरकार से न तो ऐसी कोई शिकायत की गई है ना ही उसे ऐसी कोई अन्य सूचना भेजी गई है जिसके आधार पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की गतिविधियों की जांच पड़ताल करना अनिवार्य हो।

चावल की खेती पर लागत

150. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष चावल का समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने के बाद, चावल की खेती में काम आने वाले खाद, बीज आदि के मूल्य कार्य बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का चावल के समर्थन और वसूली मूल्य बढ़ाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग को चावल उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़े गत वर्ष दिये जाने के बाद, कृषि लागत के अद्यतन आंकड़े प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर सकाशत्मक है, तो चावल-उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1973–74 के लिए धान का समर्थन मूल्य 63.00 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही घोषित कर दिया है। यह मूल्य 1972–73 में विभिन्न राज्यों के लिए नियत किये गए 49.00 रुपये से लेकर 58.00 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य से अधिक है।

(ग) तथा (घ) प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से धान पैदा करने आदि राज्यों में धान के अध्ययन का काम हाथ में लिया गया है। 1971–72 और 1972–73 में धान की उत्पादन लागत के आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया जा रहा है।

Expenditure on Repairs and Maintenance of Ministers' Bangalows

151. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on repairs and maintenance of bungalows of the Ministers of the Central Government during the financial year 1972-73; and

(b) the provision made for the financial year 1973-74 under this Head?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Rs. 13,07,800.

(b) Provision for repairs and maintenance is not made separately for Ministers' bungalows. However, the approximate anticipated expenditure is Rs. 14,92,750.

Manufacture of 'Nirodh' by Hindustan Latex Ltd.

152. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of 'Nirodhs' manufactured in Hindustan Latex Ltd., during the financial year 1972-73; and

(b) the target fixed for the manufacture of 'Nirodh' during the financial year 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) 102·16 million pieces.

(b) 130 million pieces.

Vasectomy Operations in the Country

153. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Vasectomy Operations conducted in the country during the last two years; and

(b) the expenditure incurred by Government on this scheme during the said period?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) The number of Vasectomy operations conducted in the country during the last two years was as under :

1971-72	1,619,030
1972-73	2,573,692 (Provisional)

(b) Separate figures of expenditure or Vasectomy operations are not available. However, the estimated combined expenditure on compensation for I. U. D. insertions, vasectomy and tubectomy operations during these two years was as under :—

	Rs. in lakhs
1971-72	1,082·85
1972-73	2,214·60 (Provisional).

वर्ष 1974 के लिए शिक्षा योजना का बनाया जाना

154. **श्री जमुना प्रसाद मंडल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आगामी वर्ष के लिए एक महत्वाकांक्षापूर्ण शिक्षा योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): वर्ष 1974–75 की शिक्षा योजना अभी तैयार की जा रही पांचवी पंचवर्षीय योजना का एक भाग होगी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिती द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) पूर्व स्कूल विकास कार्यक्रमों पर अधिक जोर।

(2) प्राथमिक शिक्षा को अभिभावी प्राथमिकता।

(3) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष जोर।

(4) प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्कूलों के स्थान के विषय में उचित योजना बनाने, उच्चतर माध्यमिक स्तर का व्यावसायीकरण करने, 10+2+3 की एक समान पद्धति को अपनाने और कोटि में सुधार लाने पर जोर दिए जाने का विचार है।

(5) विश्वविद्यालय स्तर पर मुख्य उद्देश्य चार होंगे :

(क) उच्च शिक्षा में दाखिले का विनियम।

(ख) शिक्षा के अवसरों की अधिक समानता की व्यवस्था और समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उच्च शिक्षा पर अधिक जोर देना।

(ग) स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान का विकास।

(घ) कोटि सुधार।

(6) युवक कल्याण, शारिरिक शिक्षा और खेलों के कार्यक्रमों का भारी माता में विकास।

(7) सभी स्तरों पर अनौपचारिक शिक्षा का विकास।

(8) तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों की कोटि में सुधार तथा उनको अधिक सुदृढ़ बनाना।

(9) पाठ्यचर्या का परिशोधन, कार्य अनुभव का शुरू किया जाना, अध्यापन की नई पद्धतियों को अपनाना, परीक्षा सुधार, पाठ्य पुस्तकों का सुधार, अध्यापक शिक्षा जैसे शैक्षणिक निवेशों पर—दोनों पूर्व सेवा तथा सेवा-तर स्तर पर—अभिभावी जोर देना, प्रयोग तथा नवीनता को प्रोत्साहन, आधुनिक शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिसमें जन साधन, विकसित पर्यवेक्षण और स्कूल तथा समुदाय के बीच निकट संबंध भी शामिल है।

(10) सभी स्तरों पर चुनी हुई संस्थाओं की कोटि में सुधार।

(11) कार्यान्वयन पर महत्व।

(12) सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों पर अधिक जोर तथा शिक्षा के साथ उनका समेकन।

Country-wide demonstrations regarding non-availability of foodgrains

155. **Shri Chandu Lal Chandrakar :**

Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether country-wide demonstrations were held in regard to non-availability of foodgrains;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the extent of loot committed and persons injured in these demonstrations ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (**Shri Annasaheb P. Shinde**) : (a), (b) & (c) : There have been reported cases of demonstrations in some of the States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tripura regarding rise in the prices of foodgrains and their availability in the open market. In Madhya Pradesh a small quantity of foodgrains was reported to have been looted and some injury caused to persons. Gujarat has reported breaking up of locks of Govt. godowns, looting of some property and injury to some persons. The incidents reported from Maharashtra were discussed on the floor of the House during the last Session.

Incentive to farmers for sale of wheat to Government

156. **Shri Chandulal Chandrakar :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue coupons to those farmers, who have sold wheat to Government for purchasing seeds, diesel and cement at control rate ;

(b) whether Government have also received any memoranda from farmers in this regard; and

(c) if so, the main features thereof and when this facility is likely to be provided to farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (**Shri Annasaheb P. Shinde**) : (a), (b) & (c) : There is no proposal under consideration of the Government at present to introduce as an all India policy to issue coupons to the farmers, who sell wheat to Government, for purchasing seeds, diesel and cement at control rates. The Governments of Rajasthan, Bihar and Haryana have however offered some incentives to the farmers in this behalf. Government received a Memorandum from Bharat Krishak Samaj in this regard. A copy of the same is attached (Annexure). **[Placed in library. See No. LT 5144/73.]**

Violence in Lucknow University

157. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether several Blocks of the Lucknow University were damaged by violent students in the past ;

(b) if so, the facts thereof and whether Government have ascertained the causes leading to such violence; and

(c) the number of persons against whom action has been taken in this regard indicating the type of action taken against them ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c): The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

सरकार द्वारा इंडिया पोटाश लिमिटेड से पत्तन पर पोटाश के उतारने-चढ़ाने का काम अपने हाथ में लिया जाना

158. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है कि सरकार पत्तन पर पोटाश के उतारने-चढ़ाने के काम को इंडिया पोटाश लिमिटेड से अपने हाथ में ले लें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 9 फरवरी 1972 से पहले पत्तन पर पोटाश उतारने चढ़ाने का काम इंडियन पोटाश लि० द्वारा किया जा रहा था। फरवरी 1972 में यह निर्णय लिया गया था कि यह काम भारतीय खाद्य निगम को अस्थायी आधार पर सौंप दिया जाए और इस बीच इस मामले की आगे जांच की जाए कि कौनसी पद्धति अच्छी थी।

(ख) इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

मूंगफली और मूंगफली के तेल की कमी और इनके मूल्यों पर ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल का प्रभाव

159. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन फसल के बाजार में आजाने पर भी मूंगफली और मूंगफली के तेल के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर और दक्षिण के सभी कारखाने लगातार माल उठाते जा रहे हैं;

(ग) क्या मूंग फली की कमी इतनी अधिक है कि अच्छी फसल होने के बावजूद उसका एक बड़ा अंश पहले ही खरीदा जा चुका है और पेरा जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में और असाधारण ढंग से बढ़े हुए मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीफ मौसम में सूखे की स्थिति के कारण 1972-73 के दौरान मूंगफली के कुल उत्पादन में भारी कमी के फलस्वरूप चालू वर्ष में मूंगफली और इसके तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल आ जाने के बावजूद मूल्यों में आमतौर पर वृद्धि होती रही है।

(ख) और (ग) : उत्तर और दक्षिण में कारखानों द्वारा खरीदी गई मूंगफली की मात्रा तथा वास्तविक पैराई की गई मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) देश में वनस्पति तिलहनों तथा तेलों की उपलब्धि में सुधार करने और उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये कई कदमें उठाए जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं :—यथा सम्भव तिलहनों, तेलों तथा चिकनाई के आयात द्वारा पूर्ति में वृद्धि करना, बिनोलों और चावल की भूसी की अधिकाधिक पराई को प्रोत्साहन देना तथा उनके तेलों का प्रयोग, वृक्ष-मूलक गौण तिलहनों के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देना, मूंगफली के तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना और वनस्पति के निर्माण में दूसरे तेलों को अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा पारम्परिक और सोयाबीन तथा सूरजमुखी के बीज जैसे अपारम्परिक तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना।

कृषि विकास को कृषि उद्योगों के साथ जोड़ने के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के विचार

160. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिदेशक ने सरकार को सुझाव दिया है कि देश में कृषि विकास को कृषी उद्योगो की प्रगति के साथ जोड़ा जाना चाहिये जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदो हों, जनसाधारण की आय बढ़े तथा खाद्यानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने कृषि विश्वविद्यालयों के कई भाषणों में कृषि वैज्ञानिकों पर ऐसी टेक्नालोजी का विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जो श्रम के उपयोग में विविधता प्राप्त करने तथा कृषि की प्रगति की कृषि उद्योगों के विकास के साथ जोड़ने में सहायता कर सकती हों।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसी नई कृषि कालोनियों की स्थापना की जहां पारस्परिक लाभ की दृष्टि से कृषि तथा कृषि उद्योग दोनों का विकास किया जायेगा, एक योजना पर विचार किया जा रहा है और कृषि प्रगति के ऐसे केन्द्रों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार की यह नीति है कि जहा कहीं संभव हो कृषि उद्योगों को बढ़ाया जाय।

खाद्यान्न वितरण से लाभ-हानि के सर्वेक्षण के बारे में एशियाई उत्पादकता संगठन की मांग

161. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री किशन मोदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई उत्पादकता संगठन ने खाद्यान्न वितरण से लाभ-हानि सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये भारत सहित सभी सदस्य देशों से ब्यौरेवार जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने पहले ही जानकारी उपलब्ध कर दी है और इस सर्वेक्षण से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा; और

(ग) क्या यह कार्यवाही एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा अपने टोकियो अधिवेशन में किये गये निर्णय के फलस्वरूप की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से एशियाई उत्पादकता संगठन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें खाद्यान्नों की विपणन और वितरण प्रणालियों, भण्डारण सुविधाओं में कमी और उत्पादक से उपभोक्ता क्षेत्रों में खाद्यान्नों को लाने-ले जाने के बारे में उन के द्वारा विहित प्रश्नावाली में विस्तृत सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया है। 29 मई से 2 जून, 1972 तक टोकियों में हुए संगठन के शासी निकाय के 14 वें अधिवेशन में किए गए निर्णय के अनुसार अनुरोध किया गया है।

भारत को गेहूं सप्लाई करने में ब्रिटेन की असमर्थता

162. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने सूचित किया है कि चालू वर्ष में भारत को गेहूं सप्लाई करने में वह असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की कुल मांग कितनी थी; और

(ग) इस बारे में ब्रिटेन सरकार ने क्या कारण बताये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) ब्रिटिश सरकार से भारत को गेहूं सप्लाई करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

ज्वार के समान वसूली मूल्य निर्धारित न करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध

163. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह पूरे देश के लिये ज्वार का एक ही वसूली मूल्य निर्धारित न करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 14-6-73 को हुए मुख्य मंत्रियों और राज्य के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह मत प्रकट किया कि देश भर में ज्वार का अधिप्राप्ति मूल्य एक सा नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि कमी वाले राज्यों में उत्पादन में वृद्धि करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अधिक मूल्य देना होगा।

Reduction in Cost of Production of Wheat

164. **Shri Phool Chand Verma :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained the present average cost of production of wheat in the various States ;

(b) if so, the present cost of production of wheat, State-wise ;

(c) whether any scheme for reducing the cost is under consideration; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Government have estimated the cost of production per quintal of wheat, on the basis of the data collected under the Comprehensive Scheme for studying the

cost of cultivation of principal crops in Punjab and Haryana during the 1970-71 crop season and for a part of the sample in Western U. P. during the 1971-72 crop season. These estimates of cost of production per quintal are given below :—

(Rs. per quintal)

State	Crop season	*Cash & kind expenses	**Total cost
Haryana . .	1970-71	24·07	48·10
Punjab . .	1970-71	28·44	61·04
(Haryana & Punjab combined) . .	1970-71	27·04	56·92
Western U. P. (part of the sample) .	1971-72	19·64	49·68

*Cash and kind expenses include the value of hired human labour, owned and hired bullock labour, value of machine labour, seed, manures and fertilisers, insecticides and pesticides, depreciation, land revenue and cesses, irrigation charges, interest on working capital and rent for leased land.

**Total cost includes, besides cash and kind expenses, imputed rental value of owned land, imputed interest on owned fixed capital and imputed value of family labour.

The analysis of the data on cost of production of wheat in Punjab and Haryana in the 1971-72 crop season is currently in progress.

(c) & (d) No such scheme is under consideration at present. However, the extension education programme aims at increasing the productivity to which will bring down the per unit cost of production.

Appointments by F.C.I. or other Government agencies to help procurement of Foodgrains

165. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India or any other Government agencies have made some fresh appointments to help in procurement of foodgrains from the farmers; and

(b) if so, their number and the total expenditure incurred in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The Food Corporation of India sanctioned 3,073 additional posts for a short duration up to 31-7-73 of which about 80% have been filled. The expenditure involved is estimated to be Rs. 21 lakhs for the duration of the season.

मैसूर में बच्चों में साक्षरता संबंधी केन्द्रीय योजना

166. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में 1980 तक 6–10 वर्ष की आयु-वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के लिये पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई योजना सम्मिलित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये ग्रामीण अस्पतालों के लिये योजनायें

167. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये ग्रामीण अस्पतालों पर धन व्यय करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कितना-कितना अंश होगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार की सहायता से नियुक्त प्राथमिक अध्यापक

169. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से कितने प्राथमिक अध्यापक नियुक्त थे; और

(ख) केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार के तथा कितने प्राथमिक विद्यालय खोलने का परामर्श देती है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना के अधीन, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में से 5,181 प्राथमिक स्कूल अध्यापक नियुक्त किए थे।

(ख) पश्चिम बंगाल की पांचवी पंचवर्षीय योजना पर शीघ्र ही योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

नवद्वीप (पश्चिमी बंगाल) में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

170. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की कोई योजना पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार से भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत लाना

171. **श्री रामभगत पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली युनिवर्सिटी मेडिकल कालेज को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अहाते में एक मेडिकल कालेज इस इरादे से खोला गया था कि बाद में इसे शाहदरा में स्थापित कर दिया जाएगा जिस से वहां पर बनाए जाने वाले 500 पलंगों वाले अस्पताल की सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। अभी तक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल कम्पलैक्स दोनों को एक ही ब्लाक में स्थापित करने के लिए भूमि प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है। इस बीच विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज के प्रथम बेंचों के छात्रों को चालू वर्ष से क्लिनिकी प्रशिक्षण देना होगा। छात्रों की चिकित्सा-शिक्षा के हित में कालेज को शीघ्र खोलने की अन्य सम्भावनाओं की जांच की जा रही है। परन्तु शाहदरा में 500 पलंगों वाले अस्पताल की निर्माण योजना को त्याग देने का तो कोई विचार ही नहीं है।

दालों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण

172. **श्री रामभगत पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोटीन प्रधान दालों में बड़ पैमाने पर अपमिश्रण किये जाने का समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) राज्य सरकारों से मिलने वाली रिपोटों से यह जाहिर नहीं होता कि अनाजों में जिनमें दालें भी आ जाती हैं बडे पेमाने पर मिलावट हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के लिए धनराशि नियत करना

173. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी और कितनी खर्च की गई है;

(ख) उक्त परिषद् के शासकीय निकाय के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त परिषद् ने अब तक क्या कार्य किया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5145/73।**]

Proposal to reduce price of sugar due to increase in production

174. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the price of sugar keeping in view increase in production of sugar; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Variations in sugar production do not affect the prices of levy sugar, which are fixed in accordance with the provisions of Section 3(3C) of the Essential Commodities Act, 1955 taking into account the basic minimum price fixed for sugarcane and the recommendations of the Tariff Commission in respect of manufacturing cost of sugar.

Memorandum submitted by employees of Bharat Scouts and Guides, Delhi

175. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the employees working at the national headquarters of Bharat Scouts and Guides located in Delhi had submitted any memorandum to the management on the 13th April last;

(b) if so, the contents thereof and the reaction of the Government thereto;

(c) whether the management has closed down the said institution instead of looking into the difficulties faced by the employees; and

(d) if so, the justification thereof and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (d) According to the information obtained from the Bharat Scouts and Guides, no memorandum from the employees was received by them on April 13, 1973.

They have reported that arising from a dispute between certain sections of the employees and the management, the work in the organisation has been disrupted. As the dispute is between a private voluntary organisation and its employees, Government do not propose to take any action.

गजेन्द्रगड़कर जांच समिति का प्रतिवेदन

177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० विनोद एच० शाह द्वारा आत्महत्या के मामले की जांच करने के लिए मई 1972 में गठित गजन्द्रगड़कर जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(क) तथा (ग) अभी इस समिति की शिफारिशें सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रिमंड़ल ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही गठित कर दी है। तथापि सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

और इसके मुख्यालय में वर्तमान सभी रिक्त पदों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समुचित कर-विधि तैयार करके भरने का निर्णय किया है । सरकार ने समिति के इस निष्कर्ष को भी स्वीकार करने का निर्णय किया है कि डा० विनोद एच० शाह पर डा० राजेन्द्र प्रसाद को वरीयता देकर मध्य विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति उचित है और तदनुसार कार्रवाही की गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों से रहित औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र

178. श्री **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ऐसे अनेक औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें अर्हता प्राप्त डाक्टर नियुक्त नहीं किये गये हैं

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन औषधालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों में अर्हता प्राप्त डाक्टर नियुक्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) 31 दिसम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार देश में 5197 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे । इनमें से 3134 केन्द्र ऐसे थे जिनमें दो-दो डाक्टर थे और 1945 केन्द्रों में एक डाक्टर था । 118 केन्द्रों में कोई डाक्टर ही नहीं था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता देती है जिससे वे उन डाक्टरों को जो दूरस्थ, पिछड़े और दुर्गम माने जाने वाले 400 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं, 150 रुपये प्रति मास का भत्ता दे सकें ।

डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करने के लिए राज्य, संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा निम्न-लिखित कदम उठाये जा रहे है :—

(i) शहरों और ग्रामों में काम करने वाले डाक्टरों का एकीकृत संवर्ग (काडर) बनाना ।

(ii) ग्राम भत्ता, परिवहन सुविधाएं, मुफ्त सजा सजाया मकान, सुरक्षित जल पूर्ति, बिजली आदि जैसे प्रोत्साहनों की कुल मिलाकर व्यवस्था करना ;

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाओं में विशेषकर भवनों, रिहायशी मकानों आदि में सुधार लाना ;

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक सेवा निवृत्त डाक्टरों को फिर से रोजगार देना;

(v) अग्रिम वेतन-वृद्धि देना ;

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक मात्रा में दवाइयों और उपकरण की व्यवस्था करना । मेडिकल छात्रों को कुछ वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए बाध्य करने की दृष्टि से कुछेक राज्यों ने उन्हें शिक्षावृत्ति । छात्रवृत्ति देने का भी प्रस्ताव किया है ।

(vii) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा कार्य करने वाले उपलब्ध व्यक्तियों का उपयोग कर के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां डाक्टर नहीं हैं
1	आंध्र प्रदेश	3
2	असम	..
3	बिहार	5
4	गुजरात	4
5	हरियाणा	..
6	हिमाचल प्रदेश	15
7	जम्मू और कश्मीर	..
8	केरल	..
9	मध्य प्रदेश	..
10	महाराष्ट्र	..
11	मनीपुर	..
12	मेघालय	..
13	मैसूर	1
14	नागालैंड	..
15	उड़ीसा	33
16	पंजाब	4
17	राजस्थान	..
18	तमिल नाडू	..
19	त्रिपुरा	..
20	उत्तर प्रदेश	50
21	पश्चिम बंगाल	..
22	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	..
23	अरुणाचल प्रदेश	2

10—16 L.S.S./73

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां डाक्टर नहीं है
24	चंडीगढ़	1
25	दादरा और नगर हवेली	..
26	दिल्ली	..
27	गोआ, दमन और दीव	..
28	लक्ष दीव मिनिकाय अमिनदीव द्वीपसमूह	..
29	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
30	पांडीचेरी	..
	योग	118

देश में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

179. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1971 से 1973 तक प्रत्येक श्रेणी की भवन निर्माण सामग्री का वर्षवार तथा राज्यवार औसत मूल्य कितना कितना है; और वर्ष 1966 में औसत मूल्य क्या था ;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान भवन निर्माण के उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो किन कारणों से;

(ग) क्या उनका ध्यान इस तथ्य को ओर दिलाया गया है कि भवन निर्माण के काम में आने वाली कुछ वस्तुयें केवल अत्यधिक महंगी ही नहीं अपितु अनुपलब्ध भी हैं जिसके कारण निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए अपने मकान बना पाना असंभव हो गया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, दिल्ली के लिए वर्ष 1966, 1971 तथा 1972 के लिए भवन सामग्री का औसत मूल्य और मार्च 1973 के मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया (देखिए संख्या एल० टी० 5146/73**]

(ख) इस अवधि के दौरान भवन-सामग्री सहित सभी वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि हुई है ।

(ग) से (ङ) जी, हां । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के भवन निर्माण सामग्री, जन शक्ति तथा निर्माण तकनीकी सम्बन्धी कार्यकारी दल ने भवन निर्माण सामग्रियों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ।

वर्ष 1973-74 में खाद्यान्नों के आयात के लिये विश्व बैंक से सहायता

180. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायतार्थ-संघ अथवा विश्व बैंक भारत सरकार को वर्ष 1973-74 में खाद्यान्न का आयात सुविधाजनक बनाने के लिए अग्रिम ऋण देने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) इस आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) क्या राष्ट्रपति निक्सन के अमरीका कांग्रेस से किए गए इस अनुरोध का, कि मूल्य रोकने की कार्यवाही को अधिक कारगर बनाने के लिए खाद्यान्न निर्यातपर निमंत्रण रखने के लिए स्थानापन्न व्यवस्था स्थापित की जाय; भारत की विदेशों से खाद्यान्न आयात करने सम्बन्धी योजनाओं पर कोई अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों के आयात में सुविधा देने के लिए न तो विश्व बैंक न ही भारत सहायता कंसोंटियम भारत सरकार को ऋण देने के लिए विचार कर रहा है ।

(ख) खाद्यान्नों की ये मात्राए पर्याप्त स्तर पर सरकारी वितरण प्रणाली से खाद्यान्न देने के लिए आयात की जाएगी । इस आयात पर जितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी वह खरीदी जाने वाली वास्तविक मात्रा और उसकी दी जाने वाली कीमत पर निर्भर होगी ।

(ग) किसी देश में खाद्यान्नों के मूल्य और उनकी उपलब्धता उस देश में निर्यात नियंत्रण नीति मे प्रभावित होती है और इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की खरीद सम्बन्धी योजनाओं पर कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती है ।

'बिट्वीन दी लाइंस टेक-ओवर एण्ड्स इन ए फियास्कों' शीर्षक वाला समाचार

181 **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 जून, 1973 के कलकत्ता में प्रकाशित "स्टेट्समैन" में "बिट्वीन दि लाइंस टेक-ओवर एण्ड्स इन ए फियास्कों" शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में लेख देखा है । उसमें अभिव्यक्त विचार लेख के लेखक द्वारा स्थिति की सराहना के बारे में है । क्योंकि अभी गेहूं की अधिप्राप्ति जारी है इसलिए लेखक के निष्कर्श अपरिपक्व है ।

सरकारी अस्पतालों के डाक्टर तथा चिकित्सा अध्यापकों द्वारा सीधी कार्यवाही

182. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों से सम्बद्ध डाक्टरों (विशेषज्ञों) तथा सरकारी अस्पतालों से सम्बद्ध चिकित्सा अध्यापकों ने यह नोटिस दिया है कि वे परिलब्धियों तथा कार्य की शर्तों से सम्बन्धित अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शीघ्र ही सीधी कार्यवाही आरम्भ करेंगे;

(ख) क्या सीधी कार्यवाही का स्वरूप अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अनुकूल व्यवहार न करना, नियम के अनुसार कार्य करना तथा लगभग पूर्णतः हड़ताल किए जाने जैसा ही होगा ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मांगे क्या है; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है अथवा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

इंजीनियरिंग तथा टैक्नीकल डिग्री और डिप्लोमा धारी

183. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग तथा टैक्नीकल डिग्री और डिप्लोमाधारियों की 1971 में राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) क्या इस मामले में कुछ राज्य पीछे रह गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य में इंजनियरी और तकनीकी डिग्री और डिप्लोमाधारियों की संख्या के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक विभाग ने वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की 1971 की विशेष जनगणना तथा प्रत्येक राज्य की संख्याओं से पास होने वाले इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के आधार पर कुछ प्राक्कलन तैयार किए हैं। इन प्राक्कलनों के अनुसार प्रत्येक राज्य में इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की संख्या, जो कि अप्रैल, 1971 में थी, संलग्न विवरण में दी गई है (अनुबन्ध 1)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5147/73**]।

इस समय देश में इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की पूर्णरूप से कमी नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए ऐसे कार्मिकोंकी बड़ी संख्या रोजगार कार्यालियों में पंजीकृत है। उनका राज्यवार वितरण भी, जैसा कि 31-12-71 को था, अनुबन्ध 11 में दिया गया है। इसके साथ ही, तकनीकी और व्यावसायिक कार्मिकों के विभिन्न राज्यों में आने जाने के कारण इस बात पर विचार नहीं किया जा सकता कि तकनीकी कार्मिकों की पूर्ति में कोई विशेष राज्य पीछे रह गया है।

महाराष्ट्र के कमी वाले क्षेत्र में राहत कार्य पर नियुक्त किये गये व्यक्ति तथा उसके लिए केन्द्रीय सहायता।

184. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1973 से महाराष्ट्र में कमी वाले क्षेत्रों में राहत कार्य पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) कमी वाले क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए केन्द्र ने महाराष्ट्र को कितनी सहायता दी है; और

(ग) क्या पहली जुलाई, 1973 के बाद भी यह सहायता जारी रखी गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में महाराष्ट्र सरकार को 126.64 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

(ग) जी हां।

विवरण

पहली जनवरी, 1973 से महाराष्ट्र में कमी राहत कार्यों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या ।

निम्नलिखित तारीख को	श्रमिक-उपस्थिति लाख व्यक्तियों में
1-1-73	20.17
1-2-73	24.40
1-3-73	29.02
1-4-73	35.05
1-5-73	40.20
1-6-73	49.46
1-7-73	47.36

महाराष्ट्र और गोआ के बीच तटीय नौवहन सेवा

185. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गोआ के बीच तटीय यातायात के किराये में वृद्धि करने के बारे में केन्द्री सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या मैसर्स चौगुल एण्ड कम्पनी ने अपने तटीय जहाज चलाने बन्द कर दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) बरसात के दौरान सेवा आमतौर से बन्द रहती है, सितम्बर में शुरू की जाती है ।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

186. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने कब से खाद्यान्न के व्यापार को अपने हाथ में लिया है तथा किन किन खाद्यान्नों का व्यापार अपने हाथ में लिया है;

(ख) क्या केन्द्र का विचार इन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देने का है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिन्होंने खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में नहीं लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों और उनकी सरकारी एजेंसियों के खाद्य अधिप्राप्ति कार्यों के लिए धन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कुछेक निजी क्षेत्र के बैंकों के कंसारशियम द्वारा दिया जा रहा है । खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्यों के लिए भाग लेने वाले बैंकों के लिए कुल 575 करोड रुपये की राशि नियत की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं का थोक व्यापार ले लिया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उनके सामने दी गई तारीखों से गेहूं का थोक व्यापार लिया गया है ।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	थोक व्यापार लेने की तारीख
1. आन्ध्र प्रदेश	1-5-1973
2. असम	1-6-1973
3. बिहार	15-3-1973
4. गुजरात	5-4-1973
5. हरियाणा	5-4-1973
6. हिमाचल प्रदेश	7-4-1973
7. जम्मू तथा कश्मीर	21-4-1973
8. मध्य प्रदेश	14-3-1973
9. महाराष्ट्र	6-3-1973
10. मैसूर	6-4-1973
11. उड़ीसा	7-4-1973
12. पंजाब	3-4-1973
13. राजस्थान	1-4-1973
14. उत्तर प्रदेश	1-4-1973
15. पश्चिमी बंगाल	11-4-1973
16. चंडीगढ	17-4-1973
17. दादरा तथा नागर हवेली	अप्रैल, 1973
18. दिल्ली	16-4-1973

गुजरात में सूखा राहत कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता

187. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, जिसके 12,000 से अधिक ग्रामों में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था, अब कठिनाई से मुक्त होता जा रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य में कमी वाले क्षेत्रों में राहत कार्य में लगे कर्मचारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सहायता जारी रखने के लिये भी सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वर्षा ऋतु आरम्भ होने के बाद भी अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य जारी रखे जायें तथा इस पर अतिरिक्त व्यय को केन्द्रीय सरकार वहन करेगी; और

(घ) सूखा ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अन्य क्या सहायता दिये जाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से कहा गया है कि इस वर्ष की संतोषजनक स्थिति को देखते हुए वे राहत कार्यों संबंधी रोजगार में कमी कर दें।

(घ) पिछले वर्ष के सूखे के संबंध में राज्य सरकार को अबतक 31.75 करोड़ रुपये की कुल राशि दी गई है। इसके अलावा, विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रमों और कृषि आदानों के लिए क्रमशः 5 करोड़ और 2 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

गुजरात तथा अन्य राज्यों मे मुंगफली के तेल का मूल्य

188. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में मूंगफली के तेल का मूल्य इतना अधिक हो गया है जितना पहले कभी नहीं हुआ था जब कि यह राज्य देश के प्रमुख मूंगफली तेल उत्पादन राज्यों में से एक है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी मूंगफली के तेल का यही मूल्य है;

(ग) क्या मूंगफली के तेल की भी भारी कमी थी; और

(घ) इस संबंध में गुजरात सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकारों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) से (ग) गुजरात और अन्य राज्यों में भी चालू वर्ष के दौरान मूंगफली के तेल के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मूल्यों में यह वृद्धि प्रमुख उत्पादन राज्यों में खरीफ मौसम में सूखे की स्थिति होने के कारण मूंगफली के कुल उत्पादन में भारी कमी के परिणाम-स्वरूप हुई है। मूंगफली के उत्पादन में कमी होने से इसके तेल के उत्पादन पर असर पड़ा है।

(घ) देश में वनस्पति तिलहनों और तेलों की उपलब्धि में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने यह कदम उठाए हैं——यथासम्भव तिलहनों, तेलों तथा चिकनाई के आयात द्वारा पूर्ति में वद्धि करना, बिनौलों और चावल की भूसी की अधिकाधिक पेराई को प्रोत्साहन देना तथा उनके तेलों का प्रयोग, वृक्ष-मूलक गौण तिलहनों के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देना, मंगफली के तेल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना और वनस्पति घी के निर्माण में दूसरे तेलों के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा पारम्पारिक और सोयाबीन तथा सूरजमुखी के वीच जैसे अपारम्परिक तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना।

गुजरात में वनस्पति उत्पादकों को सरसों के तेल की मात्रा में वृद्धि करने की अनुमति तथा उन्हें तोरिया (रेपसीड) का दिया जाना

189. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में वनस्पति उत्पादकों को उनके उत्पादों में सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की अनुमति दी गई थी तथा इससे उन्हें कितनी सहायता मिली है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वनस्पति उत्पादकों को तारिया दिये जाने का भी निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो वनस्पति उत्पादकों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिये इन निर्णयों में कितनी सहायता मिली ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) 16 मई, 1973 को वनस्पति में सरसों के तेल के प्रयोग की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत न केवल गुजरात में बढ़ाई गई थी बल्कि सभी क्षेत्रों में भी बढ़ाई गई थी। इससे मूंगफली और अन्य खाद्य तेलों जो कि विशेषकर उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में वनस्पति घी तैयार करने में सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं, पर पड़ रहे भार को कम करने में एक सीमा तक सहायता मिली है।

(ग) और (घ) 80,000 मी० टन तोरिया के कुल आयात में से वनस्पति कारखानों को लगभग 33,000 मी० टन तोरिया दिया गया था। इसका तेल तैयार कर के उसका प्रयोग करने पर, इसके उत्पादन में कुछ हद तक वृद्धि करने में सहायता मिल सकती है। लेकिन इससे देशी तेलों, जिनकी सप्लाई बहुत कम है, पर निसंसदेह भार कम होगा।

नई दिल्ली में सफदरजंग के निकट पुल का निर्माण

190. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सफदरजंग के निकट पुल का निर्माण आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण दिल्ली से सम्पर्क जोड़ने में इस पुल का महत्वपूर्ण स्थान है तथा लम्बे रास्ते से जाने के कारण लाखों व्यक्तियों को अतिरिक्त व्यय पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य शीघ्रतम पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(i) हवाई अड्डे की तरफ के सम्पर्क मार्ग की कुटाई का कार्य आरम्भ किया जा चुका है तथा यह पूर्ण होने को है।

(ii) आई० एन० ए० की तरफ के सम्पर्क स्थान पर मिट्टी की भराई की जा रही है।

(iii) अंडर-रीम्ड पाईलों को जांच की जा रही है।

(iv) आर० सी० सी० पोर्टल फ्रेम्ज के गनाईटिंग का कार्य आरम्भ किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्य अब राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम समिति को सौंपा गया है। नई दिल्ली नगर-पालिका कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये उचित कार्यवाही कर रही है।

केरल स्थित ऐरेलम स्टेट फार्म के कार्यकरण पर असंतोष

191. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1973 के क्विलौन के "जन" जुगोम में प्रकाशित केरल के कृषि मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने केरल स्थित एरैलम स्टेट कार्य को केन्द्र द्वारा चलाये जाने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) क्या यह फार्म घाटे में चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। 13 जून, 1973 के जनजुगौम में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसके अनुसार राज्य के कृषि मंत्री ने प्रैस के सदस्यों से कहा था कि वे फार्म निदेशक के चयन के बारे में असन्तुष्ट है।

(ख) विकासोन्मुखी अवस्था में होने के कारण फार्म को पहले दो वर्षों की अवधि में कुल मिलाकर 1.56 लाख रुपए की हानि हुई है। तीसरे वर्ष के लेखे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, तथापि आशा है कि फार्म को कुछ सकल लाभ होगा और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष निवल हानि कम होगी।

(ग) निम्न लिखित कारणों से फार्म का विकास मन्द रहा है :

(1) फार्म की भूमि सौंपने में बिलम्ब हुआ। बिलम्ब का कारण न्यायालय में अधिग्रहण की कार्यवाही लम्बी चलना और भूमि के जंगल को साफ करने में समय लगता था।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि को खेती योग्य बनाने से पूर्व इसका पर्याप्त विकास करने की आवश्यकता थी।

राज्य सरकार ने लगभग 6,000 एकड़ भूमि दे दी है और 1973 के खरीफ मौसम में 5,000 एकड़ भूमि में खेती करने का कार्यक्रम बनाया गया है। मौके की ज़मीन और जलवायु अनुकुल होने के कारण यह फार्म रोपाई की फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनसे बहुत समय पश्चात् लाभ प्राप्त होता है परन्तु आरम्भिक अवस्था में उन पर काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। वर्ष 1973–74 में फार्म के काफी अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना है।

एरेलम स्टेट फार्म में कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उसमें उगाई गई फसलें तथा उनकी बिक्री की व्यवस्था

192. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित एरेलम स्टेट फार्म में कुल कितने क्षेत्र में खेती की जा रही है तथा उसमें क्या फसल उगाई जा रही है ;

(ख) उस फार्म के उत्पादों की बिक्री की क्या व्यवस्था है; और

(ग) क्या सरकार को फार्म के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचारों के बारे में कोई शिकायत मिली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जून, 1973 के अंत में 3,000 एकड़ भूमि में खती की जा रही थी। 1973 के खरीफ मौसम में 5,000 एकड़ भूमि में पूर्णतः खेती होने की सम्भावना है। उगाई जाने वाली मुख्य फसलें नीचे दी जा रही है :—

(i) **बागान फसलें :** नारियल, सुपारी, काजू, रबड़, काली मिर्च तथा कोको, आदि।

(ii) **खेतों की फसलें :** धान, अन्नदस, केला तथा रेड ग्राम ।

(iii) **अन्त फसलेः** टपिओका ।

(ख) उत्पादों के विक्रय की प्रणाली यह है कि बीजों के मूल्य भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के मुख्यालय द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । गैर—बीजों वाली किस्मों का विक्रय खुले विज्ञापन के आधार परटेन्डर आमंत्रित करके आवश्यकतानुसार पत्र व्यवहार करके फार्म द्वारा स्वयं किया जाता है । अन्नानास, केला या सब्जी आदि शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को प्रचलित मूल्यों पर खुले बाजार में बेचा जाता है । जिलाधीश के सुझाव पर ऐसे विक्रय के लिये एक डिपो कन्नानोर में भी खोला गया है ।

(ग) जी नहीं ।

महाराष्ट्र में नैइट्रोजन उर्वरक की कमी और अधिक मूल्य

193. **श्री अण्णासाहेब गोटखिंड़े :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में जरूरतमन्द किसानों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक आसानी से उपलब्ध नहीं है तथा उन्हें इन उर्वरकों को खुले बाजार में बहुत अधक मूल्य पर खरीदना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश में नाइट्रोजन उर्वरकों की कुल मिलाकर कमी होने के कारण महाराष्ट्र के किसानों के लिये इन उर्वरकों की उपलब्धि में बाधायें रही हैं । तथापि, महाराष्ट्र में इन उर्वरकों की चोरबाजारी के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत चोरबाजारी करने वाले बिक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । इस सम्बन्ध में जिन राज्य सरकारों को आवश्यक अधिकार दिये गये हैं, उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे विक्रेताओं की गतिविधियों के सम्बन्ध में सतर्कता के कार्य में तेजी लायें । देश उर्वरक यूनिटों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करके उर्वरकों की उपलब्ध बढ़ाने और यथा—सम्भव अधिकतम उर्वरकों का आयात करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

नींद की गोलियों के रुप में बेची जाने वाली मैन्ड्रेक्स" का प्रभाव

194. **श्री एस० पी० बसला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैन्ड्रेक्स" नामक औषधि को नींद की गोलियों के रूप में बेचा जा रहा है;

(ख) क्या इस औषधि का उपयोग करने से लगभग 3,000 व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) "मैन्ड्रेक्स" एक शान्तिदायक दवा है तथा इसे औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत किसी प्रशिक्षित चिकित्सक के नुस्खे पर बेचा जाता है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) "मैनड्रेक्स" दवा के गलत इस्तमाल के बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद औषधि परामर्श समिति ने जिसमें केन्द्र और राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस मामले पर विचार किया और इस दवा के वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिये सिफारिशें की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है।

बिहार राज्य के छोटा नागपुर डिवीजन तथा सन्थाल परगना के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण

195. **श्री एस० सी० बेसरा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के सन्थाल परगना क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय दल ने गत तीन वर्षों में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों में कितनी जनसंख्या को पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराई गयीं तथा किस प्रकार की ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है :—

(क) राज्य लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के विशेष जांच डिवीजन द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति के लिए 1971 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह मालूम हुआ कि पेय जल के मामले में संथाल परगना में 2111 ऐसे ग्राम हैं "जो वास्तव में असुविधाग्रस्त ग्राम" हैं।

(ख) सूचना नीचे दी गई सारणी में दी गई है :—

योजना का नाम		गांवों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
क—नलों द्वारा जलपूर्ति की योजनाएं—4 संख्या . .		1	32,000
ख—कुंओं/हस्तचालित नलकूपों का निर्माण कार्यक्रम .			
(i) कुएं	625	1700	3,50,000
(ii) हस्तचालित नलकूप	950		
(iii) विकासित जल-स्रोत	200		
	कुल .	1775	3,82,000

संथाली भाषा सम्मेलन

196. **श्री एस० सी० बेसरा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री संथाली भाषा सम्मेलन के सम्बन्ध में 27 अप्रल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7737 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : सरकार ने, सम्मेलन में अपनाये गए संकल्पों की विषय-वस्तु को नोट कर लिया है और जहां आवश्यक है, राज्य सरकारों का ध्यान उन सुसंगत संकल्पों की ओर भी आकर्षित किया है जिन पर वे विचार कर सकें।

चाय में मिलावट

197. **श्री एस० सी० बेसरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की चाय में बड़े पैमाने पर की जा रही मिलावट का पता है ;

(ख) क्या चाय की किस्म की जांच करने के लिये चाय उत्पादक कारखानों में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस मिलावट को रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) राज्य सरकारों से समयसमय पर विभिन्न खाद्य पदार्थों में, जिन में चाय भी आ जाती है, मिलावट की रोक थाम के लिए समुचित कदम उठाने के लिये कहा जाता रहा है।

बिहार राज्य के छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना जिले में गलगण्ड रोग के बारे में केन्द्रीय दल द्वारा किया गया सर्वेक्षण

198. **श्री एस०सी० बेसरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या बिहार राज्य के छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना जिलेमें गलगण्ड रोग के बारे में केन्द्रीय दल ने गत तीन बर्षो मे कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से कितने व्यक्ति ग्रस्त हैं; और

(ग) सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने इस रोग की रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठते ।

कोचीन शिपयार्ड में भारी जहाज बनाने के लिये करार

199. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० वाले भारी जहाज बनाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बनने वाले ये सबसे बड़े जहाज होंगे; और

(ग) क्या इन बड़े जहाजों के लिये डिजाइन आंकड़े, खाका तथा विशिष्ट विवरण प्राप्त करने के लिये कोई करार किया गया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ग) जी हां ।

(ख) ये जहाज, अभी तक देश में निर्मित जहाजों में सबसे बड़े होंगे ।

बल्क केरियर्स के लिये यूगोस्लाविया को क्रयादेश

200. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूगोस्लाविया को पांच बल्क कैरियर्स सप्लाई करने के लिये क्रयादेश दिये हैं, और

(ख) यदि हां, तो दिये गये क्रयादेश की मुख्य बाते क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने युगोस्लाविया में विभिन्न प्रकार के 14 जहाजों के लिये आदेश दिय है। जिन शर्तों पर ये आदेश दिये गये हैं वे मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं :—

जहाजों की संख्या	जहाज की किस्म	जब करार हुआ	आकार डी०डब्ल्यू०टी०	मूल्य यू०एस० डालर (लाखों में)	सुपुर्दगी की तारीख
2	ओर/बल्क/आयल केरियर	मई, 1971	113.30 प्रत्येक	188.00 प्रत्येक	(1) जुलाई, अगस्त 73 (2) 15-10-73
2	ओर/बल्क/आयल केरियर	मई, 1973	113000 प्रत्येक	240.00 प्रत्येक	(1) 31-12-75 (2) 31-5-76
2	टैंकर . .	अगस्त, 1970	115000 प्रत्येक	(1) 179.85 (2) 187.50	(1) 30-8-74 (2) 30-12-74
5	प्रोडक्ट टैंकर .	2 मार्च, 72 में तथा 3 फरवरी, 73 में	24114 प्रत्येक	(1) 95.00 (2) 95.00 (3) 114.75 (4) 114.75 (5) 114.75	(1) 15-6-74 (2) 15-9-74 (3) 31-3-75 (4) 30-9-75 (5) 31-5-76
3	वी०एल०सी० सीकच्चा-तेल जाने वाले बहुत बड़े जहाज	2 अप्रैल, 73 में तथा 1 जून, 73 में	269000 प्रत्येक	(1) 410.00 (2) 410.00 (3) 450.00	(1) 30-9-75 (2) 30-3-76 (3) 31-12-76

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : हमने देश में भारी मूल्य-वृद्धि तथा इस कारण गम्भीर संकट के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। बिहार में 50 लाख लोग भूखें मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में प्रचलित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मैं इस विषय को बाद में लूंगा। ऐसे विषय प्रश्न काल तथा औपचारिक कार्यवाही के बाद ही विचारार्थ लिये जाते हैं। इस सम्बंध में कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सही नहीं कह र हैं। जब कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है तब तो हमें उसके समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है अन्यथा स्थगन प्रस्ताव प्रश्न-काल के लिये तुरंत बाद ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुझे यहां की प्रक्रिया की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी चिन्ता मुझे उन लोगों की है जोकि श्रीमती गांधी की नीतियों के कारण मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि के फलस्वरूप भूखों मर रहेहैं। सरकार इस बारे में क्या कर रही है। यही हम जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनेक अविश्वास प्रस्ताव भी आये हैं तथा अन्य प्रस्ताव भी हैं। मेरा सुझाव है कि उन पर कल विचार कर लिया जाय।

श्री एस० एम० बनर्जी: (कानपुर): कल क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। पहले हम सभा पटल पर पत्र रखने की कार्यवाही कर लें फिर हम विषय को ले लगे ताकि प्रक्रिया भी न टूटे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कांडला पत्तन न्यास, मोरमुगाव पत्तन न्यास और कलकत्ता पत्तन आयुक्तो के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेख तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवदन।

(दो) मोरमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5118/73।]

(2) कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5119/73।]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम नई दिल्ली, हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन; मंत्रियों के निवास-स्थान (संशोधन) नियम, 1973 और गंदी बस्ती (सुधार और सफाई) संशोधन नियम, 1973

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5120/73।]

(दो) (क) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5121/73।]

(2) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के निवासस्थान (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 501 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5122/73।]

(3) गन्दी बस्ती (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, 1956 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गन्दी बस्ती (सुधार तथा सफाई) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1334 ने प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5123/73।]

औषध तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1973 और अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडीलकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 444 प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5124/73।]

(2) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5125/73।]

राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के बारे में जारी की गई उद्घोषना और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 12-6-73 का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 13 जून, 1973 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई थी और जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 316(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 13 जून, 1973 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 317(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(3) राष्ट्रपति के नाम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के 12 जून, 1973 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5126/73।]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5127/73।]

(2) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5128/73।]

(3) महाराष्ट्र कृषि-औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5129/73।]

(4) मैसूर राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5130/73।]

(5) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5131/73।]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरकों के वितरण के बारे में अधिसचना संख्या सा०सां०नि० 285(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5132/73।]

पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे और दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दशहर दुग्ध ओर दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1973 के बारे में अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1971-72 क प्रमाणित लेखे हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति । **[ग्रंथालय म रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5133/73]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०आ० 289(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी । तथा जिसके द्वारा दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दशहर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदश, 1973 में कतिपय संशोधन किये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5134/73]**

टैरीफ आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): मैं श्री एल० टी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) मानव-निर्मित रेशे तथा सूत—संश्लिष्ट रेशे तथा सूत के मूल्य ढांचे के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1970) ।

(ख) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5135/73]**

(दो) (क) मानव निर्मित रेशा-उद्योग---श्लेष्य (विसकोस) तथा शोक्तिक (एसिटेट सूत तथा विशिष्ट रेशे के मूल्य ढांचे के बार में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1970) ।

(ख) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5136/73]**

(तीन) (क) मानव-निर्मित रेशा तथा सूत उद्योग---श्लेष्य विशिष्ट रेशा कता सूत के मूल्य ढांचे के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1972) ।

(ख) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का ।ववरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5137/73]**

(चार) (क) परतदार पटसन माल के मूल्य ढांचे के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1972) (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण (।हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

11—16 L. S. S./73

(ग) प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) ऊपर (एक), (दो) तथा (तीन) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों के तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5138/73]**

Shri Madbu Limaye (Banka): I want to say a few words about various reports laid by Shri A. C. George.

On 16th May, I had raised a point regarding the Reports of the Tariff Commission out of which Shri George has laid 4 Reports after two-three years. Although your Secretariat has explained about two reports on Vanaspati and Sugar, but the other two remain yet to be explained about. Of them one report pertains to Linoleum which was received by the Government in the middle of 1971 and the other one which pertains to synthetic rubber was received in August, 1970. I have, therefore got a point of privilege since there is no explanation about the above two reports.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में अभी नहीं सोचा है । मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग कर ही स्थिति के बारे में जानकारी दे सकूंगा ।

पश्चिम रेलवे पर रेलगाडियों की टक्कर के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : COLLISION OF TRAINS ON WESTERN RAILWAY

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र ! ... **(व्यवधान)**

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं बड़े खेद के साथ सभा को सूचित करता हूं कि 31 मई, 1972 को पश्चिम रेलवे पर एक गंभीर दुर्घटना हो गई ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस विवरण को सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ ।

विवरण

श्रीमन्,

मुझे सदन को एक गम्भीर दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए दु:ख हो रहा है, जो 31 मई, 1973 को पश्चिम रेलवे पर हुई थी । उस दिन लगभग 22.40 बजे नं० 489 डाउन उपनगरीय गाड़ी नं० 485 डाउन उपनगरीय गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गयी जो चर्चगेट-बोरिवली बहु-लाइन उपनगरीय खण्ड के गोरेगांव और मलाड स्टेशनों के बीच फाटक सिगनल नं० 29 ई पर खड़ी थी । इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 16 व्यक्ति मारे गये और 44 व्यक्ति घायल हो गये जिन में से 26 को सख्त चोटें आयीं ।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस यान और रेलवे चिकित्सा यान रेलवे के डाक्टरों और दूसरे चिकित्सा कर्मचारियों के साथ घटना स्थल को भेज दिये गये । प्राथमिक उपचार और आवश्यक मरहम-पट्टी के बाद, घायल व्यक्तियों को आगे इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया ।

मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों और गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को अनुग्रह-राशि का भुगतान कर दिया गया था ।

अपर आयुक्त, पश्चिम क्षेत्र, बम्बई ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की है । उनके अनंतिम निष्कर्ष के अनुसार , यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों के गलती के कारण हुई थी ।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस बारे में चर्चा चाहते हैं तो कृपया सूचना दीजिये । ऐसे ही चा जब मत खड़े हो जाइए (**व्यवधान**) विवरण के पश्चात् कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

अविश्वास प्रस्तावों के बारे में
RE.: MOTIONS OF NO CONFIDENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे विभिन्न सदस्यों की ओर से मंत्रीपरिषद के प्रति अविश्वास के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका विषय प्रायः एक-सा ही है । ये सदस्य हैं सर्वश्री समर मुखर्जी, मध दण्डवते, दीनेन भट्टाचार्य, समर गुह, अटल बिहारी बाजपेयी, श्याम नन्दन मिश्र, सत्यनारायण सिन्हा, के० एस० चावडा और त्रिदिब चौधरी । क्या व अपने प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ?

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : मैंने देखा कि अन्य दलों ने भी ऐसे प्रस्ताव रखे हैं तो हम सब ने मिलकर सोचा है कि सत्र क आरम्भ में हम अपने प्रस्ताव नहीं रखेंगे, सत्र के अन्त में पेश करेंगे । अब तो हम विशिष्ट विशिष्ट मामलों पर चर्चा चाहेंगे । अतः मैं अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहा हूँ ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने प्रस्ताव को सत्र के अन्त में पश करूंगा, इस समय नहीं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सत्र के अन्तिम भागमें इस पर चर्चा का अवसर पाने की आशा से मैं अपने प्रस्ताव को इस समय पश नहीं कर रहा हूँ ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : विपत्ती दलों के बीच यह सर्व सम्मति से तय हुआ है कि अब तो हम विशिष्ट विषयों पर चर्चा करेंगे तथा सत्र के अन्त में अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं पेश कर रहे है । श्री अटल बिहारी वाजपेयी—उपस्थित नहीं है । श्री के० एस० चावड़ा—नहीं है ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह समझता कि वे सभी सदस्य अपने प्रस्ताव पेश नहीं कर रहे हैं ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—जारी
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT—*Contd.*

कुछ माननीय सदस्य खडे हुए

एक माननीय सदस्य : स्थगत प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विभिन्न वस्तुओं का भारी अकाल पड़ा हुआ है और मूल्यों में वृद्धि . . .

अध्यक्ष महोदय : कल क्यों नहीं चर्चा कर लें ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे तो कोई आपत्ति नहीं परन्तु आप अपना निर्णय कर लें ।

इस अवसर पर दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने कुछ परचे सभा-भवन में फेंके

At this stage a person from the Visitor's Gallery threw some leaflets on the floor of the House.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास ऐसे कई प्रस्ताव हैं । क्या आप आज उन पर चर्चा चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (आलिपूर) : आज आप अपना निर्णय दे दीजिए . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं तो निर्णय कर चुका हूँ, अगर आज कहूंगा तो आज होगी ।

कुछ माननीय सदस्य : कल !

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Sahajapur) : I had sought permission to raise a point today.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप कल का समय इस लिये रख रहे हैं ताकि विपक्ष को अधिक समय दिया जा सके ; अथवा कि कोई अन्य बात है ?

अध्यक्ष महोदय : आज निष्पन्न संबंधी उनके उल्लेख थे और इसके पश्चात् यह अनुभव किया गया कि वातावरण कुछ उदाससा रहेगा इसलिये कल के लिये रखा गया है ।

मैंने पहला स्थगत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जो कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि को रोकने में असफलता तथा उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त माता में सप्लाई न होने संबंधी हैं । उक्त प्रस्ताव सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त , चन्द्रप्पन, योगेन्द्र झा, मुकर्जी, एस० एम० बनर्जी प्रो० दण्डवते समर मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, हुकुमचन्द कछवाल, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जगन्नाथ राव जोशी . . .

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इसमें आप मेरा नाम भी जोड़ दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : सब से पहले या सब के बाद में ? अब आप सभा से इसे पेश करने अनुमति ले लीजिये . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाये कि :

"आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि पर नियंत्रण करने में हुई असफलता क्या लोगों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त माता में खाद्यान्न की सप्लाई करने के बारे में चर्चा करने के लिये सभा अब स्थगित होती है"

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं भी बिहार के अनेक भागों में अभाव तथा लोगों को भूखो मरने के बारे में एक अन्य स्थगत प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूँ . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं एक स्थगत प्रस्ताव स्वीकार कर चुका हूँ । आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लुंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : बिहार में 50 लाख लोग भूखें मर रहे हैं।

श्री इब्राहीम सूलेमान सेट (कोझीकोड) : मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : जो उक्त प्रस्ताव के पक्ष में हैं...

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : केवल कोई आपत्ति होने पर ही आप इस प्रस्ताव पर सदस्यों का मत पूछ सकते हैं...

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, आन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दीरा गान्धी) : इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हम सरकार की निन्दा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने वालों की संख्या पचास से अधिक है अतः यह प्रस्ताव चर्चा के लिये स्वीकार किया जाता है, यह चर्चा आज सायं चार बजे आरंभ होगी। यह चर्चा $2\frac{1}{2}$ घण्टे की होगी ...(**व्यवधान**) कृपया व्यवस्था रखिए। मैंने यह समय नियमानुसार रखा है और फिलहाल यह अवधि $2\frac{1}{2}$ घण्टे है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : $2\frac{1}{2}$ घण्टे में चर्चा कैसे समाप्त हो सकती है। इसे कल तक चलने दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे आज ही पूरा करना है। हम इसे 2.30 बजे शुरू कर देंगे और अन्त में भी कुछ और समय बढ़ा देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : श्रीमन् पिछली बार तो आपने एक स्थगन प्रस्ताव को अगले दिन तक बढ़ा दिया था, अबकि बार भी होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई परम्परा नहीं बनाई गई थी। मैं नियम नहीं बदल सकता। मैंने स्वयं कहा था कि कल चर्चा कर लीजिये ताकि कोई प्रक्रिया संबंधी बाधा न पड़े, परन्तु आपने आज ही चाहा। अब मैं मजबूर हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना की है परन्तु अब मैं उस पर जोर नहीं दे रहा हूँ परन्तु मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री महोदय वेतन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के बारे में एक वक्तव्य सभा में दे। रेलवे तथा रक्षा कर्मचारियों ने हड़ताल करने का मन्शा बनाया है। मैं निवेदन करता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय से यह स्पष्ट आश्वासन दिलवायें कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किये बिना मंत्री मंडल के निर्णय की क्रियान्विति नहीं की जायेगी।

अनुदानों की मांगें—मनीपुर, 1973-74 (जारी)

DEMANDS FOR GRANTS—MANIPUR, 1973-74—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में मनीपुर राज्य के वर्ष 1973-74 के बजट पर चर्चा और मतदान होगा। अनुदानो की मांगें सदन के समक्ष है। कौन-कौन माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। श्री सरजू पांडे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री बीरेन दत्त इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री बीरेन दत्त (पश्चिमी त्रिपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर हमें मनीपुर की अनुदानों की मांगों पर विचार करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति शासन के माध्यम से लम्बे समय तक राज्यों पर शासन करना तो केन्द्र सरकार की पद्धति सी बन गई है। राष्ट्रपति शासन के दौरान मनीपुर में भारी सूखा पड़ा है और उसका लोगों के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कृषि सुधार के लिए वर्तमान बजट में जो व्यवस्था की गई है वह मनीपुर के लोगों की आशाओं से कहीं कम है। प्रत्येक वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसे दृष्टिगत रखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में सम्पूर्ण बजट ही अवास्तविक लगने लगेगा क्योंकि अभी तो मालूम नहीं कि कीमतों में और कितनी वृद्धि होगी।

कृषि के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार करने के लिये संसद सदस्यों, सलाहकार समिति और सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ था परन्तु उसमें दिये गये सुझावों का बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मनीपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र के लिये सिंचाई योजनाएं बनाना अब बहुत अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार मनीपुर में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी काफी है परन्तु उसके लिए भी बजट में बहुत थोड़ी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इस प्रकार के समाचार भी सुनने को मिल रहे हैं कि इस आदिवासी क्षेत्र के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अतः यदि लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित कदम न उठाये गये, तो असंतोष और बढ़ता जायेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि उस क्षेत्र के युवकों को रचनात्मक कार्य करने की ओर आकृष्ट किया जाये। बेरोजगारों को रोजगार दिये जायें। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर अपेक्षित ध्यान देगी।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Speaker, Sir, the State of Manipur is faced with a number of problems. There is a good need for the development of roads, agriculture and irrigation plans of the State. But the Budget which has been presented here does not show any awareness on the part of Government on these problems.

The present budget has showed a deficit of 3 crores of rupees. The trend of presenting deficit budget has led to inflation in the Country with the result that the value of rupee has been eraded to a greater extent. I feel this trend must be put to an end.

The President rule provides ample apportunity to bureaucracy which has resorted to suppressions of the people. I think, it is high time to set up a popular Government in the State. At the same time more provision should be made for the development of irrigation and power in the backward areas so that they may come up.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर 4 मिनट म० प० पर पुनः सत्रवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Four Minutes Past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री नागभूषण पटनायक आन्ध्र प्रदेश के नक्सलवादी नेता है और वह एक घृणित कैदी भी हैं। हमें पता चला है कि उनकी रहम की अर्जी रद्द कर दी गई है। सैकड़ों सदस्यों ने गृहमंत्री तथा प्रधान मंत्री को अपील की है कि उनकी सजा कम कर दी जाये। मैं निवेदन करता हूं कि गृहमंत्री आज या कल इस के बारे में अपना वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, we were expecting that Shri Jambhuwant Dhote, will be released from jail by the time Parliament meets but it has not happened. He is still in jail and moreover he is not being behaved properly. I humbly submit to the Home Minister that he should exercise his influence for release of Shri Dhote.

अनुदानों की मांगे (मनीपुर) 1973-74--(जारी)
DEMANDS FOR GRANTS (MANIPUR), 1973-74—(*Contd.*)

उपाध्यक्ष महोदय : मनीपुर के बजट पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैं श्री मधु लिमये से प्राप्त हुए पांच कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं।

मनीपुर राज्य की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	1	श्री मधु लिमये	नागरिक स्वतंत्रता का दमन	100
13	2	—"—	आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई	100
21	3	—"—	बुनकरों को अपेक्षित काउन्ट के सूत का सप्लाई न किया जाना	100
23	4	—"—	बेरोजगारी समस्या जो कि भयंकर रूप धारण कर रही है।	100
26	5	—"—	परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब	100

श्री एन० टोम्बो सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं मनीपुर के बजट का समर्थन करता हूं। बजट की प्रथम स्थिति के पारित होने के बाद से मनीपुर क्षेत्र के प्रशासन में किसी प्रकार का सु ार नहीं हुआ है। तत्कालीन यू० एल० डी० सरकार द्वारा किये गये दुष्कार्यों के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस सरकार द्वारा किये गये दुष्कार्यों पर उच्चतम स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा जांच करवाई जानी चाहिये थी। सरकार को सदन को सूचित करना चाहिये कि अब तक उसने क्या कार्यवाही की है।

मनीपुर में लोकप्रिय सरकार के पतन के समय जो समस्यायें राज्य के समक्ष थीं, वह अब भी उसी तरह विद्यमान हैं। मनीपुर में इस वर्ष भी वर्षा नहीं हुई और वहां सूखा पड़ा हुआ है जिसके फलस्वरूप वहां खाद्यपदार्थों की भारी कमी है। अतः सूखे का खतरा इस वर्ष भी अपना वही भयानक रूप बनाये हुये हैं।

इस राज्य में उद्योगों के विकास की ओर भी सरकार को उचित ध्यान देना चाहिये। अभी हाल ही में औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा उत्तरपूर्वी क्षेत्र के नागालैंड, आसाम और त्रिपुरा राज्यों में कागज के कारखाने लगाने की घोषणा की गई। परन्तु यह खेद की बात है कि मनीपुर जहां कि बांस काफी मात्रा में होता है, को अभी तक कागज के कारखाने का आवंटन नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार को बिना और विलम्ब किये, मनीपुर में कागज का कारखाना लगाने की घोषणा कर देनी चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय असंतुलन को दूर करने का जो वचन हमने दिया था उसका क्या बना? कई कारणों से पूर्वी सीमा का विकास आवश्यक है। मनीपुर को उसकी विशेष स्थिति के कारण प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपने पैरों पर खड़े होने के साधन ही नहीं हैं। क्या हमने ऐसे क्षेत्रों के प्राकृतिक तथा खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण किया है?

[श्री एन० टोम्बो सिंह]

मनीपुर में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापति करने का प्रस्ताव था परन्तु गलत मूल्यांकन के कारण यह निर्णय किया गया कि यह फैक्टरी अलाभकर होगी । जब तक राज्य के प्राकृतिक तथा खनिज साधनों का विकास नहीं किया जाता तब तक उसकी केन्द्र पर निर्भरता कम नहीं होगी ।

मनीपुर प्रशासन में हम व्यक्तियों को सरकार की नीति एवं दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं । वहां के सभी विकास कार्यों को रोक दिया गया है । वित्त मंत्रालय को राज्य को उचित परामर्श देना चाहिए ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा शिक्षा विभाग अधिक व्यय करते हैं और इस प्रकार सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है ।

मनीपुर का भूगोल सदस्यों को विदित है । वहां पर पर्वत है तथा घाटियां हैं । वहां कोई सब्जियां नहीं होती वृक्षों को काटा जा रहा है तथा वनारोपण का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

राज्य में हर घर में बुनकर का कार्य होता है । इस उद्योग को समर्थन मिलना चाहिए ।

मनीपुर स्वास्थ्य सेवा अभी प्रारम्भ नहीं हुई है और वहां के डाक्टरों से उक्त सेवा के लिये विकल्प मांगा गया है । यह मामला उनके लिये गम्भीर मामला हो सकता है ।

राज्य के अल्प आय वर्ग के छात्रों ने उनके लिये छात्रवृत्तियों के लिये समुचित धन की व्यवस्था न किये जाने के कारण आन्दोलन किया । क्या सरकार उन्हें समय पर छात्र वृत्तियां देने के लिये व्यवस्था करेगी ? पिछली बार गृह मंत्री ने इस बारे में आश्वासन दिया था । छात्रों के आन्दोलन को शान्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मनीपुरी भाषा को आठवी अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये । इस भाषा का विधान सभा में और न्यायालय में उपयोग होता है ।

Shri G. P. Yadav (Katihar) **:** Not only the budget of Manipur, but also of Orissa, Andhra, U.P., and various other States would come up here.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव को $2\frac{1}{2}$ घंटे के स्थान पर 3 घंटे दिये जायेंगे ।

इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि सभा अब स्थगित होती है"।

पिछले 26 वर्षों से इस देश के लोग निरन्तर हो रही मूल्य वृद्धि से संत्रस्त हैं । परन्तु पिछले कुछ महीनों से जो मूल्य वृद्धि हो रही है वह अत्यन्त असामान्य है ।

देश से सभी प्रकार की राशन व्यवस्था विफल रही है । अभी बंगाल में चावल के साप्ताहिक राशन को 1 किलो से घटा कर 250 ग्राम किया गया जिसके फलस्वरूप खुले बाजार में चावल का मल्य 3.25 रु से बढ़कर 3.50 रु० प्रति किलो हो गया और बाद में बढ़कर 4 रु किलो

हो गया। अभी अखबारों में छपा है कि बिहार में राशन की दुकानों पर गेहूं का एक दाना भी उपलब्ध नहीं है। मूल्य इतने अधिक बढ़ गये हैं कि किसी के लिये भी जीवन निर्वाह करना असंभव हो गया है।

सरसों के तेल का मूल्य 8.80 रु० किलो हो गया है। जून में उसका मूल्य 6.80 रु० था। मसूर की दाल जो 1.90 रु० प्रतिकिलो मिलती थी अब 2.20 रु० प्रति किलो मिलती है। जीरा, धनिया, हलदी भी बहुत महंगे हो गये हैं। कोयले का नियंत्रित मूल्य 5 रु० है पर वह 7.50 पर बिक रहा है।

देश में मिट्टी के तेल की कृत्रिम कमी पैदा की गई है?

श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा राज्य सरकारो को ये निर्देश जारी करने के बावजूद कि वे इस बारे में अपनी सब शक्तियों का उपयोग करें और आवश्यक वस्तु (बनाए रखना) अधिनियम के अन्तर्गत भी इन अविवेकी जमाखोरों और मुनाफा खोरों को मैं जानना चाहता हूं कि सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी जा रही है?

पिछले वर्षों में 10.8 करोड़ मीटरिक टन खाद्यान्न की भारी फसल होने पर भी सरकार ने सुरक्षित भाण्डार नहीं बनाए। अब वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें विदेशों से खाद्यान्न आयात पर निर्भर करना पड़ेगा। देश में गेहूं के भण्डार बहुत हैं और इन्हीं के आयात पर ही सरकार ने गेहूं के वसुली के लिए योजना और लक्ष्य तैयार किए हैं। अब लोगों से कहा जाता है कि विदेशों से गेहूं का आयात कराने पर बहुत अधिक मूल्य देना पड़ेगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत बढ़ गया है? वर्ष 1973—74 में लगभग 450 करोड़ रूपये का गेहूं आयात करना पड़ेगा। किन्तु बजेट में इतनी राशि की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई थी? अतः यह राशि कहां से आयेगी? हमें शंका है कि इस राशि को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष कर लगाने पडेंगे और अनुपूरक बजेट लाना पड़ेगा। इससे मूल्य और बढ़ जायेंगे। यदि हम अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाएगें तो हमें घाटे की अर्थव्यवस्था करनी पड़ेगी तथा अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए और नोट छापने पड़ जायेंगे जिससे मुद्रा स्फिति बढ़ जायेंगे तथा मूल्यों में और वृद्धि हो जायेगी। मूल्य वृद्धि के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। क्यो कि जीवन में उपयोग मे आने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सरकार स्वयं वृद्धि करती जा रही है।

योजना मंत्री महोदय को पता है कि बढती हुई मुद्रा स्फीति से सरकार की सारी योजनाएं धराशायी हो रही है। मुझे तो यह शंका है कि पांचवीं योजना भी इससे सुरक्षित नहीं बचेंगी और इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा।

औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गतवर्ष मार्च में 194 था जो बढ़कर मई 1973 में 228 हो गया है। इससे श्रमिकों की मजूरी बहुत घट गई है। क्या ऐसी स्थिति में औद्योगिक अशांति की सम्भावना नहीं है? क्या लोग इसके विरुद्ध आन्दोलन नहीं करेंगे? देश के अनेक भागों में कई प्रकार के बन्ध चल रहे हैं किन्तु बन्धों का आयोजन करने से मूल्य कम नहीं होंगे, क्योंकि बन्ध तो विरोध प्रदर्शन करने का एक रूप हैं।

देश के कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है और वर्षा भी नहीं हो रही है जिससे खाद्यान्नों का बहुत कम उत्पादन हुआ है। यदि इतना उत्पादन होने के पश्चात उपलब्ध भण्डारों की पूरी वसूली हो तो मूल्यों की स्थिर रखा जा सकता है और चोर बाजारी रूपी पिशाच से लोगों की रक्षा हो सकती है?

अतः इस गम्भीर संकट के मूल कारण मैं समझता हूं कि ये हैं। सबसे पहला कारण है घाटे की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री का अनुमान एक वर्ष में केवल 250 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ व्यवस्था का था। किन्तु अब यह 850 करोड़ रुपये तक हो गया है और यदि इसमें 400

[इन्द्रजीत गुप्त]

करोड़ रूपये और जमा किए जाए, क्योंकि राज्य सरकारों ने रिजर्व बैंक से जमा पूंजी से अधिक धन लिया हुआ है तो यह बढ़कर 1200–1300 करोड़ रुपये तक हो जायेगी। देश में घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। दूसरे घाटे की इस अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वर्ष 1400 करोड़ रुपये का काला धन जमा होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में वांचू समिति के प्रतिवेदन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चोरबाजारी के धन का प्रयोग खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी में किया जाता है। इस काले धन को समाप्त करने से ही जमाखोर और चोर बाजारियों को समाप्त किया जा सकता है।

तीसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी बैंक सन्देहास्पद भूमिका निभा रहे हैं। बैंको को ये निर्देश जारी किए जाने पर कि आसानी से ऐसे ऋण न दिए जाए जिससे क्योंकि इससे जमाखोरी की जा सकती है; अभी तक इन निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। चोर बाजारी और जमाखोरी करने वालों को आसानी से ऋण दिए जा रहे हैं।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के लिए सरकार अपने सारहीन निर्णय का बेचन और मितभाव का कार्यान्वियन कर रही है। इससे बड़े जमीनदारों और उत्पादकों पर कोई कर या शुल्क नहीं लगा है। सरकार की वसूली करने वाली एजेंसियां बड़े बड़े जमीनदारों द्वारा बाजार में खाद्यान्न लाये जाने पर ही निर्भर करती है। भूमि और उनके उत्पादन को देखते हुए उत्पादकों पर कोई कर नहीं लगाया जाता। अत: इस बारे में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। प्रशासनतंत्र के साथ कार्य करने के लिए लोक प्रिय समितियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। इसके विपरीत यदि कोई सहयोग करता है तो जमीन्दारों द्वारा उनको मारा पीटा जाता है, उन पर आक्रमण किया जाता है और उनकी हत्या की जाती है जैसा कि बिहार में हुआ है। भूमिहीन श्रमिकों की निर्मय हत्या की जाती है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार देश के प्रसिद्ध अर्थ शास्त्रियों ने हाल के वर्षों में घाटे की भारी अर्थव्यवस्था और वर्तमान असामान्य मूल्य वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता पर आरोप लगाया है। इन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को उत्पादन स्थल से ही उपभोक्ता वस्तुएं वसूल करनी चाहिए और उचित दर की दुकानों के द्वारा उन्हें बेचना चाहिए जिनसे मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। मुद्रा स्फीति का मूल कारण यह है कि सरकार अमीरों पर कर लगाए बिना गरीबी हटाना चाहती है। देश में जिन आवश्यक वस्तुओं की कमी है उनके मूल्य कम करने के लिए बड़े बड़े उत्पादकों पर अनिवार्यत: कर लगाया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनका आयात भी किया जाना चाहिए। एक विवरण में दिए गए आंकड़ों से पता लगा है कि कई राज्यों में निर्धारित लक्ष्य से गेहूं की वसूली बहुत कम हुई है क्योंकि बड़े उत्पादकों ने अपना उत्पादन देने से इसलिए इनकार कर दिया है कि ये बड़े उत्पादक मूल्य बढ़ाना चाहते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही अवश्य ही करनी चाहिए।

शासक दल द्वारा दिये गये सभी आश्वासन व्यर्थ सिद्ध हुए है। इस मामले से उन करोडों व्यक्तियों का सबन्ध है जिन्होंनें मत देकर कांग्रेस को सत्ता सौंपा। विरोधी पक्ष में भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं। जिनका शासक दल से मेल मिलाप है। सरकार धीरे धीरे सभी आवश्यक वस्तुओं को अधिकार में लेकर उनका वितरण करें। काले धन, चोरबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध दृढता से दक दिया जाना चाहिए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वह मूल्यों और खाद्य के मोर्चे पर विफल रहती है तो यह सरकार के पदच्युत होने का ही मामला नहीं है अपितु इससे देश के करोडों लोगों के भूखे मरने तथा राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था के ढल जाने का भय है। इस लिये सरकार कीं कलनी और करनी में महान अंतर के कारण उसकी निन्दा की जानी चाहिए। अतएव यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है।

इन शब्दों के साथ में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा स्थगित होती है"

श्री आर० के० सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं स्थगत प्रस्ताव का विरोध करता हूं। उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं। परन्तु वह अपने लम्बे भाषण के बावजूद इस सरकार की विफलता सिद्ध नहीं कर सके है। यहां तक खाद्यानों के व्यापार के सरकारीकरण की नीति का प्रश्न है। श्री गुप्त हमेशा इसका समर्थन करत रहें हैं।

यदि देश में कुछ भी होता है, किसी भाग में वर्षा नहीं होती तो सरकार को दोष दिया जाता है। मैं श्री गुप्त के इस विचार से सहमत हूं कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण भारी समस्या है जिसके समाधान के लिये सभी पार्टियों को मिल कर काम करना चाहिए।

जुलाई, 1972 में हमारे पास 92 लाख टन खाद्य भंडार था। हम लोग विभिन्न राज्यों में वर्षा की विफलता का पुर्वानुमान नहीं लगा सके है। मानसून के विफल होने से लगभग अकाल की स्थिति में सरकार ने 18 करोड़ लोगों को खिलाने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लिया। उत्पादन बढाने के सरकार के प्रयत्नों का विरोधी पक्ष द्वारा विरोध किया गया है। यह आश्चर्य का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव दुगने हो गये है। और हमें बढ़े हुए भाव देने पडते है।

श्री गुप्त सरकार को किस प्रकार के खर्चों को कम करने को कहते हैं। क्या वह चाहते है कि रक्षा प्रयत्नों में शिथिलता लाई जाये अथवा सामाजिक सेवाओं पर या स्वास्थ्य पर या शिक्षा पर कम व्यय किया जाय?

कोयले के हजारों डिब्बे बंगला देश भेजे गये हैं जिसके कारण दक्षिण में अन्न लेजानें अथवा उत्तर में सीमेंट लाने में कठिनाई हुई है। वर्षा की कमी के कारण कई राज्यों में बिजली के उत्पादन में कमी आई है।

मैं विशेष रूप से अपनी पार्टी के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह षडयंत्र कुछ एकाधिकार गृहों द्वारा विरोधी दलों के मेल से सरकार को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

हम जानते हैं कि हमें समस्या का सामना करना चाहिए। परन्तु हम अपनी नीतियों को बदल नहीं सकते हैं। यह सरकार गरीबी हटाने और एकाधिकार गृहों को समाप्त करने के लिय वचनबद्ध है।

कहा गया है कि नियंत्रण के कारण मूल्य बढ़े है। परन्तु उन वस्तुओं की क्या स्थिति है जिन पर अभी तक नियंत्रण नहीं है।

यह संकट अस्थायी है और हम इसका सामना दृढता से कर लेंगे। परन्तु वर्षा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार पिछडे क्षत्रों को नहीं भूलेगी।

आज आप इस अविश्वास प्रस्ताव पर एक मत है। तीन दिनों में यह एकता छिन्न भिन्न हो जायेगी और आप लोग अपनी अपनी बोलियां बोलेंगे। हमारा कथन है कि परिस्थितियों पर काबू पायें। देश का भविष्य उज्वल है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमांड हार्बर) : देश के समक्ष ऐसा भयानक संकट कभी नहीं आया। समाचार है कि बिहार में पचास लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। त्रिपुरा में लगभग 3,500 व्यक्ति भूख का शिकार हुए है। प्रधान मंत्री ने श्रमिकों से कहा है कि यदि वे हडताल करते है तो खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ जायेंगे। क्या आप योजना आयोग से पूछेंगे कि क्या यह कभी भी घट सकता है। आज आप अपने दल में ही प्रतिक्रियावादियों की बात करते हैं। प्रधान मंत्री ने अपने दल के आधा दर्जन व्यक्तियों को बताया है कि आने वाले कुछ महीने संकटपूर्ण हैं।

अभी पिछले दिन प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने कीमतों में कमी की भविष्यवाणी की थी और आज कीमतें चोटी तक पहुंच गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकडों से पता चलता है कि भारत में आंकडे जुलाई 1971 90 थे और अब 250 है। आधार वर्ष 1963 में—100 से तो 1965 में 120, 1971 में 174 आंकड़े है। जर्मनी के आंकड़े 103.6 (1965) तथा 112.5 (1971)। पाकिस्तान के आंकड़े 110.4 (1965), 141.6 (1971), ब्रिटेन के आंकड़े 105.4 (1965) और 137.6 (1971) हैं।

एक मास की अवधि में सभी वस्तुओं के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई है। प्रधान मंत्री को यह सब पता है। उन्हें कोई जगा नहीं सकता क्योंकि वह सोई हुई नहीं है। जान बूझकर खोई हुई है।

इक्नामिक्स टाइम्स में बताया गया है कि आटा 30% और मैदा 40% महंगा हो गया है। उसमें कहा गया है कि परचून मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो रही है।

कई विश्वसनीय पत्रों में कहा गया है कि सरकार एकाधिकार गृहों से मिली हुई है जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है। बंबई में चावल आज 7.50 रु० प्रति किलो बिक रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी की सरकार एकाधिकारियों की है, यह एकाधिकारियों द्वारा एकाधिकारियों के लिये है। काले बाजार के बिना यह सरकार एक दिन भी नहीं टिक पायेगी।

दो महीनों में डालडा के मूल्य 6 रु० से बढकर 11 रु० किलो हो गये है जब कि उसकी लागत 3 रुपए से कम बैठती है।

हिन्दुस्तान लिवर्स के संतुलन पत्र से पता चलता है कि पिछले वर्ष लाभ 5 करोड़ रुपये थे जबकि इस वर्ष 11 करोड़ रुपये है। वास्तविक लाभ तो 30 करोड रुपया है। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।

शाह वल्लिस एण्ड कम्पनी ने 40 प्रतिशत लाभांश घोषित किये हैं। जबकि उनके वास्तविक लाभ 200 प्रतिशत हैं।

चीनी का उत्पादन मूल्य उसके बिक्री मूल्य की एक तिहाई भी नहीं है।

चीनी की खुली बिक्री द्वारा 200 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया है जिसे शासक दल के साथ मिल कर समाप्त कर लिया गया।

जब रुई के मूल्य घट रहे है तब कपड के मूल्य क्यों बढ रहे हैं। उन्हें 10% की मूल्य वृद्धि की अनुमति क्यों दी गई है । जब अच्छी से अच्छो रुई 6 रु० किलो से ज्यादा नहीं है । इसे धागे में बदलने तथा रंगने से यह 100 रु० किलो हो जाती है ।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गम्भीर दाल षडयंत्र किया गया । यदि आप अनुमति दें तो मै उसके बारे में रिपोर्ट को सभा पटल पर रख दूं।*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझ दे दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस घोटाले में 79 व्यक्ति है, जिनमें मुख्य मंत्री का भतीजा और ब्रदर–इन–ला भी सम्मिलित है । उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ।

श्री बी० के० दासचौधरी (कुच बिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कि यह मामला न्यायालय में है वह इसका उल्लेख कैसे कर सकते है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक कांग्रेसी विधायक को गिरफ्तार किया गया और मंत्री महोदय को उस बारे में पता नहीं है । गेहूं के 4000 टन का चोकर को 1 रुपए किलो बेचा जा रहा है जबकि उसके 6 आने किलो मिल सकते है ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि कमियों को बढाचढा कर बताया जाता है ।

इण्डियन एक्सप्रेस के 14 जुलाई 1972 के अंक में बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने बढे हुए मूल्यों को असंबद्ध बताया। उन्हें इस लिये संतोष है कि मूल्य विश्व के कई भागों में बढ रहे है ।

मैं कहता हूं कि प्रधान मंत्री चाहेगे–कोई–शेख का नवीन संस्करण है ।

देश में कई भागों में खाद्य के कारण उपद्रव हुए है । वहां पर साम्यवादियों ने कीमतों के स्तर को एक वर्ष तक बनाये रखा है।

खाद्य को अधिकार में लेना पूर्णता विफल रहा है । व्यापारियों के पास हजारों लाखों क्विंटल अनाज पडा हुआ है ।

राशन व्यवस्था तथा संशोधित राशन व्यवस्था विफल रही है । आम लोगों को 1500 ग्राम चावल दिया जाता है जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को 4 किलो मिलता है ।

इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि एकाधिकार वाली फर्में श्रीमती इन्दिरा गांधी को गरीबी हटाने और समाजवाद लाने के लिये धन देंगे।

प्रत्यक्ष कर 1968–69 में 10 प्रतिशत थे जबकि परोक्ष कर 55.73 प्रतिशत थे ।

एक मंत्री श्री नकट नारायण ने एक उप-चुनाव में 70 लाख रुपए व्यय किये। स्टेनलैस स्टील के एक मामले में ही उसने 50 लाख रुपए बचाये । श्रीमती इन्दिरा गांधी चोर बाजार की उपज है । इसी लिए उन्होंनें वांचू समिति की अन्तरिम रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं कराया है ।

*बाद में अध्यक्ष महोदय की अनुमति न मिलने के कारण यह सभा पटल में नही रखी गयी ।

*Not laid on the table under subsequent orders of the Speaker.

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय सदस्य ने थोक व्यापार के आंकडे तथा जर्मनी इंगलैन्ड के मूल्यों में वृद्धि के आंकडे बताये है परन्तु उन्होंनें यह नहीं बताया है कि उस देश में पिछले पांच वर्ष में कहा पर सूखा पडा था तथा उन्हांनें कौनसी लडाई लडी थी। हम मूल्यों की वृद्धि से चिंतित है और उसे नियंत्रित करना चाहते है। इसका मूल कारण सूखा हैं और बिजली की कमी भी इस के लियें उत्तरदायी है। परन्तु कुछ सदस्य इन प्राकृतिक विपदाओं से अनुचित लाभ उठाना चाहते है। वे दोषी व्यक्तियों को पकडवाते नहीं है अपितु उनका उपयोग सरकार विरोधी प्रचार में करते हैं।

मैं कह रहा था कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण खाद्यान्न तथा तेल जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी हुई है और इसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई है।

जमाखोरों के विरुद्ध सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। विरोधी दल भी जमाखोरी को प्रोत्साहन देते आ रहे हैं। ये दल ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससें सरकार की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त मूल्य वृद्धि का कारण बंगला देश युद्ध भी है।

हर देश को युद्ध का मूल्य चुकाना पडता है और हम भी इस मूल्य को चुका रहे है एक करोड शरणार्थियों का हमने एक वर्ष तक पालन पोषण किया। यह भी मूल्य वृद्धि का एक कारण है।

विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि भी एक अन्य मुख्य कारण है।

सूखे के कारण उत्पादन में कमी रही है और हमें अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करना पडा। सरकार एक प्रभावशाली वित्तरण प्रणाली द्वारा इस स्थिति का सामना करने का प्रयत्न कर रही है।

गेहूं का थोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इस उपाय से गेहूं की मूल्य वद्धि पर नियंत्रण लग जायेगा।

जमाखोरों के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जानी चाहिये। जो भी व्यक्ति निश्चित दर से अधिक दर पर कोई वस्तु बेचे उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाये जाने चाहियें। (**व्यवधान**)

मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हम मूल्यों पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे।

[**श्री नरेन्द्र कुमार सालवे पीठासीन हुये**
SHRI N. K. P. SALVE *in the Chair*]

श्री सोमयान (कुम्भकोणम) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस बार मूल्यों में बहुत अधिक तथा अपूर्व वृद्धि हुई है। जब कभी सदन में मूल्य वृद्धि पर चर्चा हुई, वित्त मंत्री जो यही कहते आये हैं कि मूल्य वृद्धि एक अस्थायी स्थिति है। (**व्यवधान**) वे हमेशा ऐसा ही कहते रहेंगे। कहीं ऐसा न हो कि अस्थायी स्थिति दूर होने तक सारे गरीब कबरों तक पहुंच जायें।

पिछली बार वित्त मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि मूल्य वृद्धि के अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। अन्य देशों में मूल्य वृद्धि उस सीमा तक नहीं हुई जिस सीमा तक हमारे देश में हुई है। 1967 से 1971 तक की पांच वर्ष की अवधि में जापान में मूल्य वृद्धि 6 प्रतिशत, जर्मनी में 7.3 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमरीका में 14 प्रतिशत तथा यूगोस्लाविया में 30 प्रतिशत हुई जब कि भारत में 100 प्रतिशत हुई है।

घाटे की अर्थव्यवस्था इस स्थिति का मुख्य कारण है। विकासशील देशों में ऐसा होता रहता है, लेकिन घाटे की अर्थ व्यवस्था नियंत्रित होनी चाहिये। मई, 1973 में समाप्त हुए वर्ष के अन्दर गत वर्ष की तुलना में 1,310 करोड रुपए के अधिक नोट छपे। इस भयंकर स्थिति के लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। यह कहना असत्य है कि पैदावार की कमी से मूल्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि मूल्यों में तो उस समय भी वृद्धि हुई थी जब पैदावार अच्छी हुई थी।

मूल्य वृद्धि के जो भी कारण हों, लेकिन यह निश्चित है कि केन्द्रीय सरकार की वित्तीय नीतियां ही इन सब बातों के लिये जिम्मेदार है। गत तीन वर्षों के दौरान घाटे की आर्थ व्यवस्था निरन्तर बढती ही रही है।

मूल्य वृद्धि पर केन्द्रीय सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों द्वारा नियंत्रण रखना चाहिये। मूल्य वृद्धि के कारण देश भर में असंतोष है। ऐसी स्थिति में हडतालों तथा बन्धों का आयोजन होता है जिससे शांति और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, यदि यही स्थिति और अधिक समय तक चलती रही तो लोग सत्तारुढ दल ही नहीं बल्कि समूची संसदीय प्रणाली में विश्वास खो बैठेंगे। सर्वसाधारण तो क्या श्री शशि भूषण सरीखे कर्मठ कांग्रेसी भी देश में एक सिमित तानाशाही लाने के पक्ष में हैं।

देश की वर्तमान स्थिति पर हर दशा में नियंत्रण रखना जरूरी है अन्यथा सत्तारुढ दल ही नहीं बल्कि समूची संसदीय प्रणाली को इसकी कीमत चुकानी पडेगी।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : We are facing an unparalleled rise in prices. All of us sitting here should find out some solution to this problem.

I completely agree with what Shri Inderjit Gupta said, but he could not tell us as to why the Government should be blamed for it.

The prices of petrol have risen because of rise in the international prices of petrol. The prices are rising throughout the world.

Inflationary trend is on the increase. After all, people throughout the country have to be saved from the famine. The Government have to resort to deficit financing by forgetting the principles of economics and the inflationary trend with a view to save the people of famine hit regions of the country.

The Government is supplying foodgrains to 18 crores of people of the country through the present distribution system.

We are facing a difficult condition in the country. The traders indulge in black-marketing and say that no articles are available under the present rule.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : He should be caught.

Shri Amrit Nahata : This type of challenge indicates that they will continue to indulge in black-marketing and start political agitations—*(Interruptions)*. The hoarders and black-marketeers have created a serious condition which is a great danger to the country. We have to deal with such antinational elements more sternly.

The businessmen are exploiting the farmers. It is high time for the Government to take the entire trade in foodgrains and other essential goods. The Government will have to do it with a firm hand and clear mind.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Mr. Chairman, Sir, I support the adjournment motion which is being brought in the House on account of Governments failure to curb the price rise. On the eve of every budget it is assured by the Finance Minister that they will hold the price line. But uptill now the Government has completely failed to hold the price line. It simply keeps on beholding the line which is ever-increasing. This fact has been accepted even by my Congress party friends. But if some of my friends say that hoarding is the main reason for increase in prices and Jan Sangh is a party closely associated with businessmen, it is an over-simplification of the matter. The fact is that whenever there is scarcity, the prices go up. Now it has become a trend in the market to create artificial scarcity. The prices are shooting up in such a way that even the Commonman tries to make more provision than his immediate requirements. There is unstability everywhere. It is apparent from the figures that there is constant increase in the production of foodgrains. In 1950-51 the production of rice was 22·11 Million tonnes which rose to 42·45 Million tones in 1970-71. Similarly the production of wheat, foodgrains and pulses doubled in 1970-71 as compared to that was in 1950-51. But our population has not increased to that extent. Today there is lot of difference in prices as it was in 1950-51. That means there is something wrong in our system. I feel that until and unless this atmosphere of psychological scarcity continues, no check can be imposed on price rise.

The argument put forth by the Government for price-rise is that there is increase in supply of money also. It is correct that there is increase of 16 percent in money supply and the production has gone up by 1½ percent. But the distribution of money is not proper. The money has not actually gone to those people to whom it should have gone. The people who have got fixed salary are definitely experiencing the pinch of price rise. I know a good number of people of middle and higher middle class who have stopped using Ghee now. If this be the case of higher middle class, you can well imagine the lot of the commonman. The Government is wholly responsible for this Deficit financing is there but there is no check on the issue of currency notes. Similarly there is no proper check on overdrafting by the States. This also leads indirectly to price-rise. If the deficit financing is not used for production work, then the money can never be balanced. Debt is the line of demarcation and it should not be crossed. The price rise is for everybody and we should think over it above party-lines. I asked my communist friend Shri F. A. Ahmed about the object of wheat take-over. But he is simply interested in one principle that there should be State take-over of each and every thing. But when the Government is firm for the take-over, why there are lot of irregularities in it. Why there is no proper take-over and proper distribution. The Government should ensure its proper distribution to the poor. Maximum punishment should be inflicted for food adulteration.

It came up in Chief Ministers Conference that the employees of the Food Corporation asked for a bribe of 35 rupees per truck. There is a great mess in Food Corporation. Is it also due to Jan Sangh? We are not against Food Corporation but we want it should function properly. Why Corporations could not purchase 81 lakh tonnes of target wheat. If we are prepared to pay the desired price to America, why can we not pay a little more to the farmers? They are prepared to release their wheat at the rate of rupees 112 per quintal. The farmers are not profiteers and they must get the market price. They should not be forced to sell their wheat on a price lower than the market price. There is considerable increase in the prices of inputs which justifies the demand of the farmers for a higher price. All imports from America under P.L. 480 should be stopped. It was stated that we have got a buffer stock of 93 lakh tonnes whereas our requirement is only of 81 lakh tonnes. Now within a month that buffer stock has come down to 54 lack tonnes. God alone knows what is happening. One thing is certain that price rise will have to be curbed. The Government alone is responsible for it and it should not blame the businessmen, the farmers or other political parties for it.

The very formulation of a policy by the Government leads to scandals. Though Government has fixed the retail price of wheat as 83 paise per kilogram, they are not in a position to supply at that rate. It is because of the wrong policies of the Government that things are going underground. The Government started wheat take-over without setting up a proper machinery. The farmers are keeping some stock with them. Somehow or the other that leads to scarcity. This scarcity and non-availability leads to several other irregularities.

The political instability is the other reason for the price rise. Whenever people loose their confidence in administration it is bound to have such repercussions. If a struggle for power is continuing in Gujarat or Uttar Pradesh, who is responsible for it? The Ballot Boxes were flown from Ahemedabad to Delhi simply for counting and to asertain who should be the leader of a group? What a pity! Although we lost election but still we had the confidence and the consolation that we are having a strong and stable Government. We were proud to have a Government with two-third majority. Now much depends upon the Government. Every decision of the Government should be well thought out. Just for the sake of finer variety of yarn, the entire yarn was controlled. Now the same is being decontrolled by the Goveernment and specially its 20 to 24 count variety. After all what is this all going on. The Government cannot escape from its responsibility simply by blaming Jan Sangh. The Government is squarely responsible for everything which leads to price rise. It must be bold enough to inflict sufficient punishment on the hoarders and the black-marketeers. Evern if the culprit is Modi or Birla, he must be punished.

Lastly I want to submit that there should be a check on deficit financing and expenditure should be curtailed. The number of ministers in States and Centre must be cut down. It was stated by Shri Chavan that with the imposition of tones there will be some marginal increase in prices. But may I know if this increase is marginal? We want a categorical state assurance from the Government that it will take all possible measures to check the price rise within next 3 or 4 months.

Shri Charanjit Yadav (Azamgarh) : Mr. Chairman, Sir, it is a matter of pleasure that today this House is discussing the price-rise, and shortage of foodgrains and other essential commodities in the country. It is of course is serious problem which is posing a threat to the entire country. My hon. friend Shri Inderjit Gupta while initiating the discussion on the subject, presented the real picture of the problem with strong arguments. Shri Jagannath Rao Joshi also presented the problem with all the seriousness. I, also feel that it is high time for us to find a solution of this problem, becuause now every section of society is feeling its bite strongly.

There is scarcity of foodgrains in the Country. Our five or six states are drought effected and it is continuing for the last few years. The Government had to make even the drinking water available in the State of Maharashtra. Non-availability of drinking water was all the more a serious problem but Government fought it with all its might. The morale of the people was all the more high in this hour of crises. It is correct that our achievements are not according to our expectations but we must take into account all the factors. It is a matter of satisfaction that we provided employment to 90 lakhs people. All our achivements must be viewed in the context of the circumstances and difficulties. It is unfortunate that we are moving from one difficult phase to another. This time there is acute shortage of water in Bhakra Nangal and Rehand Dam. Today our nation is facing a great national crises. It is really a serious matter and none should take it lightly. The entire world is moving in a vicious circle. Even in Nixon administration the prices have gone up by 40 percent within one year. In England prices have gone up by 20 percent within six months. It is a fact that there is a short fall in the growth of foodgrains in the world as a whole.

After independence, we used to import foodgrains from foreign countries We knew it was not in accordance with national pride but at the same time we could not allow crores of people to die of starvation. So we decided to import food grains till our nation become self sufficient. We tried to attain self sufficiency in foodgrains in 1970-71 and our economy was stabilised to a greater extent. But this unprecedented draught has shattered all our hopes and plans.

It has been stated that deficit financing is one reason for price rise. This fact was accepted by the Finance Minister in this House itself. The present national and international circumstances do not permit us to cut our Defence expenditure. So long as arms are being supplied to our neighbours, we cannot ignore our Defence preparations. Many a time deficit financing becomes a necessity. The Central Gorvernment gave a sum of rupees 500 crores to different states during last few months for different development purposes. Centre cannot have a rigid attitude towards the State demands. Import of foodgrains is common among the countries and even the countries like Russia and China

[Shri Charanjit Yadav]

have imported foodgrains. We were reluctant to import foodgrains from America. We adopted the system of Public Distribution. The decisions of wheat take over was a well thought out one and we wanted to serve the larger number of people through it. We wanted to save shortage affected areas. The foodgrains worth 11 lakh tonnes are being distributed every month. We are catering the needs of 19 crores of shortage effected people. It is a matter of satisfaction that learning aside a few vested interest, the decision of wheat take over has been welcomed by a large number of people.

It has been rightly stated by my hon. friend Shri Joshi that Government will have to take this responsibility. Even if the Govenment has to establish new machinery for effetive control, it should do so. But essential commodities must be made available to the common man.

It is my submission that for a backward country like India, Public Distribution System is a must. Secondly we must bear in mind that some vested interest and industrialist have tried to create an atmosphere of terror in the country. There are some people and parties who do not believe in our policies. Some state Governments too have not helped us properly. We are making a sincere effort to solve different problems of the country. But if the Government decides to solve defferent problems with the help of party and all India Radio, we are charged of favourtism. But on the other hand Capitalist papers in the country are doing their best to demoralise the public. In these circumstances how can we get public Co-operation ?

I do admit that the roots of democracy are very deep in our Country. The people of our country have given sufficient proof of their political maturity during the last three years which were the years of national crises in national life. Now we want that the thinking mind of the country must come together. We must find out ways and means to have solid Public Co-operation. Now it is high time when we will have to increase productions. We want to consider the demands of our labourers sympathically. But at the same time it is the duty of Trade Unions and other organisations to help the Government in increasing production.

Lastly I want to submit that we have come out of a national crises quite successfully. We brought together and our morale was very high. Now our Government is quite alive to shortcomings. It is a sin to demoralise public in an hour of national crises. I, think all the political parties should fight this tendency unitedly. We are marching towards self sufficiency with a high speed. At the same time we are quite alive to the problems of the people. We hope we will come upto the expectations of the people who have reposed their faith in us.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जो लोग भारी बहुमत की डींग ढ़ाकते थे आज उनके चेहरों से उनकी असफलता झलक रही है । परन्तु इसके उपरान्त भी वह आज यह तथ्य स्वीकार करने को तैयार नही है कि उनके शासन में क्या बिजली, क्या प्रशासन क्या सप्लाई और क्या वितरण सभी क्षेत्रों में असफलता ही असफलता हुई। क्या प्रधान मंत्री, क्या मंत्री और क्या कांग्रेस दल के सदस्य उन्हें हम न अनेकों बार यह कहते हुए सुना है कि हमारे षास वस्तुओं का अभाव नहीं है हमारी वितरण नीति भी दोष रहित है । परन्तू आप हर बार लोगों को बुद्दू नहीं बना सकते। जब तक सरकार अपनी त्रुटियों को स्वीकार नही करती वह और त्रुटियों करती रहेगी । वास्तविकता तो यह है कि आज साम्यवादी प्रभाव ने सरकार को एक ऐसे स्थान पर ला खडा किया है जहां से उसे कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं लेता । जब सरकार किसी कार्य में असफल हो जाती है तो उसके लिए कभी वर्षा की कमी का बिहाना बनाती है । तो कभी बांगला देश के शरणार्थीयों का। उनका कहना है को उसके सवा अन्य सभी लोग जो भी कार्य करते है वह गलत होता है। उनके इस तर्क से तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है वह कितने बुद्धिमान है।

आये दिन प्रदर्शन हो रहे है हड़ताले हो रही है परन्तु इसके अपरान्त भी सरकार ने या वेतन आयोग ने इतने लम्बे संघर्ष के बाद आखिर कर्मचारियों को क्या दिया ? केवल 10 या 20 रुपये, आखिर यह सब क्या तमाशा है ?

एक बार नही अनेक बार मैं यह बात कह चुका हूं कि मूल्यों को रोकना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है । परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री चव्हाण का कहना है कि जब लोग भूख से मर रहे हो तो वह नोट न छापे तो क्या करें। परन्तु उससे समस्या का कोई समाधान नही हुआ है । वह भले ही 85 लाख व्यक्तियों को जीवित रखने के लिए एक दूसरे को शाबाश देते रहे, परन्तु वास्तव में यही उनकी असफलता रही है। सरकार का यह दावा है कि हमने 85 लाख लोगों की जानें बचाई है, कोई गर्व की बात नहीं है । सरकार अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही। हम 12 वर्षों से जनता को यह चेतावनी दे रहे है कि वे 'मुद्रास्फीति चक्र' में फंस रहे है । ऊंची कीमतों और वस्तुओं के अभाव से उनका छुटकारा नही । समाजवाद नें हमें पांच चीजें दी है --- ऊंची कीमतें, अधिक कर, अभाव, लम्बी कतारें, चोर बाजारी और प्रतिभा पलायन। सभी समाजवादी देशों में ये चीजों पाई जाती हैं। हमारे देश में भी समाजवाद आ गया है।

सरकार ने अन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम और भारतीय प्रतिरक्षा नियम बना रखे है । लेकिन इनका प्रयोग अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों पर किया जाता है । जमाखोरों को पकडने के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता । क्या कभी किसी चोर बजारिये, तस्कर-व्यापारी या मंत्री को अन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया है ? सरकार इनसे पैसा लेती है। इनकों न पकडने का यही कारण है।

गत जून में, मैंने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि हमारे देश में भयंकर सूखा पडेगा और सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए तैयार रहे। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने 60 करोड़ लोगों की जानों से खिलवाड़ किया है । सरकार केवल आग लगने पर ही कुंआ खोदना जानती है। यदि इस वर्ष वर्षा नहीं होती तो संसार का कोई भी देश हमारी आवश्वकता पूरी न कर सकता था। सरकार को चाहिए था कि वह दो माह पूर्व ही खाद्यान्न के आयात का आदेश दे देती। लेकिन सरकार अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझती।

शासन करने की इच्छा का अर्थ शासन करने की क्षमता नही है । सत्ता में बने रहना योग्यता का प्रमाण नहीं है । देश विनाश के गर्त पर पहुंच चुका है । सरकार में शासन करने की क्षमता नहीं है । अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री से सीधे अनुरोध करता हूं कि अपनी असफलता मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यदि माननीय प्रधानमंत्री शासन नहीं चला सकतीं तो कृपया शासन की बागडोर मुझे सौंप दें।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Mr. Chairman, Sir, House is discussing serious matter. Necessity to discuss this matter cannot be denied. Prices are going high day by day in our country. I am distressed to listen to the speeches of members of opposition parties. They have cast aspersions on Government for its failure to check the price rise. But no one has suggested how price rise can be checked. I think it has become a habit with the opposition parties to malign the Government.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
MR. DEPUTY SPEAKAR *in the Chair*]

It we want to solve the problem we will have to go into the reasons behind price rise. Increase in the prices of foodgrains was the main reason. Price Index of foodgrains in 1971, 1972 and 1973 was 181·3, 192·1 and 226·2 respectively. It means that there

(Shri Nawal Kishore Sharma)

was 30% increase in 1973. It is clear that production of foodgrains has not been adequate. But Government cannot be held responsible for this. Had there been shortage of fertilizers and irrigation resources, Government could have been held guilty. But if there are no rains, its repercussions are natural. Inadequate production of foodgrains was due to famine. Therefore, rise in prices was but natural.

There was decline in buffer stock of the country. Earlier, we were dependent on other countries. But now we have decided to be self-dependent. We are not importing wheat under P. L. 480. Were the policies of the Government wrong ? If policies are not wrong, then decline in the buffer stock and increase in the prices was natural.

Government has rightly taken a step to take over the wholesale wheat trade. Government was aware of the fact that that was the only way to check the price rise. Government has not taken over the trade of Bajra and maize. Consequently, Bajra and maize is being sold at the rate of Rs. 150 and Rs. 140 per quintal, respectively. It shows that Government took a right step in taking over the wholesale wheat trade. There are a number of profiteers and political parties which are trying to sabotage the take over of wholesale wheat trade. We will have to think about them. The only remedy before us is that we take over the distribution of all essential commodities. Government should consider the report of the Study Group of the Planning Commission seriously and take over the trade of all essential commodities.

Government will have to take stringent action against profiteers. We should not be lenient in penalising guilty persons. They should be arrested under Maintenance of Internal Security Act and be given rigorous imprisonment.

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है । मंत्री महोदय ने अभी उत्तर देना है । चर्चा आज समाप्त करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : सभी राजनीतिक दलों को समय दिया जाना चाहिए । अत: मेरा अनुरोध है कि चर्चा कल जारी रहे ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसमें क्या हर्ज है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री साल्वे से बात की थी । उन्होंनें मुझे बताया था कि आज आधे घंटे की चर्चा नहीं की जाएगी । माननीय मंत्री श्री बरूआ की इच्छा थी कि आधे घंटे की चर्चा परसों तक के लिए स्थगित कर दी जाए । अतः मेरा अनुरोध है कि आधे घंटे की चर्चा परसों तक के लिए स्थगित कर दी जाए और वह चर्चा जारी रखी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में चर्चा आज ही जारी रखी जाए । यह चर्चा कब तक समाप्त हो जाएगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : 7 बजे तक ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने डेढ घंटा बढाने का सुझाव दिया है ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : सदन को स्मरण होगा कि अगस्त 1972 में मूल्यों में अपूर्व वृद्धि पर छ: घंटे चर्चा हुई थी और हमें बताया गया था कि अप्रैल-अगस्त 1972 में अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में 16–17 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

मूल्य वृद्धि देश में सूखे की स्थिति के कारण नहीं है अपितु सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। सरकार की आर्थिक नीतियां अपने दल के राजनैतिक उद्देश्यों पर आधारित है जिसमें इस देश के लाखों लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पर रहा है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों का अनुचित उपयोग किया है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के समय से देश की अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन बिगडती जा रही है । यही स्थिति गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के मामले में है। सरकार का गेहू के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने का निर्णय एक राजनीतिक निर्णय है। वह आर्थिक निर्णय नही था क्योंकि अधिकांश मुख्य मंत्री इसके विरुद्ध थे। इसका यह परिणाम है कि गत अगस्त से लोगों को भर पेट गेहूं नही मिल रहा है और वे भुखमरी का शिकार हो रहे ।

चोर बाजारी का मूल कारण सरकार की गलत आर्थिक नीतियां है । 1200 करोड रुपये के वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों के नाम में लगभग 1200 लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दिए गए हैं जिनका न तो कोई उद्योग है और न ही किसी प्रकार का व्यापार है । यही चोर बाजारी का शुरुआत है । चीनी उद्योग, औषध उद्योग, सूत और धागा उद्योग और सभी अन्य उद्योगों से सत्ताधारी दल अपने दलगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत अधिक धन प्राप्त करता है । ऐसी स्थिति में यह आशा कैसे की जा सकती है कि काला धन समाप्त कर दिया जायेगा। वित्त मंत्री महोदय ने कई बार बताया है कि यहां काला धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है । ऐसी स्थिति में सरकार को बाध्य होकर अधिक मुद्रा परिचालित करनी पड रही है और इसी कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है । इससे मुद्रा स्फीति होती है। सरकार द्वारा बार बार वचन दिए जाने पर भी मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सरकार असफल रही है । और करोडों व्यक्ति अत्यंत कठिन स्थिति में है। लोगों का अब इस सरकार के प्रति विश्वास उठ गया है । सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों के कारण असफल हो रही है ।

श्री **चिंतामणि पाणिग्रही** (भूवनेश्वर) : मूल्य वृद्धि की समस्या से कांग्रेस दल और सरकार को विपक्षी दलों की अपेक्षा कहीं अधिक चिंता हैं । विपक्षी दल अनेक तरीकों से इस समस्या को और गम्भीर बनाना चाहते है । कल ही करनाल में एक विशाल किसान सम्मेलन हुआ था जिसमें किसानों को भडकाया गया कि वे सरकार और भारतीय खाद्यनिगम को खाद्यान्न न बेचे । अतः यह समस्या आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के कारण बनी हुई है ।

जहां तक इस समस्या के राजनीतिक पहलु का सम्बन्ध है सरकार वर्तमान सामन्तवादी और पूंजीवादी समाज में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से परिवर्तन कर के समाजवादी समाज बनाने के लिए वचनबद्ध है । आज जो कुछ उपाय किए जा रहे हैं वे वास्तव में इसी दिशा में किए जा रहे है । खाद्यान्नों के थोक व्यापार का सरकारीकरण भी इसी दिशा में एक कदम हैं । अतः थोक व्यापार कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों की सांठ-गांठ से इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते है और बाधा उत्पन्न कर अनाज को भारतीय खाद्य निगम के पास नही पहुंचने देना चाहते और देश में अकाल की स्थिति पैदा करना चाहते है ।

जहांतक आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है, आज विश्व भर में मूल्य वृद्धि हो रही है। किन्तु यह वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट का एक अंग है। और भारत इसका एक अंश मात्र है। । कुछ समस्याएं सरकार के नियंत्रण से बाहर है, फिर भी सरकार इस

[श्री चिंतामणी पाणीग्रही]

चुनौती का सामना करने का प्रयास कर रही है । सरकार ने इस वर्ष खरीफ की फसल से 11.5 करोड टन खाद्यान्न वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । इससे समस्या में सुधार होगा।

विपक्षी दलों ने घाटे की अर्थव्यवस्था का प्रश्न उठाया है । यह सच है कि हमें इसे घटाकर न्यूनतम करना चाहिए किन्तु जब हमारे देश के एक भाग को सूखे, तूफान, और बाढ का सामना करना पड़ रहा है तो क्या हम राहत कार्यों पर खर्च करने में सहायता देने से बच सकते है ? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक राज्यों में सूखा से प्रभावित लोगों को राहत और भोजन देने सम्बन्धी राहत कार्यो पर 450 करोड रुपये खर्च किए है।

पाकिस्तान के साथ हूए युद्ध में हमने विजय पाई है। यह ठीक है कि इससे एशियाई उप महाद्विप की स्थिति बदली है किन्तु यह भी घाटे की अर्थव्यवस्था का एक कारण है क्योंकि हमारा रक्षा व्यय 1400 करोड रुपये से बढकर 1600 करोड रुपये हो गया है। हम रक्षा व्यय में कटोती बिलकुल नहीं कर सकते। इन सब बातों को देखते हुए, घाटे की अर्थव्यवस्था को कुछ सीमा तक बनाये रखना ही पडेगा। सरकार इसके प्रतिकूल प्रभाव से अच्छी तरह जागरूक है और इसे बडे पैमाने पर नहीं अपनाया जाना चाहिए और इसे घटा कर बहुत कम कर देना चाहिए।

सरकार ने बैंक दर बढा दी है और वह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रा स्फीती के प्रभावों को कम कर दिया जाए, ऋणों पर प्रतिबन्ध लगा दिए है।

यह सच है कि मुल्य-वृद्धि की समस्या से देश के समस्त लोगों को परेशानी है। सरकार का विचार 20 या 30 लाख टन खाद्यान्न का आयात करने का है । इससे अधिक खाद्यान्न का आयात नहीं किया जायेगा। सरकार इस मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहती है । हम स्वयं इस कठिन समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे ।

सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करना चाहिए । मेरा सरकार से वह निवेदन है कि देश में वितरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम स्त्रोत पर ही मुख्य उत्पादन से सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करा सकें ताकि ये देश में उचित दर की दुकानों पर भेजी जा सकें और किसी भी खरीददार को एक ही दुकान से कम से कम 10 से 20 वस्तुएं तक मिल जाएं । इससे देश के लोग चोरबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरोंके शिकंजे में नहीं आयेंगे।

श्री समर गुह (कंटाई) : मूल्य वृद्धि से देश के लोग इतने परेशान हो गये है कि जब उनकी जबान पर बाजार शब्द आता है तो वे भयभीत हो जाते हैं। उनके लिए अपने परिवारों का पालन-पोषण करना बहुत कठिन हो गया है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

मूल्य वृद्धि से लोगों को अत्यन्त कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड रहा है । सरकार ने गत अगस्त और पिछले बजट सत्र में अनेक वचन दिए थे किन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला । इसके विपरित मूल्यों में वृद्धि बहुत तेजी से होती जा रही है ।

मैं सरकार को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारें देश में जनसाधारण आज ईस दयनीय स्थिति में पहुंच गया है कि अब उसका संयम लग भग समाप्त हो गया है। देश की यह स्थिति तुफान आने से पहले शान्त वातावरण की सी है । देश में कुछ इस

प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे है कि अब तुफान आने वाला है ।

सरकार की नीतियों के कारण मूल्य वृद्धि के दुष्प्रभाव से हमारे देश के लोग आज भूख से मर रहे है । सरकार बाजार और खुदरा भावों को नियंत्रित नही कर सकती है ।

जीवन मापन के लिए अत्यंत आवश्यक गेहूं, चावल, दाल, तेल और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि से लोगों को बहुत चिंता हो रही हैं ।

कहा गया हैं कि मूल्य वृद्धि तो सारे संसार में हो रही है किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि उनकी प्रतिव्यक्ति आय क्या है । उनका कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना है और उनकी क्रय शक्ती कितनी है । वे लोग मूल्य वृध्दि के दबाव को सहन कर सकते हैं जिनकी क्रय शक्ति भारत के लोगों से हजारों गुना अधिक है । सरकारी आंकडों के अनुसार 42 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी के स्तर से नीचे जीवन मापन कर रहे । ऐसी स्थिति में सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है ।

यदि सरकार जमाखोरों, तस्करों और चोर बाजारी करने वालों पर मूल्य वृद्धि का दोष लगाती है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है । क्या सरकार को इन तत्वों के साथ कोई सांठगांठ है ? क्या सरकार के पास उनको काबू में करने के लिए कोई कानूनी शक्तियां नहीं है ? मूल्यों में असाधारण वृद्धि करने वाले इन तत्वों को नियंत्रित करने में सरकार असफल रही है । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति असफल रही है ।

कुछ लोगो ने कहा है कि विपक्षी दल मोर्चों, बन्धों, हडतालों और सत्याग्रहों का अधिकाधिक आयोजन करते है । किन्तु यह तो लोकतंत्र की रक्षा के बहुत बडे साधन है । समाजवादी दल ने अगस्त के महीने में राष्ट्रीय बन्ध का आयोजन करने के लिए सभी विरोधी दलों का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय किया है । इस एक साधन से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते है। भूख और भूखमरी से लोगों में बहुत रोष व्याप्त है और यहां कभी भी ज्वालामुखी भडक सकती है । सरकार बढते हुए मूल्यों सम्बन्धी समस्या को हल करने में असफल रही है ।

सरकार ने "गरीबी हटाओ" का नारा लगाकर चुनावों में सफलता प्राप्त की है, किन्तु क्या आज गरीबी हट गई है ? आज प्रश्न गरीबी हटाने का नहीं है बल्कि लोगों को भुखमरी और बढती हुई महंगाई से बचाने का है । सत्ताधारी दल ने भारी समर्थन द्वारा जो अधिकार प्राप्त किया है वह आज इसने स्वयं ही खो दिया है । सरकार के प्रति आज लोगों का विश्वास उठ गया है । अतः अब इस सरकार को अपनी गद्दी छोड देनी चाहिए और त्यागपत्र दे देना चाहिए और जनता का पुनः समर्थन प्राप्त करना चाहिए ।

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : The ruling party and the Government have not seriously gone into the causes of the crisis prevailing into the Country. People have lost their faith in the system which the ruling party calls democracy. Exorbitant and unscrupulous expenditure is being incurred on the maintenance of Ministers at both the Central as well as the State level. The Ministers are leading an aristocratic life. They are not worried about the lot of the poor people of the Country. The political leaders in the ruling party are engaged in internal rivalry for power.

It has been pleaded by the Government that the abnormal rise in prices is due to the fact that Government have to incur heavy amounts on Bangladesh. It may be undoubtedly true but has the Government ever told the people about the wide spread anti-Indian propaganda being carried on in Bangla Desh ? Inspite of such a great sacrifice, the people of Bangla Desh are not happy with us.

[Shri S. A. Shamim]

Our Country is passing through a crisis of drought and famine and even then, our Government is not prepared to release 95 thousand Pakistani prisoners of war. It is not proper to incur such a huge expenditure on these P.O.Ws. when our economy is going to shatter.

The price-rise, in comparison with other states is the highest in the State of Jammu and Kashmir. Shortage of essential commodities can be admitted and tolerated but their non-availability cannot be tolerated. Cooking gas, petrol, kerosine etc. are not at all available in Jammu and Kashmir State. Government and the ruling party are responsible for the present difficult conditions of shortage of essential commodities in the Country. It is the result of carelessness and negligence of the Government.

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : यह बहुत उचित बात है कि इस वर्षा कालीन सत्र के पहले ही दिन सभा में एक ऐसी समस्या पर चर्चा हो रही है जो इस देश के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बड़े निजाक्ष ढंग से इस समस्या की चर्चा की है। उनका भाषण बहुत ही यथार्थवादी था। जब हम खाद्यान्नों और अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रश्न की चर्चा करते हैं तो हम आज देश में आर्थिक स्थिति पर आधारभूत चर्चा करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों को गलत बताया है और कहा है कि नीतियों को गलत रूप से कार्यान्वित किया गया है। इन आलोचनाओं का निजाक्ष रूप से विश्लेषण करने का प्रयास किया जायेगा।

यह सच है कि वर्तमान मूल्य वृद्धि कुछ सीमातक अस्वाभाविक है और अभूतपूर्व भी है। आज सरकार संसद् और देश के सामने ऐसे समाधान ढूंढन, नीतियों और साधनों का पता लगाने का कार्य है जिससे कि हम इस स्थिति का सामना कर सकें। इस समस्या का हल मोर्चा लगाने या बन्धों का आयोजन करने से नहीं होगा। हमें स्थिति की उस अनवरतता को भी ध्यान में रखना होगा जिसका देश को सामना करना पड़ा है। बंगला देश के सम्बन्ध में किए गए उल्लेख की विपक्षी दल के कुछ सदस्यों ने उसे पसन्द नहीं किया। मैं बंगला देश का उल्लेख करना नहीं चाहता किन्तु, हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है वह समग्र रूप में आर्थिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक स्थितियों राजनीतिक घटनाओं और अन्य अनेक कारणों तथा प्राकृतिक आपदाओं का ही परिणाम है। इन सभी परिस्थितियों का आज हमारी अर्थव्यवस्था पर समग्ररूप से प्रभाव पड़ा है।

कुछ सदस्य भले ही कहें कि हमारे द्वारा उठाए गए कदम गलत है किन्तु इन समस्याओं से निपटने का सरकार का समेकित दृष्टिकोण किसी भी तरह गलत नहीं है और यदि हमने यह नीति नहीं अपनाई होती तो यह देश और भी कठिन और गम्भीर स्थिति में ही जाता।

जहां तक देश में खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है हमने गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण करने का इसी वर्ष निर्णय किया है और हमारी सामान्य नीति देश में अनाज के बड़े बड़े भण्डारों की स्थापना करने की है। ये भण्डार कृषि उत्पादनों की वृद्धि पर निर्भर करते हैं। यह नीति वास्तव में काफी सफल रही है। हमने 1970–71 में अनाज का बहुत बड़ा भण्डार किया था। हालांकि यह बंगला देश के लिए नहीं था, किन्तु हमें मजबूर होकर बंगला देश के आए 1 करोड़ शरणार्थियों का पालन करना पड़ा। उनके वापस जाने के बाद में हमें भी उन्हें खिलाना पड़ा। यदि यह स्थिति उत्पन्न न हुई होती तो आज अनाज की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं होती।

दुर्भाग्य से इस युद्ध के तुरन्त उपरान्त देश में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई और खरीफ तथा रबी की फसल के दौरान देश के बड़े भागों में भयंकर सूखा की स्थिति हो गई थी। खरीफ की फसल तो बिल्कुल नष्ट हो गई। विशेषकर इस देश में जहां की अर्थ-व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहती है, कृषि की हानि से सारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। इस देश की खरीफ की फसल ही मुख्य फसल है। इस फसल के नष्ट होने से सारी अर्थव्यवस्था ही अस्तव्यस्त हो जाती है। 1972 में हुई खरीफ की फसल की हानि को हम भुला नहीं सकते। अनाज के भण्डार समाप्त होने से हमारी कठिनाई और बढ़ गई और खरीफ की फसल के उत्पादन से हम अपने भण्डारों को पुनः पूरा नहीं कर सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि देश में वर्तमान मुद्रा स्थिति और मूल्य वृद्धि का एक मुख्य कारण घाटे की अर्थव्यवस्था है। हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि घाटे की अर्थव्यवस्था क्या है और किस उद्देश्य के लिए इसका सहारा लेना पडता है। यदि हमने संसाधनों को छुडाने अथवा इनकी क्षति पूर्ति करने के लिए प्रयास न किए होते और अकारण ही धन व्यय करते रहते तो यह कहना उचित था कि घाटे की अर्थव्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य को 1971 और 1972 की परिस्थितियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात बिल्कुल ठीक कही है कि हमारी आर्थिक स्थिति भले ही कठिन हो किन्तु हम देश की सुरक्षा सम्बन्धी मामले की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सब देशों के साथ मित्रता बनाये रखना चाहते हैं। किन्तु फिर भी हमें अपनी रक्षा के लिए तैयारी तो करनी ही चाहिए जो किसी भी देश के लिए आवश्यक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इसी लिए आपने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखी हुई है (अन्तर्बाधाएं)।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया चुप हो जाएं। इस सम्बन्ध में कोई चर्चा न करें (अन्तर्बाधाएं)।

श्री यशवंतराव चव्हाण : हमें बजट के बाद की घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा। बजट के पश्चात् खरीफ की फसल नष्ट हो गई। देश के बड़े भाग में सूखा की स्थिति पैदा हो गई।

अध्यक्ष महोदय : सदन में इस प्रकार बार बार बाधाएं उत्पन्न करने से वक्ता के भाषण में बाधा होती है और सदन का भी ध्यान बटता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मेरा संसदीय अधिकार है और अन्तर्बाधाएं तो संसदीय प्रक्रियाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि बाधाएं सारे सदन का ध्यान बटाती है तो इन्हें सहन नहीं किया जा सकता। आप को ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री यशवंतराव चव्हाण : बहुत अधिक क्षेत्र सूखा ग्रस्त है। यद्यपि बजट में 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु खरीफ की फसल नष्ट होने से सूखा की स्थिति का सामना करने हेतु लगभग 220 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं। जब खरीफ की फसल नहीं हुई तो सरकार को रबी की फसल के मौसम में कुछ बड़े पैमाने पर ठोस कदम उठाने की योजना बनानी पड़ी और लगभग 140 करोड़ रुपये उर्वरक आदि पर खर्च करने पड़े। इसके कुछ अनुकूल परिणाम निकले हैं।

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि क्योंकि सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 80 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न की वसूली नहीं कर सकी, अतः सरकार का अनुमान गलत निकला और उसकी नीति गलत है और सरकार का रवैया धनिक-कृषिकों के प्रति बहुत नरम है। इतने बड़े देश में कुछ स्थानों पर यह बात हो सकती है। हालांकि कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्रों में रबी की फसल अच्छी होने के अनुमान लगाये गये थे किन्तु वहां समय पर बिजली नहीं मिल पाई। कभी उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाये। नये कृषि कार्यक्रम इतने आधुनिक और सघन है कि यदि किसी उत्पादन की कमी हो गई तो वे पूरे नहीं हो पाते और असफल रह जाते हैं। अतः अनुमान इस कारण गलत नहीं हुए कि उत्पादन लक्ष्य को कोई पूरा नहीं करना चाहता था बल्कि इसलिए कि इसके कुछ अन्य कारण थे। हरियाणा जैसे राज्यों में अति वृष्टि से ही फसल नष्ट हो गई। कुछ सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने आवश्यक कदम नहीं उठाए। किन्तु यह आरोप गलत है। कृषि भूमि पर कर लगाने की योजना बनाई थी और इसे कार्यान्वित भी किया गया है।

श्री श्यामनन्द मिश्र (बेगुसराय) : क्या गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण करना और इसके साथ साथ ही कर लगाना दोनों परस्पर विरोधी नहीं है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : श्री इन्द्रजीत गुप्त जी का यह कहना गलत है कि हमने वसूली के लिए उपयुक्त प्रयास नहीं किए हैं। हमने गेहूं की वसूली का लक्ष्य पंजाब में 70 प्रतिशत से अधिक पूरा किया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए हमें लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा। किन्तु कुछ स्थानों पर हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। नीति निर्धारण के स्तर पर हमने ऐसा किया है। किन्तु कुछ स्थानों में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। फिर भी कुछ गलतियां हुई है। कार्यान्वियन के सम्भवता कुछ गलतियां हुई हैं। यह हमारा पहला वर्ष है और सम्भवतः हम अनुभव से और सुधार करेंगे।

किसी सदस्य ने पूछा है कि गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण करने के पीछे क्या सिद्धान्त है। यह भी हमारे नीति निर्धारण का एक उपाय है। देश में मूल्य वृद्धि के प्रश्न से निपटने के लिए इस प्रकार की आधारभूत नीति अपनानी पड़ेगी जिससे कि वितरण प्रणाली का व्यापक जाल बिछाया जाए ताकि सभी अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाए जिसमें खाद्य पदार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस को युक्तिसंगत बनाने के लिए, गेहूं के सरकारीकरण को तर्कसंगत बनाना पड़ेगा। हमें यह सुनश्चित करना पड़ेगा कि गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण न केवल व्यापार के राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से किया जायेगा अपितु आवश्यक वस्तुओं की वितरण सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करने के उपकरण के रूप में किया जाए।

यह कहा गया है कि खाद्यान्नों के व्यापार का सरकारीकरण करने का निर्णय मुख्य-मंत्रियों की इच्छाओं के विरूद्ध किया गया है और एक या दो को छोड़ कर शेष सब मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया है। किंतु यह बात सही नहीं है। जहां तक मुझे पता है केवल तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने जिनके राज्य में गेहूं नहीं होता है, इस निर्णय के प्रति वचनबद्ध होने से इन्कार किया है क्योंकि उनका इस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्य सभी मुख्य मंत्री इसके पक्ष में थे।

जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, रक्षा सम्बन्धी बढ़े हुए खर्चे के अतिरिक्त यह एक अलग बात है। गत छः या आठ महीनों में हमें प्रतिमास 10 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न का वितरण करना पड़ा है। इससे लगभग 17 या 18 करोड़ गरीब लोगों को लाभ हुआ है। इस स्थिति का सामना करने के लिए हमने इन लोगों की सहायता की है।

गरीब लोगों को खाद्य वस्तुओं का वितरण करने से घाटे की अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई है। क्योंकि इस कार्य में कुछ वित्तीय सहायता देनी पड़ी है। क्या ऐसी स्थिति में घाटे की अर्थ व्यवस्था अनुचित है? जब हम घाटे की अर्थव्यवस्था कर गरीब लोगों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्रय शक्ति देते हैं तो क्या यह अनुचित है? जब हम बजट के प्रावधानों से 200 करोड़ रुपये अधिक रक्षा पर खर्च करते हैं तो क्या इसे आप अनुचित कह सकते हैं?

मूल्य वृद्धि के बारे में मैं जानता हूं। इस देश में मूल्य वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए हमें समुचित ढंग से उत्पादन की समस्या को हल करना पड़ेगा। इसके लिए हमने अच्छी तरह से कार्य आरम्भ किया है। मैं यह पुनः कहता हूं कि वर्तमान कठिनाई का यह अन्तिम चरण है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी सम्भाव्यताएं ठोस हैं। वर्षा अच्छी होने से पटसन, कपास का अच्छा उत्पादन होने की सम्भावना है। अतः कृषि उत्पादन में काफी सुधार होगा। फिर भी इतने बड़े देश में कहीं न कहीं कमी तो रह ही जाती है। मुझे विश्वास है कि स्थिति में सुधार अवश्य होगा। और निश्चय ही राहत मिलेगी। इसके साथ-साथ न चाहते हुए भी आयात करने की हमारी योजना है। इससे स्थिति का प्रभावी रूप से सामना करने में हमें सहायता मिलेगी।

औद्योगिक उत्पादन के मामले में गत वर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु नवम्बर के अन्त से बिजली की कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे हमें पता लगा है कि वर्षा न होने से कृषि पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, इससे औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। उत्पादन से ही तो मूल्य वृद्धि की समस्या का वास्तविक समाधान हो सकता है। किन्तु सबसे आवश्यक बात है कार्मिक संघों और लोगों का सहयोग।

एकाधिकारवादी, काला बाजार करने वाले, और बड़े उद्योगपति, कम उत्पादन करने में रुचि रखते हैं। क्योंकि वे कम उत्पादन कर देश में कमी बनाए रखना चाहते हैं जिसे कालाबाजार का बोलबाला रहे। इनका सामना करने के लिए हमें उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी और यही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है।

पिछले दो या तीन वर्षों के आंकड़ों से पता लगता है कि पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। प्रत्येक राज्य में नई कृषि का क्षेत्र बढ रहा है। अधिक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। अधिक ग्रामीण बिजली की सुविधाएं दी जा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इससे कृषि का उत्पादन वास्तव में अधिक होगा।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो चीनी के मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी हमने रबी की फसल में अधिक उत्पादन किया है। रबी की फसल में लगभग 2.8 से 3.0 करोड़ मीटरिक टन वर्तमान उत्पादन का अनुमान है।

हमें इस देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों को यह बताना पड़ेगा कि जब वे अपनी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय अपनी समस्याओं के साथ सामाजिक बन्धनों पर भी विचार करें। सम्भवतः हमें आयात पर अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। खाद्यान्न का आयात तो अपवाद है जो केवल आपतकालीन स्थिति में ही किया जाता है। किसी वस्तु का बाजार मूल्य के रूप में बहुत अधिक मूल्य देना हम सदा के लिए सामान्य प्रक्रिया नहीं बना सकते।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Support price should be given to the farmer.

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं इस सिद्धान्त में विश्वास रखता हूं कि किसान को उचित मूल्य मिले और कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता। किन्तु एक मूलभूत वस्तु के लिए आप बहुत अधिक मूल्य देने का विचार भी नहीं कर सकते। यदि इसे स्वीकार किया गया तो मूल्यों पर नियन्त्रण रखने का प्रयास नितान्त रूप में असफल रह जायेगा। आपकों इन साधारण बातों को ध्यान में रखना होगा। किन्तु आप गेहूं के सरकारीकरण के निर्णय को पसन्द नहीं करते क्योंकि यह आपके हितों के प्रतिकूल है। आप थोक व्यापारियों के एकाधिकार के विरूद्ध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है कि वांछू समिति की सिफारिशों पर क्या कार्य-वाही की गई है। हमने इस सम्बन्ध में कानूनी स्वीकृति लेने और कुछ उपबन्धों के लिए एक व्यापक विधेयक इस सदन में पेश किया है। यह विधेयक अब प्रवर समिति के पास भेजा है क्योंकि काले धन की यह समस्या बहुत ही बिकट समस्या है और इस का सामना करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा है।

जहां तक धन की उपलब्धि और ऋण की स्थिति का सम्बन्ध है, जनवरी के पश्चात इस में बहुत वृद्धि हुई है। अतः इस प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कई कदम उठाए है जिसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया से बैंकों के लिए जाने वाले ऋण को कम करने में काफी सहायता मिली है।

आंकड़ों के देखने से पता लगता है कि भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा उपलब्ध की गई मुद्रा से नहीं चल रही है किन्तु यह एक वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है जो इसके लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था करती है। अतः स्थिति की जांच की जा रही है। और आवश्यकता पड़ने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

गत तीन वर्षों में संसाधन जुटाने के लिए हमने अधिकतम प्रयास किए हैं। इस अवधि में बजट सम्बन्धी कराधान उपायों के द्वारा 700 करोड़ रुपये से अधिक धन जुटाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने गत वर्ष सबसे अधिक बैंक ऋण लिया है। और सम्भवतः इस वर्ष भी हमें ऐसे ही प्रयास करने पड़ेंगे। छोटी बचत योजनाओं को तेजी से बढ़ाया गया है। और गत वर्ष और इस वर्ष के दौरान इनका कार्यसम्पादन बहुत अच्छा रहा है। इस दिशा में हम इस प्रकार के विशिष्ट उपाय कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि हमें घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना पड़ा है तो सरकार की जिम्मेदारियों को भली प्रकार समझना चाहिए और इसका यह अर्थ है कि यह एक ऐसी बात है जो देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनिवार्य है। यह तो साधारण आर्थिक स्थिति है। केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। और ना ही कोई हल निकलता है।

वर्तमान स्थिति निस्सन्देह बिकट स्थिति है जिससे हम पूर्णतः परिचित हैं। लेकिन इस स्थिति में हड़तालों तथा बंधों द्वारा लोगों को आतंकित करना देश के प्रति अहित है।

हमें रचनात्मक रवैया अपनाना चाहिए तथा इस स्थिति का सामना करने के लिए मिलकर तथा सहयोग की भावना से काम करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अनीपुर) : स्थगन प्रस्तान अनिवार्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियं-त्रित करने की असफलता तथा लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करने की असफलता के बारे में था। पटना तथा कलकत्ता जैसे शहरों में राशन की दुकानें खाली रहती हैं और 750 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से राशन दिया जाता है। इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

मैं श्री चव्हाण की इस बात से सहमत हूँ कि यदि सरकार 40 लाख टन खाद्यान्न की वसूली न करती तो स्थिति बहुत खराब हो जाती।

यह सब ठीक है लेकिन हम सरकार की इसलिए निंदा करते हैं कि वह अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने में असफल रही है। सरकार ने शुरू से ही आधे दिल से सारे कदम उठाये। श्री चव्हाण भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। गत दो महीनों के दौरान कांग्रेस तथा कांग्रेस के बाहर सरकार द्वारा वसूली कार्य तथा इसके मूल्य की निन्दा की जा रही है।

वसूली मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए इसके लिये बहुत लोग मांग कर रहे हैं। पंजाब के लिए 76 रुपये प्रति क्विंटल का दर संतोषजनक है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के लिये यह संतोषजनक क्यों नहीं? वहां भी ऐसे ही किसान हैं।

इसी लिए सरकार के इस कदम का संगठित रूप से विरोध हुआ है। मेरा विचार है कि कुछ मुख्य विरोध कांग्रेस के अंदर से ही हुआ है। कांग्रेस के लोग जनसंघ की तरह सरकार पर वसूली मूल्य बढ़ाने के लिये दबाव डाल रहे हैं। इस लिये वे अपना स्टाक नहीं देंगे। अंतः इस बारे में केवल जनसंघ को ही दोषी ठहराना उचित नहीं।

मैं केवल इतना ही पूछ रहा हूं कि पंजाब में पैदा किया गया गेहूं 76 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है तो अन्य जगह का गेहूं क्यों इस भाव नहीं बिकता (**व्यवधान**)

श्री चव्हाण ने पहले की तरह अधिक पैदावार की आवश्यकता के बारे में कहा है। क्या इससे कभी समस्या का हल हुआ है? क्या उत्पादन कभी नहीं बढ़ा? पटसन की पैदावार इस बार अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ कच्ची पटसन के भाव गिरने शुरू हो गये हैं। श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने कहा है कि भारतीय पटसन निगम कच्ची पटसन की 10 लाख बेलें खरीदेगा लेकिन साथ साथ वे इस बात को भी मानते हैं कि उनके पास इस कार्य के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तथा अन्य साधन नहीं है। यह भी गेहूं के सरकारीकरण की तरह एक ऐसी ही अच्छी योजना है जो कागजों तक ही रह जायेगी।

अधिक पैदावार से जरूरी नहीं कि कीमतें घट जायें जो गरीबों के लिए लाभदायक होती हैं (**व्यवधान**) तापीय बिजली कारखाने यह शिकायत कर रहे हैं कि कोयला खान के राष्ट्रीयकरण के बाद उन्हें अच्छा कोयला नहीं मिल रहा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाना चाहिये।

डाल्डे के लिए 75 पैसे प्रति किलो की वृद्धि करने की सरकार ने अनुमति दे दी है। हिन्दुस्तान लिवर जैसी एकाधिकार फर्मों की डाल्डे के मूल्य वृद्धि की बात सरकार तुरन्त मान गयी है। यह फर्म साबुन, तेल और शैम्पो भी बनाती है। साथ साथ इनके मूल्यों में भी वृद्धि हो गयी है। देश में मूल्य नियंत्रण की कोई भी व्यवस्था नहीं है।

इस कठिन स्थिति में उपलब्ध खाद्यान्न का लोगों के बीच पर्याप्त मात्रा में वितरण होना चाहिए ताकि भूख से कोई मौतें न हों।

मेरे स्थगन प्रस्ताव में उठाये गये प्रश्नों को पूर्ण उत्तर नहीं आये। हम सरकार को किस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं? कई वचन तथा आश्वासन दिये गये थे। उन सबका क्या बना? यदि इस प्रकार की नीति चलती रही तो देश आपत्ति में पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अब यह सभा स्थगित होती है"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अनुदानो की मांगें---मणिपुर---जारी

DEMANDS FOR GRANTS—MANIPUR—*Contd.*

Shri G. P. Yadav (Katihar) : I spoke on the Manipur budget during the last session also that it is not only Manipur budget but also the budgets of Andhra and Orissa....

अध्यक्ष महोदय : ये अपना भाषण कल जारी रखें।

सभा का अवमान संबंधी प्रस्ताव

MOTION REG : CONTEMPT OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको तानाजी काम्बले कहने वाले व्यक्ति ने जिसने आज मध्यान पश्चात् 12.35 बजे दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेंके और जिसे वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त ही हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उसे गुरुवार, 26 जुलाई 1973 के मध्याह्न पश्चात् 5 बजे तक के साधारण कारावास का दन्ड दिया जाये और केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में भेजा जाए।"

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : What was written in the leaflets ?

Mr. Speaker: Whatever it may be but the fact that they were thrown is against the dignity of the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये क्योंकि कोई भी गम्भीर अपराध नहीं हुआ **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye (Banka) : I oppose the resolution moved by the Minister of Parliamentary Affairs (*Interruption*)

It is not proper to punish a person without hearing him. This is against the principle of natural justice. He should be brought before the house and heard.

श्री के० नारायणराव (बोबिली) : यह विशेष अपराध अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में किया गया है। अतः उसे अपने आचरण के बारे में कुछ स्पष्टीकरण करने का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : This is a question of the dignity of the House. Such persons should not be encouraged by exonerating them from such charges because bad precedents will be created.

हमें इस प्रकार की कोई मिसाल नहीं कायम करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको तानाजी काम्बले कहने वाले व्यक्ति ने जिसने आज मध्याह्न पश्चात् 12.35 बजे दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेके और जिसे वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त ही हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उसे गुरुवार, 26 जुलाई, 1973 के मध्याह्न पश्चात् 5 बजे तक के साधारण कारावास का दंड दिया जाये और केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में भेजा जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 74 विपक्ष में 11

Ayes 74 Noes 11

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : आपकी अनुमति से वैयक्तिक स्पष्टीकरण के प्रश्न पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ ।

श्री पीलू मोदी ने कहा कि मैंने अपने दल के लिये लगभग 30 लाख रुपये की राशि एकत्र की है और जिसका एक भाग मैंने अपने पास रखा है। यह बात झूठ तथा निराधार है। मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 24 जुलाई, 1973/2 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, July, 24, 1973/Sravana 2, 1895 (Saka)

भा० स० मु० ना०—वि० 1—16 लोकसभा—73—1-10-73—490